खण्ड-155, अंक-3
मंगलवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(6 सितम्बर, 1955 ई0)

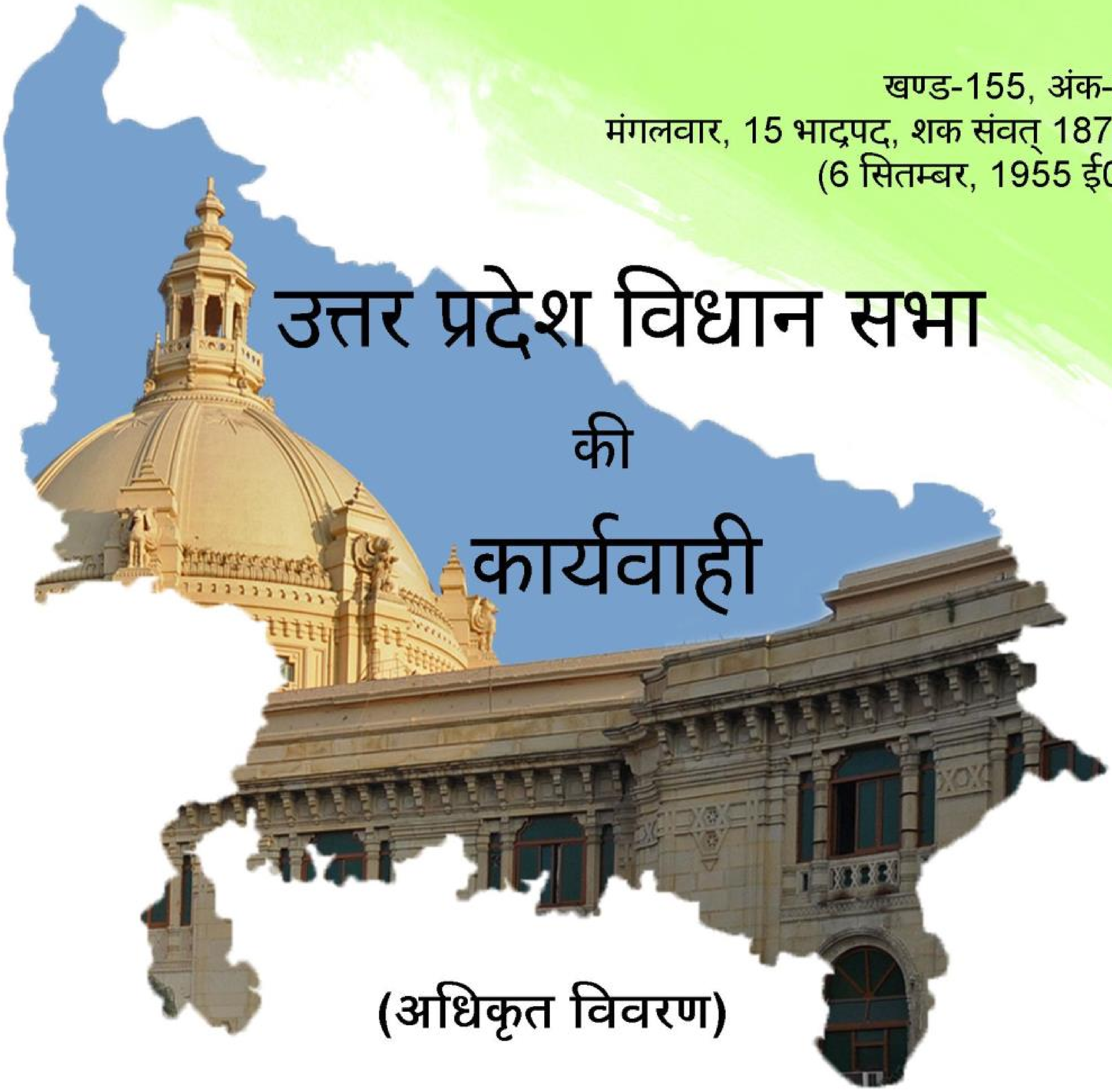

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
रतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्रकाछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल , श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराज कुमार

बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद, शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधरमिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में व्यय

*१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष २६ जनवरी का दिवस मनाने में राज्य सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ और सन् १९५१-५२ और सन् १९५३ में कितना कितना हुआ था ?

सूचना मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—इस वर्ष ४६,८३७ रु० व्यय हुआ पिछले वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ था:—

	रु०
१९५१	१२,७६४
१९५२	२१,८२९
१९५३	२५,६५७

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौंसिल हाउस और गवर्नमेंट हाउस को सजाने में अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—विधान भवन की सजावट व रोशनी में ९१६ रु० ९ आ० ३ पा० व राजभवन की सजावट व रोशनी में १,११४ रु० २ आ० ९ पा० व्यय हुआ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या इस मद में सरकार का इरादा और अधिक खर्चा बढ़ाने का है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सजावट में तो अगर कलात्मक प्रवृत्ति जाग्रत हो तो कुछ बढ़ भी सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये रकमें बजट के किस मद से खर्च की गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे कार्यों के लिये बजट में मद तो है ही।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी मद है बजट की जिससे यह खर्च किया जाता है ?

†श्री कमलापति त्रिपाठी—स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती तथा गणतंत्र समारोहों का खर्च बजट की "५७-विविध व्यय-ञ-विविध और अप्रत्याशित व्यय-झ-दूसरे व्यय ९) स्वतंत्रता दिवस सम्बन्धी उत्सवों पर व्यय" मद से किया जाता है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह खर्च बराबर क्यों बढ़ता जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता यह हूं कि यह खर्च तो और बढ़ना चाहिये । गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े भारी प्रदेश में वह दिवस मनाया जाय । अभी तक जो खर्च होता रहा है वह मेरी राय में ज्यादा नहीं है और अगर कुछ और बढ़े तो मुनासिब ही होगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह खर्च स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिये किया गया उसमें वह खर्च भी शामिल है जो कि जिला मैजिस्ट्रेटों के पास जिलों में खर्च करने के लिये दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रश्न में तो केवल यहां के लिये था लेकिन जिला मैजिस्ट्रेटों को भी जो दिया जाता है वह भी खर्च इसमें शामिल है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि अन्य देशों के मुकाबिले में यह खर्चा बहुत कम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं सहमत हूं प्रश्नकर्त्ता महोदय की राय से ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक जिला मैजिस्ट्रेट को बराबर-बराबर धन दिया जाता है इस फंड से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—न प्रत्येक जिला बराबर है न प्रत्येक व्यक्ति ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह खर्चा हर साल किया जाता है तो कन्टिन्जेन्सी में से क्यों खर्च किया जाता है, अलग मद क्यों नहीं इसकी बजट में दिखाई जाती है ?

†श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़-आमिला सड़क पर पुल की आवश्यकता

*३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़-आमिला सड़क हर बरसात में जगह-जगह पानी के बहाव के लिये काटनी पड़ती है । अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन किन जगहों पर ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—यह सत्य है कि बाढ़ और बहुत अधिक बरसात के कारण आजमगढ़ से आमिला जाने वाली कच्ची सड़क तैगना जगदीशपुर, नकटा और नौरंगाबाद ग्रामों के पास तीन स्थानों पर खराब हो जाया करती है ।

*४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार इन जगहों पर जहां सड़क काटनी पड़ती है, पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान में यह पक्की सड़क होने जा रही है तो जहां यह सड़क कट जाया करती है तो वहां पर सरकार पुल बनाने का विचार करेगी ?

---

† २१ अक्तूबर, १९५५ को मंत्री महोदय द्वारा की गयी प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की आज्ञा से संशोधित ।

श्री कैलाशप्रकाश—यदि यह सड़क पक्की की जायगी तो जरूर इस बात की व्यवस्था की जायगी कि उन पर कल्वर्ट्स बनें ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-अमला नाम की कोई सड़क आजमगढ़ जिले में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जबाब दिया जा चुका है, जबाव पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं सवाल पर प्रश्न नहीं कर सकते ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़-अमला नाम की कोई सड़क आजमगढ़ जिले में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—वह समझ गये और वह भी समझ गये लेकिन आप नहीं समझे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष में ७५,००० रुपया बाढ़-पीड़ितों और सड़कों की मरम्मत के लिये प्रदान किया था । यदि हां, तो क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह शायद सही है लेकिन कितना रुपया दिया गया और कैसे खर्च किया इसकी इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

झांसी में मकानों का अभाव

*५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी सेन्ट्रल रेलवे का बड़ा भारी केन्द्र होने तथा वहां पर रेलवे के अलावा बहुत से अन्य विभागों के कार्यालय होने के कारण मजदूरों, क्लर्कों, साथ ही पुरुषार्थी लोगों की बहुत ज्यादा आबादी है जिसे मकानों की बहुत कठिनाई वर्षों से प्रतीत हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि वह इस समस्या को हल करने के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस वर्ष लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत सरकार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज (Co-operative Housing Societies) को तथा अन्य व्यक्तियों को भी गृह निर्माण के लिये ऋण देने जा रही है । इससे झांसी के लोग भी लाभ उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्त सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम (Subsidized Industrial Housing Scheme) के अन्तर्गत झांसी में १९५६–५७ में सरकार द्वारा ५०० क्वार्टर्स मिल मजदूरों के लिये बनाने का विचार है । इसके अतिरिक्त सरकार ने ५० दूकानें तथा क्वार्टर्स (दो कमरे वाले क्वार्टर्स) भी विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये हैं और ३० दूकानें उनके लिये और बनाई जा रही हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कितना रुपया झांसी में देने वाले हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोआपरेटिव सोसायटीज बनायी जा रही हैं और प्रार्थना-पत्र मांगे जा रहे हैं, उनके आने पर रुपये की व्यवस्था की जायगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहां केवल क्वार्टर्स बनाये गये, दुकान एक भी नहीं बनायी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके विषय में मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य कहेंगे तो सूचना प्राप्त कर ली जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह हाउसिंग स्कीम शहरों के अन्दर शुरू होने वाली है उनमें किन लोगों को रुपया दिया जायगा और किस शर्त पर दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोगों को मकान बनाने के लिये रुपया दिया जा सकता है। यह रुपया उन लोगों को दिया जायगा जिनकी आमदनी ६ हजार रुपये सालाना से कम होगी और जो २५ प्रतिशत रुपया जितना वह उधार लेना चाहते हैं उसको अपने पास से लगाने के लिये तैयार होंगे।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि झांसी में ५०० मकान मिल मजदूरों के लिये जो बनाये जायेंगे उनके लिये सरकार ने कोई जगह निर्धारित कर ली है ?

श्री कैलाशप्रकाश—किस स्कीम के अन्तर्गत ?

श्री गज्जूराम—सरकार ने अभी बताया कि मिल मजदूरों के लिये ५०० मकान बनाये जायेंगे तो क्या उसके लिये कोई जगह निश्चित कर ली है ?

श्री कैलाशप्रकाश—नोटिस की आवश्यकता है। अभी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार झांसी में पुरुषार्थियों के लिये जो लकड़ी की दुकान बनी हुयी हैं उनके स्थान पर पक्की दुकान बनाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जब कोई प्रश्न इस किस्म का रक्खा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को भी लेने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह स्कीम जहां अरबन एरिया में कोआपरेटिव सोसाइटी बन जायगी वहां उनको उधार दिया जा सकता है।

कोंच-नन्दीगांव सड़क का निर्माण कार्य

*७—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)—क्या सरकार को विदित है कि तहसील कोंच, जिला जालौन में कोंच-नन्दीगांव सड़क के निर्माण कराने की योजना पंचवर्षीय योजना में थी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां।

*८—**श्री चित्तरसिंह निरंजन**—यदि हां, तो उसको कब तक मुकम्मल कराने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आशा है कि यह सड़क वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के अन्त तक पूरी हो जायगी।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोंच-नन्दीगांव सड़क का निर्माण प्रारम्भ किस वक्त हुआ था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक मुझे ज्ञात है सन् १९५४ में इसका आरम्भ हुआ है।

श्री चित्तर सिंह निरंजन—क्या अभी तक इसमें कोई प्रगति हुयी है और क्या कोंच-नन्दीगांव सड़क पर कार्य शुरू हो गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तक उसमें ८ मील सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है और ४ मील पर पुल और पुलिया का कार्य पूरा हुआ है ।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद पर सरकारी ऋण

*९--**श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या यह सही है कि कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपना सरकारी कर्जा अदा करने में असमर्थ हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, केवल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद ही एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि अपनी आर्थिक स्थिति के ठीक न होने के कारण सरकारी कर्जा नहीं अदा कर पा रहा है ।

*१०--**श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या स्वशासन मंत्री विशेषज्ञों की एक कमेटी नियत करेंगे जो इस प्रदेश में ट्रस्टों के कार्य का निरीक्षण करें और और उनके खर्चे में कमी करें ?

श्री कैलाशप्रकाश--ऐसी कोई कमेटी नियत करने का प्रश्न सरकार के विचाधीन नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रदेश में प्रत्येक ट्रस्ट को सरकार का कितना रुपया देना बाकी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--सब कबाल टाउन्स के मुताल्लिक मेरे पास इत्तला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--वे सब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री सैयद अली जहीर--सब के बारे में मेरे पास इत्तला नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स को रुपया दिया गया है क्या सरकार उन पर कोई देखरेख रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--दो वर्ष से जहां जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं वहां वहाँ ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं उनके जरिये से सरकार जरूर देखभाल कर रही है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रति वर्ष इन ट्रस्टों को काफी रुपया अनुदान में दिया जाता है फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--आर्थिक स्थिति खराब होने का सबब यह है कि उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं । इन शहरों के डेवलपमेंट के लिये जितने रुपये की जरूरत होती है उतना रुपया बावजूद कर्जे के काफी नहीं होता । लेकिन जहां तक आमदनी का ताल्लुक है उसमें कोई खराबी नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर सरकार का कितना रुपया कर्जा है ?

श्री सैयद अली जहीर--साढ़े बारह लाख रुपया ।

अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि

*११--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसमें से कितनी भूमि सरकारी सिंचाई के साधनों द्वारा सींची जाती है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सरकारी सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित भूमि के तहसीलवार आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५० पर ।)

*१२—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सिंचाई मंत्री नये सिरे से सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र के कमान्ड का पुनः बंटवारा करने का विचार रखते हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई क्षेत्र के कमान्ड का पुनः बंटवारा करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले की सम्पूर्ण भूमि क्या हल के नीचे है ?

श्री राममूर्ति—आजकल गल्ले की गरानी के जमाने में गालिबन जरूर होगी ।

आजमगढ़ जिले की अतरौलिया-अहरौला सड़क को पक्का कराने की आवश्यकता

*१३—**श्री व्रजविहारी मिश्र**—क्या सरकार फूलपुर तहसील (आजमगढ़) की अतरौलिया-अहरौला सड़क को पक्का कराने के लिये प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं । यदि जिला नियोजन समिति इस सड़क को अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सुझावों में सम्मिलित करें और उसको ऊंची प्राथमिकता दे, तब सरकार इस प्रश्न पर वह योजना बनाते समय विचार करेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह सड़क इस क्षेत्र के दो व्यापक स्थानों अतरौला और अहरौला को भी मिलाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, मिलाती है । लेकिन इस सड़क के पास गौरी और नौपुर गांव भी आते हैं जिनको दूसरी सड़क से मिलाया जा सकता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि गौरी और नौपुर जो दो मुख्य स्थान हैं उनको अन्य स्थानों से मिलाने के लिये कोई सड़क का निर्माण होने जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अहरौला वाली सड़क से उनका मिलाया जाना सम्भव है ।

पंचायतघरों के निर्माण के लिए जिला पंचायत अधिकारियों को आदेश

*१४—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पक्के तथा कच्च पंचायत घरों के निर्माण का लक्ष्य प्रथम चार वर्ष में केवल १४ प्रतिशत ही पूरा हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

*१५—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दिशा में इतनी मन्द प्रगति के क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायतों के आर्थिक साधनों की कमी ।

*१६—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार सन् १९५६ के अन्त तक १२ हजार पक्के तथा २४ हजार कच्चे पंचायत घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करने के आवश्यक उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--पंचायतघरों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने के लिये समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी निर्माण का औसतन अनुपात बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--लगभग २० प्रतिशत ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में इस मद के हजारों रुपये पंचायत विभाग की मन्द गति के कारण लैप्स हो जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि य जो आंकड़े सरकार के पास आते हैं उनमें उन पंचायत घरों का भी जिक्र होता है जो अभी तक नामुकम्मल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--उम्मीद तो यही हैकि जो आंकड़े दिये गये हैं वे उन पंचायत घरों के हैं जो मुकम्मल हो गये हैं, यदि माननीय सदस्य को कोई और सूचना हो तो उसकी जानकारी प्राप्त की जायगी ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि योजना समितियों द्वारा स्वीकृति भाग समय से न मिलने और वर्षान्त में लैप्स हो जाने से कोटा जितना कि पूरा होना चाहिये अधिक से अधिक पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--साधारणतः यह बात नहीं है, सम्भव है कहीं-कहीं हो, यदि यह चीज सरकार के नोटिस में लायी जायगी तो उसका उपचार किया जायगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि सकार द्वारा जिला प्लानिंग कमेटीज को कोई आदेश जारी किया गया है कि अब पंचायत घरों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल सकेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह जरूर लिखा गया है कि अब केवल पंचायत घर न बनाये जायं । पंचायत घर के साथ स्कूल या सीड स्टोर और कोई चीज बनाकर पंचायत घर बनाये जायं ।

भरथना टाउन एरिया को सड़कों के निर्माण के लिये धन की आवश्यकता

*१७--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री भरथना (इटावा) टाउन एरिया को कुछ ग्रान्ट व लोन सड़कों को सुधारने के लिये देने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--ऐसा कोई प्रस्ताव तत्काल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष इटावा जिले के टाउन एरियाज को कोई धन लोन या ग्रांट के रूप में दिया गया ? यदि दिया गया तो किन किन को ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं ।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मंत्री जी भरथना टाउन एरिया की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए वहां की सड़कों के निर्माण के लिये लोन तथा ग्रान्ट देने पर विचार कर रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार के पास जो धन इस काम के लिये है उसके लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, उनके आने पर उन पर सरकार विचार करेगी और जिन को देना आवश्यक समझा जायगा धन दिया जायगा ।

कानपुर जिले की गांव पंचायतों में ग़बन

*१८—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि कानपुर जिले की गांव पंचायतों के पर्सनल लेजर का रुपया जो जिला प्लानिंग आफिसर के पर्सनल लेजर में जमा था उसमें कई हजार रुपये का गबन है ? अगर हां, तो यह गबन सम्बन्धी शिकायत कब मिली और कितने हजार रुपये का गबन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उपरोक्त मद के हिसाब की गड़बड़ी करने के अभियोग में कोई संबंधित कर्मचारी मुअत्तल किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, एक कर्मचारी श्री नमो नारायण निलम्बित किये गये थे ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस की मुअत्तली का क्या कारण है ? क्या सरकार इस पर प्रकाश डालगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन को कुछ रुपया वसूल हुआ जिस को उन्होंने पर्सनल लेजर में जमा नहीं किया, इसी अभियोग में उनको निलम्बित किया गया ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कितने रुपये की गड़बड़ी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—६४४५ रुपया १२ आना के विषय में ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने गबन किया ।

श्री शिवनारायण—इस ६००० रुपये में से अब तक कुछ वसूल हुआ है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, उसमें से ४८५० रुपया वसूला जा चुका है ।

श्री शिवनारायण—जो रुपया बाकी रह गया है उस की वसूली के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बाकी रुपया वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ६००० रुपया कितने दिन तक उस कर्मचारी के पास रहा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इन ६०००रुपये के गबन का पता एक दम नहीं लगा, वह साल ब साल वसूली करता रहा और किसी को इसका पता नहीं चला, बाद में जब जांच-पड़ताल हुयी तो पता लगा और हिसाब देखा गया तो मालूम हुआ कि पिछले दो-तीन वर्षों से वह रुपया अपने पास रखता रहा ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस मुअत्तल किये गये कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्य-वाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह जांच डिपार्डमेंटल करायी गयी या पुलिस इन्वेस्टीगेशन हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो विभागीय कार्यवाही हो रही है और विभाग द्वारा ही रुपये की वसूली का प्रयत्न हो रहा है ।

घाघरा तथा बड़ी गंडक नदियों से पूर्वी जिलों को क्षति

*१९—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को इसकी जानकारी है कि गोरखपुर में घाघरा तथा देवरिया में बड़ी गंडक इस समय भी उपजाऊ भूमि तथा गांव काट रही है ? यदि हां, तो कहां कहां और उसके बचाव के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—घाघरा और बड़ी गंडक दोनों नदियों के किनारे पर कटाव के कारण बहुत अधिक हानि होती है। इन नदियों की ऐसी दशा पूर्वी जिलों सीतापुर, लखीपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ व बलिया आदि में होती है ।

इन नदियों को तट काटने से रोकने के लिये और इनको निर्धारित मार्ग पर चलाने के हेतु विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है ।

*२०—श्री गेंदासिंह—बाढ़ से बचाव के लिये प्रदेश में कहां कहां पर क्या कार्यवाही हो रही है और उस पर कितना व्यय किया जा रहा है तथा अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ से बचाव के लिये आकस्मिक व अल्पकालीन योजनाओं और दीर्घकालीन साधनों का ब्योरा विवरण सूची अ, ब, स, और द माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५१–२६२ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गांव इस वक्त नदियों के किनारे कट रहे हैं उसकी सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है और अगर हां, तो किन-किन जिलों में कितने गांव कट रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना तो मिलती रहती है लेकिन इस वक्त एक-एक बताना कि कितने जिलों के कितने गांव काटे यह मुमकिन नहीं है । नोटिस मिलने पर यह सूचना दी जा सकती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नदियों के किनारे कई गांव और कई सौ घर किसानों के कट गये हैं और उनकी फसल भी कट गयी है और इस वक्त वह बे घरबार हो गये हैं और उनके लिये कहीं ठिकाना नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह पता है । ऐसे बहुत से गांवों को मैंने स्वयं देखा, इस साल भी देखा। मान्यवर, यह प्रश्न बहुत बड़ा है, यह बहुत व्ययसाध्य भी है और उसकी योजना भी बहुत कठिन है । हजारों मकान हरसाल कटते हैं और लाखों एकड़ जमीन भी कट जाती है । इसी कारण उसकी बड़ी विस्तृत जांच की जा रही है और उसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है कि आखिर यह बड़ी नदियां घाघरा, राप्ती और गंगा जो लाखों एकड़ प्रतिवर्ष काट देती हैं उसका नियंत्रण करना, इन फसलों की और गांवों की रक्षा करना क्या सम्भव हो सकता है और अगर हो सकता है तो कितना खर्च होगा ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी जो किसान बे घरबार हो गये हैं उनको जमीन देकर बसाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बात यह है कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में तो एक इंच भी जमीन बाकी नहीं है । नाली तक जोत ली गयी हैं रास्ते तक जोत लिये गये फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितना रुपया पिछले वर्ष मंजूर किया गया था उससे कम रुपया क्यों इस काम पर खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यदि सन् १९५४ से तात्पर्य है तो जितना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन के रूप में फ्लड कंट्रोल बोर्ड को मिला वह ५४ तक खर्च किया जा चुका है और ५५ के लिये जो एलाटमेंट हुआ है वह चल रहा है उसमें काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि उस पर पैसा खर्च होगा।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर और कोसी योजना की भांति ऐसी नदियों के लिये भी किसी योजना को बनाने के लिये राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने कोई मांग की है। यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--घाघरा, राप्ती, गंडक और गंगा इन नदियों को ट्रेन करने और उनसे जो कटाव होता है उसको रोकने के लिये खासी लम्बी योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बनी है और बनायी जा रही है। जितनी जांच-पड़ताल बाकी है वह हो जाने के बाद वह बन जायगी और वह भारत सरकार के, सेंट्रल फ्लड कंट्रोल और प्लानिंग कमीशन के सामने पेश होगी।

शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिये बाढ़ तथा सिंचाई संबंधी योजनायें

*२१--**श्री बशीरअहमद हकीम** (जिला सीतापुर)--क्या जिला खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा की सरहदों के बीच के क्षेत्र को जिसमें शारदा, घाघरा और दूसरी नदियां बहती हैं बाढ़ तथा वर्षा न होने के कारण जो हानि होती रहती है उसकी रोकथाम के लिये किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न में उल्लिखित जिलों में बाढ़ निवारक योजनाओं तथा सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं की सूची माननीय सदस्य अपनी मेज पर रक्खी हुयी विवरण पत्रिकाओं में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६३-२६८ पर)

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस लिस्ट में उस क्षेत्र का कोई हवाला नहीं है जिस क्षेत्र के मुताल्लिक सवाल किया है तो मैं यह समझूं कि वहां कोई काम नहीं हुआ है या आयन्दा होने के लिये भी कोई योजना सरकार ने नहीं बनायी है ?

श्री राममूर्ति--जहां काम नहीं हो रहा है वहां सर्वे हो रहा है और जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है तो वहां काम करने का इरादा किया जाता है।

श्री बशीर अहमद हकीम--यह जो लिस्ट दी गयी है इसमें आगे के काम को भी दिखाया गया है मगर इस क्षेत्र का कहीं जिक्र नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--किस क्षेत्र से आपका तात्पर्य है। जरा साफ करके सवाल करें। गोल सवाल का तो गोल जवाब ही मिलेगा ?

श्री बशीर अहमद हकीम--शारदा और घाघरा दोनों नदियों के दर्मियान का जो इलाका है जिसकी सरहदें खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा जिलों से मिलती हैं, इस इलाके के मुताल्लिक मेरा सवाल था लेकिन जवाब में कहीं इस इलाके का कोई जिक्र नहीं है।

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का जिक्र किया था उसमें जिलों का जिक्र किया था, सरहदों का जिक्र नहीं। इसलिये जिलों के बारे में जवाब दिया गया है और जहां जहां का सर्वे हो गया है वहां का जिक्र कर दिया गया है। अगर सरहदों का सवाल किया गया होता तो उसका भी ब्योरा दे दिया गया होता।

(†अ,ब,स,द और य)

इटावा स्टम्प नहर में लगी भूमि

*२२--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नानहूं (अलीगढ़) से एटा तक कोई नहर ऐसी है, जिसका इस्तेमाल कतई नहीं होता ?

श्री राममूर्ति--इटावा स्टम्प नामक एक नहर है जो इस समय सिंचाई के काम में नहीं आती है ।

*२३--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस नहर खारिजा की जमीन के इस्तेमाल की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--नहर खारिजा की जमीन के इस्तेमाल की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, इस समय अधिकतर भूमि बन विभाग द्वारा पेड़ लगाने के काम में लायी जा रही है ।

*२४--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नहर में कुल कितनी जमीन लगी है ?

श्री राममूर्ति--१२९३ एकड़ ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह नहर कब से सिंचाई के काम में नहीं आ रही है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति--गंगा कैनाल जब बन गयी तो उसके बाद से ऊपरी हिस्सा छोड़ दिया गया और कितना इलाका पड़ा हुआ है वह वन विभाग को दे दिया गया और उन्होंने वहां पेड़ लगा लिये हैं ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि उनके पास वहां की जनता से ऐसी कोई मांग आयी थी कि इस नहर की जमीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाय। यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री राममूर्ति--ऐसी मांगें वक्त वक्त पर आयी हैं, लेकिन उस जमीन को ठीक करने में करीब १६ लाख का खर्चा पड़ता है और उससे जो जमीन निकलेगी वह करीब १२००,१३०० एकड़ जमीन निकलेगी । इस तरह से उस पर इतना ज्यादा खर्चा होगा कि जिसकी वजह से उसकी उपयोगिता जाती रहेगी ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे जब वे अलीगढ़ का दौरा करने गये थे तो पब्लिक मीटिंग में कह आये थे कि नहर में जो जमीन लगी हुयी है वह किसानों को बांट दी जायगी और नहर की पटरी पर सड़क बना दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं कैसे कहूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गलत है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। यह प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ था कि इसको किसानों में बांट दिया जाय और यह सवाल भी पेश हुआ कि सड़क बना दी जाय । मैंने यह जरूर कहा था कि इस विषय पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे और बाटने में जो दिक्कत और तरदुद्द है उसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है । सड़क का मामला अवश्य विचाराधीन है ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि किसान वह जमीन स्वयं तोड़ लें तो सरकार को कोई खर्चा नहीं पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक बात और सोचने की है कि अलीगढ़, इटावा, आगरा और मथुरा के ऐसे जिले हैं जहां रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है । इस जमीन के ऊपर

जो ३८ मील है करीब ४ लाख के पेड़ लगे हुये हैं। अच्छा खासा जंगल तैयार हो गया है। जहां सरकार की यह नीति हो कि जंगल काटे न जायं वहां ३८ मील में लगा हुआ जंगल कटवा देना मैं समझता हूं कि बहुत मुनासिब न होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है, सरकार बताने की कृपा करेगी, कि मंत्री जी जब दौरा करने गये थे तो जनता ने शिकायत की कि जंगल इतना घना हो गया है कि मशहूर डाकुओं के गैंग उसी जंगल में रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डाकू तो भगवान की कृपा से जल्दी-जल्दी मारे जा रहे हैं।

पूर्वी यमुना नहर में कांधला के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता

*२५—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वी यमुना नहर में ग्राम फतहपुर पुल (कांधला के पास) के निकट साइफन छोटा होने के कारण बरसाती पानी रुकने से ग्राम फतेहपुर, गूजरपुर, आल्दी इत्यादि की खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—पूर्वी यमुना नहर में ग्राम फतेहपुर पुल (कांधला के पास) के निकट साइफन से बरसाती पानी के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती और उक्त ग्रामों में पानी रुकने से खरीफ की फसलें नष्ट नहीं हुयीं।

*२६—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि वे ग्राम इस आपत्ति से बच सकें ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—इस ग्राम के बरसात के पानी के निकास का प्रबन्ध विद्यमान है अतः नया नाला बनाने या साइफन को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।

*२७—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस नाले का पानी इस साइफन से गुजरता है ?

श्री राममूर्ति—गूजरपुर, मलकपुर और खन्द्रावली नाले साइफन के ऊपर आल्दी नाले में मिलते हैं और इन सब नालों का पानी इस साइफन से गुजरता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा जांच करायी है कि वहां पानी नहीं रुकता और साइफन काफी बड़ा है ?

श्री राममूर्ति—जांच तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जरिये से होती है। असिस्टेंट इंजीनियर जाते हैं और अगर ज्यादा जरूरत समझी जाती है तो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर जाया करते हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ९ दिनांक २९ दिसम्बर, १९५२ के उत्तर में यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर को लिख दिया गया है कि जिलाधीश द्वारा उचित कार्यवाही की जायगी, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—चीफ इंजीनियर को जरूर लिखा गया था और रिपोर्ट में यही दिया गया है कि उन्होंने उस साइफन को स्लोप पर ऊंचा बना दिया है। १९५४ में सात हजार रुपया खर्च हुआ और अब पानी का बहाव पहले से बहुत अच्छा हो गया है और अब पानी वहां नहीं रुकता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह साइफन जब दोबारा बनाया गया, तो किस अधिकारी ने जांच की कि यह दोबारा ठीक हो गया है ?

श्री राममूर्ति—अधिकारी का नाम इसमें दर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया उन सब कामों की देखरेख एक्जीक्यूटिव इंजीनियर किया करते हैं।

राज्य का सिंचित क्षेत्र

*२८—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार जिलेवार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिससे यह पता चले कि सन् १९५२ ई० में सिंचाई की भूमि का कितना क्षेत्र था और सन् १९५४ ई० तक वह कितना हो गया ?

*२९—इस सिंचाई के क्षेत्र में कितना क्षेत्र नहर का है और कितना ट्यूब-वेल्स का ?

श्री राममूर्ति—तारांकित प्रश्न संख्या २८,२९ से संबंधित सूचना की एक सूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६९–२७१ पर।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय उप मंत्री महोदय सूची के अन्त में जो योग है उसे पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—१९५१–५२ में ७८ लाख ३ हजार २ सौ ५८ और १९५३–५४ में ९० लाख ९७ हजार ८ सौ ११।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह १२ लाख ९४ हजार ५ सौ २३ एकड़ की बढ़होत्तरी हुयी है इसमें पूर्वी जिलों का हिस्सा केवल ७५ हजार ४ सौ ९८ एकड़ ही क्यों आता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूर्वी जिलों में काम प्रायः १९५२–५३ से शुरू हुआ है। १९५३–५४ की यह रिपोर्ट है। अगर माननीय सदस्य १९५५–५६ में सवाल करेंगे तो कदाचित पूर्वी जिलों के अधीन बहुत अधिक रकबा उनको मिलेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों का कोई जिक्र, किसी एक इंच का भी, इस लिस्ट में क्यों नहीं आया है ?

श्री राममूर्ति—अभी अर्ज किया कि उस जमाने में वहां काम शुरू ही नहीं हुआ था। उसका जिक्र कैसे होता।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आगरा और मथुरा जिलों में सिंचित एरिया में कोई बृद्धि नहीं हुयी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—क्योंकि वहां न तो नहरों का क्षेत्र ही बढ़ा है और न नहरें ही, इसलिये कोई बृद्धि नहीं हुयी है।

रायबरेली जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*३०—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज तक रायबरेली जिले में कितने ट्यूबवेल बनवाये गये ?

श्री राममूर्ति—रायबरेली जिले में अभी तक कोई राजकीय नलकूप नहीं बनाये गये हैं।

*३१—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में तहसील डलमऊ के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में जहां-जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वह ट्यूबवेल बनवाने को सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के अन्तर्गत आज तक कोई नलकूप न बनने का क्या कारण है ? क्या कोई असुविधा है ?

श्री राममूर्ति—रायबरेली में ज्यादातर एरिया को इस वक्त तक कैनाल से पानी मिल रहा है, और गंगा के खादर का जो हिस्सा है उसमें इतने रेविन्स हैं, कि वहां पर कोई इरिगेशन का काम हो नहीं सकता ।

श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार जिन क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई नहीं होती और न हो सकने की कोई संभावना है वहां पर ट्यूब वेल बनाने की बात पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे जिले जहां नहरों की सिंचाई अच्छी है करीब-करीब उनका तीन चौथाई एरिया नहरों से कवर हो जता है, वहां ट्यूबवेल बनाने पर तभी विचार होगा जब ऐसे एरियाज में जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है काम खत्म हो जाय ।

शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर गंगोली ग्राम में राजकीय नल कूप लगाने का विचार ।

*३२—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर सूखाग्रस्त गंगौली ग्राम में जहां पानी का अभाव है वहां नलकूप लगाया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां, एक राजकीय नलकूप लगाने का विचार है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विचार कबतक कार्यरूप में परिणत हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—अब वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, काम शुरू ही होने वाला है ।

मिर्जापुर शहर में गंगा घाटों को क्षति ।

*३३—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर शहर में गंगा जी के किनारे के प्रायः सभी पक्के घाटों की व्यवस्था बहुत शोचनीय हो रही है और वे बराबर टूटते जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*३४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार मिर्जापुर शहर के गंगा घाटों की सुरक्षा का प्रबंध करके निकट भविष्य में मिर्जापुर नगर को आगे और करने तथा नष्ट होने से बचाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मिर्जापुर शहर के गंगा घाटों की सुरक्षा और नगर को कटाव से बचाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की ओर प्रकाश डालेंगे ?

श्री राममूर्ति—इस सम्बन्ध में हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसर्च स्टेशन है वहां पर यह प्रश्न दिया गया है और वहां पर ही इसका सर्वे और जांच पड़ताल हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई रिपोर्ट आयेगी तभी उसके खर्चे का एस्टीमेट लगाया जायगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के घाटों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अनुमानित व्यय या आंकड़े बनाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी निवेदन किया है कि उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। उसके आने के बाद ही कोई एस्टीमेट खर्चे का बनाया जायगा ।

दुर्घटनाओं से बचने के लिये नलकूप विभाग के कर्मचारियों को आदेश

*३५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप विभाग में सन् १९४८ से अब तक कितने सेक्शनल मिस्त्रियों की मृत्यु कूपों पर कार्य करते हुये दुर्घटना से हुयी है, तथा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रश्न पर क्या विचार किया गया है ?

श्री राममूर्ति—नलकूप विभाग में सन् १९४८ से अब तक ५ सेक्शनल मिस्त्रियों की मृत्यु नलकूपों पर कार्य करते हुये दुर्घटना से हुयी है। इनमें से ४ की मृत्यु बिजली के धक्के से तथा १ की मृत्यु फलोर बोर्ड में गिरने से हुयी थी ।

इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रश्न पर विचार किया गया है, और नलकूप पर काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं कि वे बिजली के यंत्रों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बिजली की मशीनों तथा तारों को उचित रूप से पृथ्वी के सम्पर्क में लाने का भी प्रबंध किया गया है ।

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस विषय पर इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां । इलेक्ट्रिक्क इन्सपेक्टर ने उपरोक्त घटनाओं में से एक के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये । उन सुझावों के आधार पर ट्यूबवेल आपरेटरों तथा उन कर्मचारियों को, जो ट्यूबवेल पर काम करते हैं, आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप पर जो सरकारी मशीन आदि सामान होता है, उसकी निगरानी का उत्तरदायित्व किस कर्मचारी पर होता है ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल की सरकारी मशीन आदि सामान ट्यूबवेल आपरेटर के चार्ज में रहता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन पांच मिस्त्रियों की मृत्यु दुर्घटनावश हुयी उनको कोई मुआवजा दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—इस रिपोर्ट में तो नहीं है सूचना मिलने पर मैं आपको बता सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर महोदय ने क्या मुख्य सुझाव दिये थे, और वह क्या मुख्य निर्देश किये गये ?

श्री राममूर्ति—उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है :— "इसलिये सिंगल फेज मीटर के एक फेज और जमीन के तार को मिलाकर चलाना उचित नहीं है, तथा रोशनी के लिये जमीन के तार का प्रयोग न्यूट्रल के रूप में करना वर्जित है । इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश ट्यूबवेल आपरेटरों तथा उन कर्मचारियों को जो ट्यूबवेल पर काम करते हैं, दे दिये गये हैं और उनसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया जाता है कि वे बिजली के यंत्रों तथा तारों में कोई हस्तक्षेप न किया करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ट्यूबवेल की मशीन आदि की जिम्मेदारी यानी उसका उत्तरदायित्व सेक्शन मिस्त्रियों आदि पर भी है ?

श्री राममूर्ति—वह आपरेटर के पास रहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सेक्शन मिस्त्रियों के एसोसियेशन की ओर से शिकायतें आयी हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने इस आदेश के विरुद्ध सेक्शन मिस्त्रियों पर उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—कुछ इस वक्त याद नहीं, पर अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर दें तो और मालूमात की जा सकती है ।

मिर्जापुर जिले में मृतक पशुओं को उठाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*३८—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा के सदस्यों की ओर से २४ मार्च, १९५४ तथा २४ सितम्बर, १९५४ई० को मृतक पशुओं के चमारों द्वारा उठाने के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*३९—**श्री रामस्वरूप**—यदि हां, तो अब तक उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार ने मृतक पशुओं की खाल उतरवाने और उनको दफनाने का उचित प्रबंध गांव सभाओं द्वारा करने का समुचित और यथासम्भव प्राविधान पंचायत राज नियम संख्या १४५-ए में कर दिया है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी ने जो समुचित व्यवस्था की है उस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—उसमें यह है कि यदि जिस व्यक्ति का पशु मर गया है वह उसको उठाने का कोई प्रबंध न करे, तो वहां की गांव पंचायत उस पशु को उठाने का और उसकी खाल उतरवाने का प्रबंध कर सकती है और उससे उसकी मजदूरी ली जा सकती है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया था विधायकों की ओर से, उसमें उनकी ओर से क्या मांग की गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय ! जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसकी मांगें पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप मुख्य मांगें पढ़ दें ।

श्री कैलाश प्रकाश—मृतक पशु के चमड़े उठाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का ही स्वामित्व माना जाय ।

उठाने वाले व्यक्तियों को मृतक पशु उठाने की उचित मजदूरी निर्धारित की जाय ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि मृतक पशु उठाने वालो के लिये क्या मजदूरी उन्होंने निर्धारित की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न केवल उस समय उठता है जब ग्राम पंचायत उन से उन पशुओं को उठवावे । जब तक पशु का स्वामी स्वयं उसको उठवाने का प्रबंध करता है उस समय तक यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि विधायकों से जबरदस्ती मृतक पशुओं को उठवाया जाता है और उनसे उलटा जूता लिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—नहीं कोई सूचना ऐसी तो नहीं है और आज मेरे विचार से प्रदेश में कोई काम जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि मिर्जापुर में जबरदस्ती मरे हुए पशुओं को उठवाया जाता है और उनसे जूता लिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—हां, इसकी जांच करायेगी । किन्तु माननीय सदस्य स्वयं भी इसका उपचार कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो, कोई ऐसा नियम है नहीं कि किसी से कोई काम लिया जा सके ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उस प्रार्थना पत्र को पुनः देखने की कृपा करेंगे ? उसमें स्वयं इस बात की शिकायत की गयी है कि स्वयं उनसे जूता लिया जाता है ? जो आवेदन पत्र दिया गया है उसमें स्वयं लिखा हुआ है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अस्थायी इंजीनियर

*४०—**श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० में कितने इंजीनियर टेम्पोरेरी हैं, वह क्यों टेम्पोरेरी रखे गये हैं तथा उन्हें मुस्तकिल करने में सरकार को क्या दिक्कतें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग में ८५ इंजीनियर टेम्पोरेरी हैं । इनमें से २८ इंजीनियरों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है और वे शीघ्र ही स्थायी कर दिये जायेंगे । इस विभाग का काफी कार्यभार अस्थायी प्रकृति का रहता है और उसके लिये अस्थायी इंजीनियरों का रखा जाना अनिवार्य है । इस बात का ध्यान रखते हुये कि कितना कार्यभार स्थायी रूप का होगा, और उसके लिये कितने स्थायी इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, इंजीनियरों के पद स्थायी किये जाते हैं । १ अप्रैल, १९५५ से इंजीनियरों के १३ पद स्थायी किये गये हैं और इस बात की शीघ्र जांच की जायगी कि आगामी वर्ष में कितने पद स्थायी किये जा सकते हैं ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इंजीनियर्स को परमानेंट करने के लिये उनके पास कोई ऐसा वर्क लोड है, जिसके अनुसार वह उनको परमानेन्ट बनायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, वर्क लोड के हिसाब से भी इंजीनियर्स को परमानेन्ट किया जाता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी०डब्ल्यू०डी० में कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और फिर वह रिएम्पलाय किये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

*४१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२० सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट:—तारांकित प्रश्न ४० के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आजमगढ़ जिले में सहनूपुर बांध पर व्यय

*४३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में नदी के किनारे सहनूपुर पर जो बांध बन रहा था उस पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सहनूपुर पर जो एक मील लम्बा बांध टेस्ट वर्क के तौर पर जिलाधीश द्वारा बनाया गया उस पर १०,९२९ रुपया खर्च हुआ। इसके उपरान्त एक ३० मील लम्बे महीला गढ़वल बन्ध का आयोजन हुआ जिसकी जांच और सर्वे पर ६,००० रुपया व्यय हुआ।

गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया

*४४—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में कितने टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया हैं और प्रत्येक की जन-संख्या और वार्षिक आय क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना की विवरण पत्रिका सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७२ पर)

*४५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि श्रीनगर (गढ़वाल) टाउन एरिया कांग्रेस कमेटी का एक डेपुटेशन माननीय स्वशासन मंत्री जी से टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया में परिवर्तित कराने के लिये मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—तत्काल श्रीनगर को नोटीफाइड एरिया बनाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

*४६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि श्रीनगर गढ़वाल टाउन एरिया के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

श्री सैयद अली जहीर—तारीख ५ मार्च, १९५४ के अपने पत्र में कमेटी के सदस्यों ने यह सूचित किया था कि चूंकि सरकार श्रीनगर को नोटीफाइड एरिया घोषित करने में विलम्ब कर रही है, और उसने नगर की बाईपास रोड का निर्माण कमेटी के विरोध करने पर भी स्थगित नहीं किया है, अतः कमेटी के समस्त सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामूहिक रूप से त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं।

अल्मोड़ा-रामगढ़-भीमताल सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*४७—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार अल्मोड़ा नगर को मोटर मार्ग द्वारा ताकुला होते हुये बागेश्वर से और रामगढ़-भीमताल होते हुये काठगोदाम से जोड़ने का इरादा रखती है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं। अल्मोड़ा-ताल्लुका-बागेश्वर सड़क के निर्माण के प्रश्न पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जावेगा। सरकार ने अल्मोड़ा-खैरना सड़क का निर्माण स्वीकार कर लिया है, और उस पर इस साल निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। इस सड़क के निर्माण से अल्मोड़ा काठगोदाम के मोटर मार्ग की लम्बाई करीब ३० मील कम हो जावेगी। अतः अल्मोड़ा-रामगढ़-भीमताल वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

*४८—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि पिछली बार जब राज्यपाल महोदय अल्मोड़ा गये थे तो उन्होंने काठगोदाम-भीमताल-रामगढ़-अल्मोड़ा मोटर मार्ग बनाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री राज्यपाल महोदय ने इलमेड़ को रेलवे स्टेशन के निकट लानेवाली मोटर की सड़क के निर्माण की आवश्यकता प्रकट की थी।

आजमगढ़-बेल्थरा सड़क का निर्माण

*४९—**श्री रामरतनप्रसाद** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ से मधुबन होते हुये जो सड़क बेल्थरा रोड स्टेशन के दक्षिण रेलवे लाइन को क्रास करती है, वह कब तक बन जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आजमगढ़ से मधुबन होते हुये जो सड़क बेल्थरा की ओर जाती है, वह आजमगढ़ मोहम्मदाबाद, मोहम्बदाबाद घोसी, घोसी मधुबन तथा मधुबन बिल्थरा भागों में बंटी हुयी है। इनमें से आजमगढ़ मोहम्मदाबाद, आजमगढ़ बलिया रोड का भाग है। तथा मोहम्मदाबाद घोसी और घोसी मधुबन क्रमशः ओ०डी०आर तथा एम०डी०आर के रूप में तैयार कर दी गयी है। केवल मधुबन बिल्थरा ओ०डी०आर का जो भाग बलिया जिले में है उस पर काम पूरा होने के करीब है। तथा लेवल क्रासिंग का काम दिसम्बर, १९५५ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

नैनीताल जिले की सरगाखेत पहाड़-पानी मोटर सड़क

*५०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि नैनीताल जिले की सरगाखेत-पहाड़-पानी मोटर रोड निर्माण हेतु अभी तक काम नहीं शुरू किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार की सम्मति न मिलने के कारण कार्य आरम्भ न किया जा सका।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में नई रेलवे लाइनें बनाने का विचार

*५१—**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन्हीं नयी रेलवे लाइनों को उत्तर-प्रदेश में बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*५२—**श्री कृष्णशरण आर्य**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे रेलवे लाइनें कौन सी हैं तथा किस प्राथमिकता के अनुसार उनकी मांग की गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्राथमिकता के अनुसार मांगी गयी रेलवे लाइनों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ—२७३—पर)

पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा डुमैला के निकट पुलों के निर्माण पर विचार

*५३—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—क्या यह सत्य है कि जिला गढ़वाल के अन्दर लैन्सडाउन डिवीजन में पूर्वी नयार नदी पर २४ मील की लम्बाई पर चौमासु से मजियाड़ी सेड़ तक कोई पुल न होने के कारण पी० डब्ल्यु० डी० द्वारा स्थान पुछड़ी में पुल बनवाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा डुमैला के निकट पुलों के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है पुछड़ी पर पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बघौच घाट पर पुल-निर्माण की आवश्यकता

*५४—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—बघौच घाट पर जो पुल बनवाने के लिये सरकार ने गत वर्ष सप्लीमेंटरी बजट में ग्रान्ट स्वीकार की थी उस पुल को बनाने की शुरुआत हो गयी है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। जुलाई, १९५३ में सरकार ने बघौच घाट के पुल का निर्माण कार्य इस शर्त पर स्वीकृत किया था कि लागत का २/३ भाग जनता तथा जिला बोर्ड वहन करेगा तथा शेष १/३ सरकार प्रदान करेगी। परन्तु डिटेल्ड सर्वे के बाद उक्त पुल की लागत बढ़ गयी थी। जनता तथा जिला बोर्ड द्वारा पूरा भाग प्राप्त न हो सकने के कारण इस पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। इस वर्ष इस पुल के निर्माण का कार्य सरकार ने इस शर्त पर स्वीकृत किया है कि इसकी लागत का आधा भाग जिला बोर्ड तथा जनता वहन करेगी तथा शेष सरकार देगी। उक्त कार्य के लिये जो टेंडर्स मांगे गये थे वे ऊंचे होने के कारण स्वीकार नहीं किये जा सके। टेंडर्स दुबारा मांगे जा रहे हैं।

*५५—श्री राजवंशी—क्या सरकार को मालूम है कि बघौच घाट के आस-पास जरायम पेशा लोग अधिक रहते हैं और यातायात के साधन ठीक न होने के कारण बरसात के दिनों में सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—जी हां, बघौच घाट के पास कुछ बदमाश जरूर रहते हैं, परन्तु यह सत्य नहीं है कि आदी जरायम पेशा लोग उसके निकट रहते हैं।

द्वितीय भाग जी हां। सरकारी अधिकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते।

म्यूनिसिपल बोर्ड झांसी पर चुंगी का बकाया

*५६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के व्यापारियों ने उसके पास इस आशय की शिकायतें भेजी हैं कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड पर उनका कई सालों से जो हजारों रुपया चुन्गी की वापसी का बकाया पड़ा है अदा नहीं हो रहा है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी हां।

*५७—श्री लक्ष्मणराव कदम—यदि हां, तो या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बोर्ड को वापसी का कितना रुपया अदा करना और गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी रकम किस-किस वर्ष में बकाया थी ?

श्री सैयद अली ज़हीर—म्युनिसिपल बोर्ड झांसी को ३१ मार्च, १९५५ तक १,६६,८८७ रु० चुन्गी वापसी का अदा करना बाकी है, पिछले तीन वर्षों में नगरपालिका को निम्नलिखित चुंगी वापसी की रकम चुकानी थी—

३१ मार्च, १९५३ . . . . . १,८२,४८५
३१ मार्च, १९५४ . . . . . १,८०,१७२
३१ मार्च, १९५५ . . . . . १,६६,८८७

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड यह रुपया क्यों नहीं अदा कर रहा है और सरकार ने रुपया अदा कराने के लिये उक्त बोर्ड को क्या अदेश दिया है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड झांसी का इस विषय में यह कहना है कि पिछले बोर्ड ने आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण चुंगी वापसी की रकम अन्य मदों में खर्च कर दी, इस वजह से वह इस मद का रुपया अदा करने में असमर्थ रहा। नवीन बोर्ड इस बकाया चुंगी वापसी की रकम को यथासम्भव चुकाने में प्रयत्नशील है जैसा कि प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर में दिये आंकड़ों से प्रकट होगा। लेकिन सरकार ने यह समझते हुये कि बोर्ड को इस प्रकार पिछली

चुंगी वापसी की रकम को अदा करने में कहीं अधिक समय न लग जाय। कलेक्टर इन्चार्ज, झांसी डिवीजन को यह आदेश दिया है कि वह यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९१६ की धारा ३५ . अन्तर्गत बकाया चुंगी वापसी की रकम को अदा करने के लिये बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करे। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कुल वापसी की बकाया रकम आर्थिक वर्ष १९५६-५७ के अन्त तक अवश्य अदा हो जानी चाहिये।

प्रदेश के विद्युत हीन ट्यूबवेल

*५९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जो बन कर तैयार तो हो गये हैं परन्तु विद्युत् के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे नलकूपों की संख्या जुलाई, १९५५ के अन्त तक लगभग ३२५ थी। इनको शीघ्र बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*६०—श्री गज्जूराम—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

बस्ती जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता

*६१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुयी है कि बस्ती जिले में दवलहा और उसका थानों के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भागों में नहर के पानी की बाढ़ के कारण ६०० बीघा फसल की हानि हुयी है? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त क्षेत्र में बान गंगा नहर के शिरोभाग (Head-works) के निर्माण के समय जामुवार नदी में बहाये गये पानी से कुछ कृषकों की फसलें नष्ट हो गयी थीं।

क्षति ग्रस्त क्षेत्र की पैमाइश २५२ एकड़ भूमि है। कृषकों को ९,१७८,८० रु० का मुआवजा भी दिया जा चुका है।

नैनीताल जिले में कलसा नदी पर बांध की आवश्यकता

*६२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि तराई-भावर इलाके की सिंचाई हेतु गौला घाटी (नैनीताल) की कलसा नदी में बांध बनाये जाने के हेतु कोई सर्वे हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि कलसा नदी पर प्रस्तावित जलाशय के निर्माण की योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती इसलिये विस्तृत जांच पड़ताल (survey) नहीं की गयी।

आजमगढ़ जिले में नलकूपों का निर्माण

*६३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर और फूलपुर तहसीलों में किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में १४ नलकूप बन चुके हैं, तथा २ और नलकूप लगाने की योजना है। फूलपुर तहसील में ७ नलकूप बनाये जा चुके हैं। उपयुक्त स्थान मिलने पर और नलकूप बनाने पर विचार किया जायगा। नलकूप के स्थानों की सूची 'क' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २७४ पर)

*६४—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इन तहसीलों में कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल की योजना असफल रही ? यदि हां, तो कहां-कहां और वहां सरकार का क्या खर्च पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन तहसीलों मे जिन स्थानों पर ट्यूबवेल असफल रहे हैं उनका ब्योरा सलग्न सूची "ख" मे दिया हुआ है ।

इन असफल नलकूपों पर सरकार का लगभग २ लाख ५० हजार रुपया खर्च हुआ ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २७५ पर)

*६५—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में ट्यूबवेल कालोनी बसाने के लिये वह कितना रुपया व्यय करने जा रही है और इस सम्बन्ध में अब तक कौन-कौन से निर्माण-कार्य हो चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ शहर में ट्यूबवेल कालोनी बनाने के लिये लगभग २ लाख २५ हजार रुपया व्यय होगा । अब तक जो निर्माण-कार्य हुये हैं उनकी सूचना संलग्न सूची "क्ष" मे दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २७६ पर)

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई के लिये नलकूपों की आवश्यकता

*६६—श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को मालूम है कि बलरामपुर तहसील (गोंडा) के बड़े भाग मे राप्ती नदी से उत्तर पिपरा तक सिंचाई सम्बन्धी कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है ?

*६७—श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—यदि हां, तो सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र में अब तक नलकूप या अन्य सिंचाई सम्बन्धी कोई निर्माण कार्य क्यों नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील बलरामपुर में राप्ती नदी से उत्तर क्षेत्र की सिंचाई गनेशपुर कोहार गड्डी और बसेहवा बांधों की पुरानी नहरों से होती है । सरकार ने हाल ही में बघेलखंड और मझगवां बांध बनाये हैं, जिनसे सितम्बर, १९५५ से सिंचाई प्रारम्भ हो जायगी । दो और बांध गिरगिधी और खैरवान पर निर्माण कार्य चालू है और एक साल मे इन कार्यों के पूरा होने की आशा है । १४ अन्य छोटे जलाशय पर जांच एवं खोज प्रगति पर है । सस्ती विद्युत शक्ति के अभाव में नलकूपों का निर्माण किया जाना उचित नहीं समझा गया ।

*६८-६९—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—[२१ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

बनारस जिले में वरुण नदी पर पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना

१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि बनारस जिले में वरुण नदी पर कोनियां ग्राम के पास कोई बांध बनाने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनारस जिले में वरुण नदी पर कोनियां ग्राम के पास एक पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार ने मंजूर की है । उक्त पुल इस प्रकार बनाया जायगा कि वह पुल तथा पानी रोकने के लिये बांध का भी काम करेगा ।

आगरा में हीवेट पार्क और विजयनगर कालोनी के बीच एकत्रित राख

२—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या स्वशासन मंत्री को विदित है कि आगरा के मुख्य उद्यान हीविट पार्क और विजय नगर कोलोनी के बीच में बहुत दूर तक किसी व्यक्ति ने अनधिकार रूप से कोयला और कचरा इकट्ठा कर दिया है, जिससे नगर के स्वास्थ्य को एक विशेष खतरा पैदा हो गया है। यदि हां, तो सरकार उसे दूर करने का क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—हिविट पार्क और विजय नगर कालोनी के बीच में कोयला या कचरा एकत्रित नहीं है, परन्तु पार्क के उत्तर में जमीन के एक टुकड़े पर कोलये की कुछ राख एकत्रित कर रखी गयी है। सरकार को इससे नगर के स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचने की सूचना नहीं है। प्रशासक नगरपालिका इसे हटाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या यह जमीन जहां कचरा इकटठा किया गया है सरकारी एक्वीजीशन में है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं।

जिला बुलन्दशहर में सिल्ट ट्रैप का निर्माण

४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगर माठ ब्रांच मील नं० ४ में ग्राम म्यावाली जिला बुलन्दशहर में नशेब को दूर करने के लिये एक डिग्गी बनाई जा रही है। यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा उसके लिये किसानों की भूमि किस शर्त पर ली गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माठ ब्रांच के दायें किनारे मील ३.२ से ३.६ में ग्राम प्याली रसूल पुर दसना और जैतबापुर परगना दादरी जिला बुलन्द शहर में जलमग्न व ऊसर क्षेत्र को दुर करने के लिए एक सल्ट ट्रैप का निर्माण किया जा रहा है। इस पर अनुमानतः ४८,५५२ रु० व्यय होगा। उक्त सिल्ट ट्रैप में किसानों की पड़ने वाली भूमि को लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और किसानों को उचित हर्जाना दिया जायगा।

गाजीपुर जिले के फेफरा तियरा ग्राम नें नलकूप की आवश्यकता

५—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार गाजीपुर जिले के फेफरा-तेजपुरा ग्राम में राजकीय नलकूप बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले के फेफरा व तेजपुरा ग्रामों का रबी क्षेत्र बहुत कम है तथा धान की सिंचाई का प्रबन्ध गोंधनी ड्रेन में रेगुलेटर लगा कर किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त क्षेत्र का भू स्तर भी नलकूप के लिये अनुकूल नहीं है। इसलिये इस समय उक्त ग्रामों में नलकूप बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गढ़वाल जिले में गुलाबकोटी—जोशीमठ सड़क के निर्माण पर विचार

६—श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गढ़वाल जिले में जोशीमठ तक मोटर सड़क कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पीपलकोटी तक मोटर मार्ग बन ही चुका है और उस पर मोटर यातायात पिछले कई साल से चल रही है। पीपलकोटी से गुलाब कोटी तक सड़क निर्माण का कार्य चालू है और आशा है कि यह काम सन् १९५७ के अन्त तक पूरा हो सकेगा।

गुलाबकोटी-जोशीमठ सड़क के निर्माण के लिये सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है और अगर अनुमानित व्यय का प्रबन्ध हो गया तब उस पर भी काम आरम्भ किया जायेगा। यह अनुमान किया जाता है कि कार्य आरम्भ होने के दो साल के अन्दर यह सड़क का हिस्सा भी तैयार हो जायेगा।

उन्नाव जिले में नलकूपों की आवश्यकता

७—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि १९५५-५६ में उन्नाव जिले में कहां-कहां और कितने-कितने नल कूप लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

इलाहाबाद में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

८—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम ठुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या क्या है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—१३ ।

गाजीपुर जिले में कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि

९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सैयदपुर तहसील में कितनी भूमि पर खेती होती है और उसमें कितने क्षेत्र पर सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में २,०४,३०० एकड़ भूमि पर खेती होती है । अब तक इस तहसील में १३ नलकूप व दो रेगुलेटर बन चुके हैं, जिनसे १७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध है । इसके अतिरिक्त इस तहसील में ३३ और नलकूप लगाने का प्रस्ताव है । उस समय इस तहसील में लगभग ५४,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए, श्री कैलाश प्रकाश द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये, एक सदस्य निर्वाचित करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को निश्चित करे, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए श्री कैलाश प्रकाश द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इसके अनुसार मैं निम्न कार्यक्रम निश्चित करता हूं—

नाम-निर्देशन प्राप्त करने की तिथि तथा समय—१३ सितम्बर, १९५५, सायंकाल ४ बजे ।

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—१४ सितम्बर, १९५५, ३ बजे अपराह्न ।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय—२० सितम्बर, १९५५, सायंकाल ४ बजे ।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी ।

हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मुझे आपका ध्यान ३१ अगस्त, को हाई कोर्ट के हुए एक फैसले की ओर दिलाना है, जिसमें यहां विधान सभा में हुए कुछ प्रश्नों की ओर इशारा किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका, सितम्बर १.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह एक अचानक प्रश्न आप उपस्थित कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह प्रिवेलेज से संबंध रखता है। नियमों के अनुसार किसी समय मोशन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--तो वह तत्काल प्रश्नों के बाद ही किया जा सकता है। एक प्रस्ताव अब स्वीकृत हो गया और आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया है, इसके बाद यह नहीं आयेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे कुछ थोड़ी सी देर हो गई अखबार.....

श्री अध्यक्ष--आप इसको मेरे कमरे में बता दें।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, असेम्बली रूल्स रिवाइजिंग कमेटी ने आपसे यह प्रार्थना की है कि कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कमेटी आफ ऐश्योजरेंसज जो हों आप आरजी तौर पर उनके नियमों को विधान सभा में बतला दें, ताकि उन पर कार्यवाही हो सके, जैसा आपने कृपा करके ऐडवाइजरी कमेटी के बारे में किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष--शायद मैंने यह निर्णय कर लिया था लेकिन मैं देर स्वयं कर गया कि सदन से मैं पूछ लूं कि ऐसा करना चाहिये और सदन मुझे अनुमति दे दे। सदन की राय वैसे ही ले लूंगा। तो मैं कल करूंगा प्रश्नों के बाद और सदन अगर इस निश्चय पर पहुंचेगा कि मुझे कर लेना चाहिये तो मैं करूंगा।

*उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष--अब माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

†**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम तो मैं आपको बधाई इस बात के लिये देना चाहता हूं कि आपके सभापतित्व में ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक उपस्थित हुआ है और उसके पश्चात् आपके द्वारा इस सदन को बधाई देता हूं कि इस सदन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को पास करे और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा, यदि मैं माननीय कृषि मंत्री को इस बात के लिये बधाई न दूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक सदन के सम्मुख रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मौजूदा कृषि मंत्री का ही सौभाग्य है कि उन्होंने इस प्रान्त के लिये आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित किये थे। पहला विधेयक वह था, जिसके द्वारा जमींदारी-उन्मूलन करके इस प्रान्त के किसानों की आर्थिक

---

*३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

व्यवस्था को एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जिससे कि उनके आगे आने वाली सन्तान के लिये एक अच्छा भविष्य हो। दूसरा विधेयक माननीय मौजूदा कृषि मंत्री ने ही रखा। यह भी उनके लिये सौभाग्य की बात है कि जिसके द्वारा आज इस प्रान्त की आर्थिक-व्यवस्था भविष्य में एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगी।

मैं इसको माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विधेयक इसलिये कहता हूं कि वह इस भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था में गो का पालन करना आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। जिस प्रकार से शरीर की अवस्था और व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती यदि शरीर की रीढ़ ठीक न हो, यदि उसका पालन-पोषण ठीक से न किया जाय तो शरीर ठीक से नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ जो है वह गाय है, और गाय के पालन-पोषण हो पर इस देश की आर्थिक व्यवस्था रही है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम भूत काल की तरफ दृष्टि डालें तो भारत तभी बढ़ा हुआ है जिस युग और काल में गाय की सेवा इस देश में ठीक से हुई है। वह समय माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के लिये स्वर्णयुग कहा जाता है, जिसको कि हम कृष्ण का युग कहा करते हैं। कृष्ण के युग में भारत बहुत बड़ा देश था। भारत बढ़ा इसलिये था कि उस समय का जो सबसे बड़ा महापुरुष जो सब से बड़ा शासक था वह सबसे बड़ा गो-भक्त और गो-सेवक था और उसके आदर्श पर चल कर के सारा समाज, सारा देश गऊ की सेवा में रत था और चूंकि सारा देश और सारा समाज गऊ की सेवा में रत रहता था, इसलिये अच्छी--अच्छी और सुन्दर-सुन्दर गायें इस देश में थीं और गऊ की नस्लें चूंकि अच्छी थीं इसलिये हमारी आर्थिक व्यवस्था उस समय इतनी अच्छी थी कि यहां पर खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं थी।

इसके बाद और युगों के इतिहास को यदि हम उठा कर देखें तो यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि भारत के शासकों ने ऐसे आदर्श उपस्थित किये हैं, जिनके सहारे पर चलकर उस समय के समाज ने गऊ के आधार ही पर अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया था। यह एक अवसर के बाहर बात नहीं होगी जब मैं कहूं कि दिलीप और नृग के समय में भी यही व्यवस्था थी, जो कि पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के समय में थी। इसलिए उस समय की आर्थिक व्यवस्था और जब तक भारत के हाथों में पूर्ण रूप से अधिकार और शासन या समाज चलाने का नियंत्रण था तब तक उन्होंने अपनी इस आर्थिक रीढ़ को कभी छोड़ा नहीं था। यह भारत का दुर्भाग्य है और उस दुर्भाग्य के घटनाचक्र में हमारा देश गुलाम हुआ, दासता की बेड़ियों में जकड़ा और विदेशियों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर जब इस देश की सभी चीजों को ध्वंस किया कि उस समय जो देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थी, जिसके सहारे पर हमारे समाज की व्यवस्था चलती थी, जिसके सहारे पर हमारे सारे समाज का संतुलन था, उस रीढ़ को भी तोड़ने का उन्होंने निश्चय किया और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह बात छिपी नहीं है कि अंग्रेजों के शासन काल में खुले तौर पर फौजों के दरमियान जितना गो-बध हुआ करता था उतना शायद सारे समय को जोड़ कर भी फौजों के बाहर जो गो-बध होता था, नहीं होता था। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को ध्वंस करने का निश्चय किया और यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि जैसा आदर्श शासक समाज में रखता है उसी हिसाब से समाज भी आगे चलता है, और उसी आदर्श के सहारे भारत की इस रीढ़ को तोड़ने का प्रयत्न हुआ और उसी का फल यह हुआ कि इधर डेढ़ दो सौ वर्षों की गुलामी के काल में लाखों, प्रयत्न किये गये, इतिहास इस बात को कह सकता है कि उन्होंने बहुत तरीके से इस देश को मिलाने का प्रयत्न किया, रेलें बनायीं, नहरें बनायीं और मालूम नहीं क्या-क्या किया, लेकिन इस देश की आर्थिक व्यवस्था गिरती गयी। पहले नहरें नहीं थीं इस देश में। अंग्रेजों के आने के पहले सिंचाई के साधन नहीं थे इस देश में उस हद तक जिस हद तक उन्होंने पैदा किये, यातायात के साधन अंग्रेजों ने दिये, लेकिन फिर भी यह देश सुखी नहीं हुआ और इसलिये सुखी नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने जो यहां का आर्थिक ढांचा था उसको तोड़ने का संकल्प किया था। हमारा देश दुखी हुआ, भूखा हुआ और यही नहीं बल्कि हम आपस में लड़ने

लगे। इस समय पर यह एक बहुत अच्छा अवसर है यद्यपि इस विधेयक को कुछ और पहले आना चाहिये था। आजादी के ७–८ वर्ष के बाद इस रीढ़ की तरफ सरकार ने ध्यान दिया, हमारी उस आर्थिक व्यवस्था की तरफ, हमारी उस नींव की तरफ ख्याल किया जिसके सहारे पर इस देश का समाज आगे जा सकता है।

आज यह हम में से हर एक अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है। हम इस देश को महान् बनाने का रास्ता भूले हुये थे, देश ने जिस रास्ते को छोड़ दिया था और मैं तो इसे आर्थिक व्यवस्था से भी ज्यादा समझता हूं और आगे जाता हूं। यह कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, इस को मैं मानता हूं और मैं यह भी मानता हूं और आगे जाता हूं कि यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भारत को बड़ा देश बनाने का रास्ता है, भारत को महान् बनाने का रास्ता है, और भारत के समाज को बलिष्ट बनाने का रास्ता है, जिस पर चल कर जैसे कि पहले दिनों में संसार का इस देश ने नेतृत्व किया है उसी प्रकार का नेतृत्व करने का यह मार्ग है। इस मार्ग को खोल कर सरकार ने इस देश के साथ उपकार किया है। यह देश बड़ा होगा, यह देश महान् होगा जब इस देश में पूर्ण रूप से इस प्रकार की भावना पैदा होगी जिस प्रकार से कि योगिराज कृष्ण के युग में गायों के प्रति लोगों की सेवा की भावना थी। यह सही है कि केवल कानून बना देने से गाय की ठीक से सेवा नहीं हो सकती है। लेकिन यह भी बड़ा भारी झंझट था, अध्यक्ष महोदय जिसके हट जाने से सारे समाज के व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र में हों और कमियों को पूरा करने का संकल्प करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कानून बन जाने के बाद भी बहुत कार्य हैं लेकिन अभी तक पूरा समाज अटका हुआ था कि पहले कानून बन जाय, पहले मारना रोका जाय तब कोई व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय मुझे तो बड़ी शर्म आती थी यह देखकर और जानकर कि विदेशों में ऐसी ऐसी गायें और सांड़ हैं जिनके दाम लाखों में है और हमारे देश में यह स्थिति पैदा हो जाय कि मुरदा गायों के दाम ज्यादा और जिन्दा के कम तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठहर सकती है। लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद सरकार की तरफ से तो प्रयत्न हो ही रहे हैं और समाज भी उत्साहित होकर ऐसा कार्य करेगा और इस प्रकार के रास्ते निकालेगा कि यह भारत जो गायों का देश रहा है किसी और देश के पीछे नहीं रह सकता है।

मैं अन्त में अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये सरकार को बधाई देते हुये आपके द्वारा इस सदन के साथियों का और इस प्रांत के सभी वर्गों का इस कार्य में सहयोग के लिये प्रार्थना करूंगा। यह मैं मानता हूं कि यह प्रश्न धार्मिकता के ऊपर है, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर है और यह इस देश को बड़ा बनाने का रास्ता है, महान् बनाने का रास्ता है। हम यह भी मानते हैं कि यह प्रश्न कुछ हृदयों से भी संबंध रखता है और इस कानून के पास हो जाने के बाद लाखों सहृदयों को संतोष होगा और कुछ हृदयों को सुख और संतोष देने के लिये जिन व्यक्तियों ने त्याग किया है और समाज के जिन वर्गों ने उदारता का परिचय दिया है हम उनके भी आभारी हैं।

श्री ... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, इसमें केवल एक कमी रह गई है, उसको मैं आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं। आप यह बहुत अच्छा कानून लाये हैं लेकिन कहां जरूरत थी कि रेल्वे स्टेशन या हवाई जहाज पर बोनाफाइड पैसेंजर्स के लिये व्यवस्था की जायगी, इससे मुझे शुबह है, करप्शन बढ़ेगा, झूठ बोलने की व्यवस्था बढ़ेगी और कानून के पीछे छिपने की आदत इस समाज में घुसेगी। मारने वाला कोई न कोई बहाना ढूंढेगा और पचास तरकीब लगाकर मारेगा और सबूत नहीं मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जानता हूं कि इस समय भी इस प्रकार की बात नहीं होती तो फिर इसको कानून में क्यों रखा गया है, तो फिर इसको कानून में रखकर ऐसा वातावरण क्यों पैदा किया गया है जिससे भविष्य में चलकर कठिनाई पैदा हो सकती है?

[श्री रामनरेश शुक्ल]

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज की तरफ, एक सुन्दर भविष्य की तरफ हमने कदम उठाया है तो उस कदम को मजबूती से उठाना चाहिये और वह हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिये। उसमें इस बात को सोचकर कदम उठाना चाहिये जिससे भविष्य में कोई काम्प्लीकेशन्स पैदा न हों। कोई ऐसा रास्ता छोड़ देना जिससे कि भविष्य में ऐसी बात पैदा हो जिससे मनमुटाव होने की गुंजाइश हो यह उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं बल्कि हजार बार इस बात को सोचें कि यह जो हिस्सा इसके अन्दर रखा गया है उसको आप दूर कर दें ताकि भविष्य में कोई और इस मामले में संकट पैदा न हो। आपके द्वारा मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, कल दूसरे वक्त से इस अहम बिल के मुताल्लिक मैंने तकरीरें सुनीं। करीब करीब तमाम मुकर्रिर ने, हमारे साथियों ने इस पर तकरीर करते वक्त इस बिल को अहम कहा है। मैं भी इस बिल को बहुत अहम बिल समझता हूं, मेरे और उनके नुक्तेनजर में फर्क हो सकता है कि क्या-क्या पहलू इस बिल की अहमियत के हैं। क्यों आप इसको अहम समझते हैं और क्यों मैं समझता हूं? मैं इस बिल से पहले से मुत्तफिक था और हमारी तो ख्वाहिश यह थी कि इस बिल को कानून बनाने के जरिये से जो फायदा हम इस मुल्क के अन्दर हासिल करना चाहते हैं वह अगर बगैर बिल बने हुये हासिल हो जाता और मैं समझता हूं कि ९९ फीसदी हासिल हो गया तो फिर इस कानून को बनाने की मुबारकबादी देने की और इस कानून को यहां पर लाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता था।

जिस वक्त यहां पर गो-जिबह के खिलाफ एजीटेशन हो रहा था उस वक्त हम पर उधर के बैठने वालों की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया कि यह एजीटेशन इसलिये शुरू किया गया है, और इसलिये शुरू कराया गया है ताकि इसकी आड़ में बाद को यह बिल यहां पर लायें। ऐसा ख्याल करना हमारे लिये गलत है, उस वक्त यह समझा गया कि यह बिल यहां पर आयेगा। मैं यकीन रखता हूं कि ऐसा अहम बिल जो कि एक तरफ अक्लीयत यहां पर आबाद है उसके ऊपर पूरी तरह से असरअन्दाज होगा और दूसरी तरफ जो मैजारिटी यहां पर है उसके ऊपर भी असरअन्दाज होगा। दोनों जमात हिन्दू और मुसलमानों का इस बिल से और इस बिल के विषय की बहस से गहरा ताल्लुक है जो कभी टूटने वाला नहीं है।

जनाबवाला, मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूंगा कि जिस सूरत में यह बिल यहां पर लाया गया है और जो इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट में लिखा गया है उसकी बिना पर दो राय इस सूबे के अन्दर और दुनिया के अन्दर और इस सरजमीन के ऊपर हो सकती हैं। आप इक्तसादी तौर पर और इकानामिक बेसिस पर इस बिल को यहां पर लाये हैं। मैं हरगिज इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं कि इससे मुल्क को इक्तसादी फायदा पहुंचेगा। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर और हवाई जहाज पर डिब्बों के अन्दर गाय के गोश्त को खाने की आप इजाजत दें और दूसरी तरफ एक्तसादी और इकानामिक सदायें आप बुलन्द करें और उस वक्त इस कानून को लायें जिस वक्त कि ९९ फीसदी जनता गोकशी को छोड़ चुकी है और अगर कहीं कोई कत्ल होता भी है तो वह चोरी छुप्पा होता है। ऐसी हालत में हम समझते थे कि आप अपने इखलाकी असर से इस चीज को बन्द कर देंगे और इस बिल को इस तरह की शक्ल देने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि शराफत के साथ और इन्सानियत के साथ मुल्क में रहने के सबब से गो-जिबह को रोकने की एक सूरत हो सकती थी जिसमें इस कानून को लाने की जरूरत नहीं पड़ती मगर उस तरह से करने की आपके अन्दर वह जुर्रत नहीं है

मैं इसलिये इस बिल की कद्र करता हूं कि हमारी कौम का एक तबका गाय का अहतराम करता है और उस चीज के सामने हमको झुकना चाहिये था। हम नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते कि किसी भी मजहब के जजबे को हम चोट पहुंचावें। जिसे आप सैक्यूलर कहते हैं उसे हम भी सैक्यूलर कहते हैं। अगर आप यह कह कर बिल लाये होते कि इकानामिक नहीं बल्कि मजहबी जजबात की वजह से, एक तबके के जजबात की वजह से, उनकी कद्र करने की वजह से यह बिल लाये हैं तो मैं इसका समर्थन करता और तहेदिल से ताईद करता। हर मजहब के हर शख्स को हक हासिल है कि आजादी से अपने मजहब को माने और उसके ऊपर चले और दूसरे के मजहब की कद्र करे। सैकड़ों और हजारों साल से इस बात पर झगड़े होते चाले आये हैं मगर आपने देखा होगा कि जबसे मुल्क आजाद हुआ है तब से ये झगड़े शायद ही कहीं हुये होंगे, गाय के जबिहे पर झगड़ा हुआ हो। जब किसी के अन्दर इस बात के कहने की जुर्रत नहीं थी कि गाय के जबिहे को बन्द किया जाय हमने डंडे खाकर कहा था कि गाय का जबिहा रोका जाय और हिन्दुओं के मजहबी अहतराम की कद्र की जाय। लेकिन आप उस सही बात को न कहकर इकानामिक मसला कह कर बिल को लाये हैं। इससे मैं मुतफ़िक नहीं हूं।

मैंने कांग्रेस की खिदमत में अपनी जिन्दगी बिताई है और बाकी भी शायद बिता सकूं। आपने इस बिल के अन्दर कहीं भी यह नहीं रखा है कि उन गायों का जिनका आपने अनइकानामिक कहकर तजकिरा किया है उनका क्या इलाज होगा। जो गायें आज रास्तों में हमारी मोटरों और साइकिलों को नहीं निकलने देती हैं उनके लिये आपने कुछ नहीं सोचा है। अगर आप गाय का मसला दूध और घी की वजह से लाये हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। अगर गाय के अहतराम से कोई इन्कार करता है तो वह सूरज से इन्कार करता है। हम भी उसका अहतराम करते हैं। जब से हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होकर आजाद हुआ और पाकिस्तान बना और उसके बाद दोनों जगह क्या-क्या बलायें आईं यह सबको मालूम है। उसके बाद से जो आपने कानून बनाये, आप हमेशा खुलकर सामने आये जैसा कि आपने जमींदारी अबालीशन में किया था। मैं चाहता हूं कि इस बिल के बारे में भी आप खुलकर कहते कि हिन्दुओं के मजहबी जजबात के अहतराम की वजह से यह बिल लाया गया है और हम इसमें आपके साथ होते। यह बात सैक्युलैरिज्म के खिलाफ नहीं है कि हम एक बड़ी तादाद के मजहबी जजबात के अहतराम पर बहैसियत मुसलमान के यह कहें कि गाय का जबिहा रोका जाय। हम तो वे लोग हैं कि अगर कोई हिन्दू बकरी का भी गोश्त नहीं खाता है तो हम उसके पास बैठकर बकरी का गोश्त भी नहीं खावेंगे। अगर आप इकानामिक बेसिस पर यह बिल लाये होते तो आपको बकरी का जिबहा भी रोकना था और हमें भैंस का भी रोकना था जो गाय से ज्यादा दूध और घी देती है। खुद इलाहाबाद में बैठकर बिरादरी को बिठाकर हमने यह तय किया कि गाय का जिबहा न हो और इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। जब ९९ फीसदी यह चीज बन्द हो गई थी तो इस बिल की क्या जरूरत महसूस की गई, यह समझने से मैं कासिर हूं। आपके अफसरानों ने बकरीद के मौके पर भैंस की कुरबानी को रोका। हमने आपसे फरियाद की कि इसे बन्द कीजिये और हमको बतलाइये कि आखिर इस मुताल्लिक गवर्नमेंट की क्या पालिसी है, यहां हाउस में बतलाइये, पार्टी में बतलाइये या घर पर बतलाइये। बाज-बाज तकरीरों से यह भी जाहिर हुआ कि हमने यह थोड़ा कदम उठाया है और हम दूसरे कदम भी उठायेंगे। मैं इससे इत्तिफ़ाज करूंगा कि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं उनका सबका जबिहा बन्द किया जाय, कानूनन बन्द किया जाय। हालांकि हमारे मिनिस्टर साहेब ने यह साबित करने की कोशिश की कि यह इकानामिक सवाल है मगर फिर भी वह मजहबी जजबात को छिपा न सके। जहां तक अखबारों में आया कुछ न कुछ इसकी झलक आती है कि गाय की अहमियत से सभी वाकिफ हैं। जमाने की तारीख से हमारे मुल्क में गाय को इज्जत की नजरों से देखा जाता है। अगर इससे कोई इन्कार करे तो इसके मानी यह हैं कि वह इन्सान नहीं है। यह माना कि जो इज्जत की नजर से नहीं देखेगा उसे मजबूर किया जायगा इस कानून से कि वह भी इज्जत की नजर से देखे।

अगर आप यूरोपियनों की तरह से हमारे साथ बरतावा करेंगे तो आप हमको मौका दे रहे हैं कि हम आपसे इख्तलाफ करें। मुसलमान मजहबी अहतराम से किसी जानवर को नहीं देखता

[श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी]

है। लेकिन यह मानी हुई बात है कि चूंकि हिन्दुओं के यह अहतराम की चीज है तो उन्हें भी इसका अहतराम करना चाहिये। मुसलमान ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हिन्दू भी जो गोश्त खाते हैं इस बिल के खिलाफ चीख पड़ेंगे। आप ऐसा इन्तजाम करिये कि सूबे के अन्दर कोई बेकार न हो, तब इकानामिक मसला हो सकता है। आपको किसी का कारोबार नहीं छीनना चाहिये। क्या आपने यह सोचा है कि इस कानून के बाद कसाई लोग जो इस पेशे को करते आये हैं वे क्या करेंगे? मैंने यह भी देखा कि जबाने रुक रही थीं, हालांकि बहुत से लोग कुछ कहना चाहते थे। हमारी पार्टी के बड़े-बड़े लोग शम्भूनाथ जी भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि हमको इस तरफ इस तरह से नहीं देखना चाहिये जैसे और चीजों पर मजहबी नजर से देखते हैं। बाज दोस्तों ने यह भी कहा है कि और जानवरों को भी तो देखना चाहिये और खासतौर से जोरावर सिंह जी ने भैंस की तरफ ध्यान दिलाया था। वह भी दूध देती हैं और उसका भी जबिहा बन्द किया जाय। अगर सचमुच इकानोमिक सवाल है तो ऐसा बिल लाइये जिससे सभी दूध देने वाले जानवरों का जबिहा बन्द किया जाय। चाहे उसे सेलेक्ट कमेटी में लेजाइये या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में ले जाइये और वहां गौर कीजिये कि कानूनी ऐतबार से इसके अन्दर कोई खामी तो नहीं रह गई है। अगर आप सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर तवज्जह करेंगे तो वहां आपको मालूम हो जायगा कि इसके अन्दर क्या-क्या खामियां हैं, लेकिन यह मैं समझता हूं कि बाहर कुछ और ही प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई और बात कही जा रही है। एक तरफ तो कांग्रेस गवर्नमेंट गोवध कराती है और दूसरी तरफ कहा गया कि वह जलूस निकलवाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वह आज मुसलमानों को कमजोर समझती है कि अब पाकिस्तान बन गया, अब उनका वजन नहीं रह गया इसलिये आप इस कानून को लायें हैं। इसकी दलील में वे यह कहते हैं कि आज से पहले भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी लेकिन इससे पहले इस चीज की जरूरत क्यों नहीं हुई और आज वह लाया गया है। अगर यह पहले लाया गया होता तो मैं उसको सबसे पहले पेश करता और कहता कि एक चीज ऐसी है जिससे बड़ी बड़ी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन खरीदने वाली चीजों में मुहब्बत और प्रेम है और इसके जरिये से आप एक बड़ी भारी अक्सरियत का कोआपरेशन खरीद सकते हैं। और फिर यह किसी का फर्ज भी नहीं है कि हर वक्त आदमी बैठा हुआ कमजोर जानवरों को जिबह ही करता रहे।

मुझे आज बड़ी हैरत होती है उन लोगों को देखकर जो अंग्रेजों के जमाने में बड़े और इस तिजारत से उन्होंने फायदा उठाया। उस वक्त मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों ने हम लोगों से ज्यादा फायदा उठाया। मैं सोचता था कि इस चीज पर गौर करने के लिये यहां से ज्यादा मुनासिब जगह दूसरी हो सकती थी जिसमें सब पार्टियों जैसे संयुक्त दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरा सब पार्टियों के लोग मौजूद होते और वहां बैठकर सब अपनी-अपनी बातों को पेश करते। इसके अलावा हमने अपनी पार्टी में ऐसा भी तय किया था कि सदन के सामने कोई भी अहम बिल नहीं आने पायेगा जब तक कि वह पार्टी में डिसकस न हो जाय, लेकिन यकायक कल मैंने इसके बरअक्स देखा। मैं समझता था कि पहले यह पार्टी में आयेगा लेकिन मुझे ताज्जुब है कि यह चीज वहां क्यों नहीं आयी और यकायक हाउस के अन्दर क्यों आ गयी? इसकी मसलहत मैं नहीं समझ सका। चूंकि बार-बार इस चीज के सिलसिले में मुसलमानों का जिक्र हुआ इसलिये उनकी तरफ से भी कुछ आपसे कहने को मैंने मुनासिब खयाल किया। यह बिलकुल ठीक है कि अगर कोई मुसलमान गलतबयानी करता है तो उसको आप दुरुस्त करें और अगर कोई दूसरा गलतबयानी करता है तो वे उसको करेक्ट कर दें। अगर आप इसके एम्स एन्ड आबजेक्ट को बदल दें तो एक भी इसका इख्तलाफ करने वाला न होगा और साफ आप कह दें कि जिस मैजारिटी का रूल है, जिसकी इस सूबे में बहुत ज्यादा आबादी है, उसके मजहब के अन्दर हजारों वर्ष पहले से इस जानवर के मुताल्लिक अहतराम मौजूद था, जब इस तरह का झगड़ा भी नहीं था, उससे पहले भी उनके मजहब में ऐसा अहतराम मौजूद था जो हम सब सरेन्डर कर देते, इसको मंजूर करते।

फिर दूसरी बात एक और है। यह ठीक है कि इस कानून के जरिये आप बड़ी हद तक गोबध को रोक लेंगे, लेकिन जैसे ३०२ की दफा है कि अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको भी कत्ल कर दिया जायगा लेकिन उसके बावजूद भी कत्ल तो होते ही हैं। आज आप देखिये कि आपकी मशीनरी क्या करती है? होगा यह कि किसी एक शख्स ने किसी गाय को डंडा मार दिया और उससे उसकी मौत वाकै हो गयी तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जायगा। तो जहां तक पुलिस की मशीनरी का ताल्लुक है वह गैरजिम्मेदारी का सबूत देती है, चाहे वह इंसानों के बारे में हो या गैर-इन्सानों के बारे में हो। तो आप उसके हाथ में एक ताकत और दे रहे हैं और कोई तहफ्फुज अपने सूबे की पब्लिक को उनके हाथ से बचाने का नहीं किया है, जो कि गलत तरीके से काम कर सकते हैं। एक दफा आपने रखी है कि उन गायों को मारा जा सकेगा जिनके अन्दर कोई ऐसी कंटेजिअस या इनफेक्शस बीमारी हो जो दूसरों को लग सकती हो। मैं कहता हूं कि क्या इसमें भी रिश्वतखोरी नहीं हो सकती है? अभी-अभी ओरई के अन्दर सैकड़ों घरों में घुस-घुस कर लोगों ने बलवे किये लेकिन उसके लिये इजहारे अफसोस तक नहीं किया गया। फिर पुलिस की दयानतदारी पर इस चीज को छोड़ना कहां तक मुनासिब हो सकता है? इसका नतीजा यह होगा कि जो बेकसूर और बेगुनाह होंगे पकड़े जायेंगे और उनको सजा दी जायगी। गरीबों को पकड़ा जायगा, मारा जायगा, पीटा जायगा और उनका चालान कर दिया जायगा कि इस शख्स ने गाय को मारा है। आपने इस बिल के अन्दर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा है कि जो गलत तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम लगायेंगे कि इसने गाय मारी है, फर्ज कीजिये कि एक मुसलमान है जिसके लिये किसी ने कह दिया कि इसने गाय को मारा है, और वाकई में उसने इस काम को नहीं किया, तो उस गलत तरीके से काम करने वाले के लिये चाहे वह आपका कोई आला अफसर ही क्यों न हो कोई सजा होनी चाहिये थी लेकिन आपने यहां पर अपनी आंख बन्द कर ली है। इस तरह से गाय के नाम पर पुलिस वाले नाजायज फायदा उठायेंगे। मैं करीब ६ वर्ष से इलाहाबाद में देख रहा हूं कि वहां की हालत क्या है। जो मुअज्जिज अखबार पढ़ने वाले हैं वे इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप पुलिस वालों के हाथ को और मजबूत करते हैं। इस तरह की गलत कार्यवाही करने वालों के लिये कोई न कोई इन्तजाम आपको करना होगा और तभी आप इस चीज को बन्द कर सकते हैं। फिर आपको दो तीन इंस्टीटयूशंस भी खोलने पड़ेंगे। मेरी राय है कि अगर आप गाय के जिबहा को बन्द करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको चाहिये कि ऐसे-ऐसे इदारे खोले जायं जहां पर कि गायों को रखा जा सके और इस पर काफी रुपया खर्च करें। जो अपने को गाय का भक्त बनने का दावा करते हैं उनसे मैं कहता हूं कि अगर वे वाकई में गाय के प्रेमी हैं, गाय के भक्त हैं तो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसमें भी लगायें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---लगायेंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---जब आपने उस आन्दोलन को चलाने में रुपया लगाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भी रुपया लगायेंगे, खुदा करे कि आप इस नेक काम में अपना धन लगावें और रुपये लगा कर इदारे खोलें और खोलने के बाद उनमें ऐसी गायों को रखें जो इधर-उधर मारी-मारी फिरती हैं। आप अपने खाने में कुछ कमी करें, अपनी चर्बी को कम करें और उसको धूप में सुखावें तब जाकर असलियत का पता लगेगा। गाय भक्त बनने का दावा तो बहुत करते हैं लेकिन जब जेब पर हाथ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अभी हमारे पहले के भाइयों ने तकरीर करते हुए जिन जज्बात का इजहार किया, मैं उनका अदब के साथ अहतराम करता हूं और कद्र करता हूं और उस कद्र के साथ अपील करता हूं कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

कि जहां तक हो सके जिबह को बन्द किया जाय, बन्द हो भी गयी है। खुदा करे कि कानून के जरिये जो एकाध जगह हो रही है वे भी बन्द हो जायं। इसके लिये मैं चाहता हूं कि इस कानून के पास होते ही आप कोई ऐसा रूल हमारे सामने रखें जिसमें इस बात के लिये इन्तजाम हो कि अगर कोई गलत तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम लगावे तो उनको भी सजा दी जावे चाहे वह आपकी हुकूमत की मशीनरी का कोई आला पुर्जा ही क्यों न हो। ताकि यह न हो कि पुलिस जब चाहे गोली चला दे, जब चाहे किसी को पकड़ कर बन्द कर दे और उनके ऊपर कोई रोक लगा दे।

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि मैंने कुछ चन्द मिनट ज्यादा ले लिये हैं। मैं कल से तकरीर सुन रहा था और आपने इजहारे खयाल करने का मौका मुझे दिया इसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं तो चाहता हूं कि वे लोग जो मुख्तलिफ जाविये निगाह के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें ताकि वे अपना इजहारे खयाल करें। मेरे अल्फाज से आप नाराज न होवें, फिर भी अगर किसी लफ्ज से नाराज भी हो जायेंगे तो मजबूर होकर मुझे उसे भी फेस करना पड़ेगा और आपकी नाराजगी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इधर के बैठने वालों से मैं कहता हूं कि खाली अल्फाज से ताईद करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक वह लोग हैं जो बाद में बाहर से आकर शामिल हो गये और पहले जब कि वह कम्युनल जमात में थे तो एक भी लफ्ज कहने की जुर्रत नहीं हुई लेकिन आज अन्दर से कुछ भी समझते हों बाहर से यहां की अकसरियत को खुश करने के लिए या दब कर वह हां में हां मिलाते हैं, जो उनका नहीं चाहता लेकिन ऐसा करने के लिये वह मजबूर हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए। वह इकतसादी मसले में आपके साथ नहीं हैं अगर वह आपके साथ होते तो दस वर्ष पहले से होते जब कि हम आपके साथ आजादी की लड़ाई में हर तरह की बातें सुनने को तैयार थे और बरदाश्त करते थे। लेकिन हम इस तरह से किसी को खुश करने के लिये एक लमहे को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपको हकीकी मानों में खुश कर यहां की अकसरियत को और अगर आप सीधे रास्ते पर आयें तो मैं जरूर आपको मुबारक बाद दूंगा, अगर रास्ता गलत है तो खुश करना या मुबारकबाद देना बेकार है। मैं चाहता हूं कि आपको सही रास्ते पर लाकर मुबारकबाद दूं। हम भी चाहते हैं कि गाय का जिबहा बन्द किया जाय और आपको खुदा मुबारक करे, यही नहीं इन्सानों का भी जिबहा बन्द किया जाय और इस सूबे में बेहतरीन इन्तजाम किया जाय और गाय की नस्ल को बढ़ाने का भी यहां बेहतरीन इन्तजाम और कोशिश की जाय।

मेरे बाज दोस्तों ने अमरीका, आस्ट्रेलिया और रूस का जिक्र किया कि वहां कैसी कैसी बढ़िया नस्लों के जानवर होते हैं और वहां गौ भक्तों की तादाद की इन्तहा न हो, वहां गो भक्तों के मुल्क में ऐसी निकम्मी गाय हों और अमरीका वगैरा मुमालिक में वही २०-२० सेर और ३०-३० सेर दूध दें, यह हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए शर्म की चीज है। इसलिए हमारे लिए यह लाजमी हो जाता है कि हम एक तहकीकाती इदारा कायम करें कि जो इन जानवरों की नस्ल सुधारने के बारे में डिटेल में जाय और तहकीकात करे कि किस तरह से इन नस्लों को बेहतर बनाया जा सकता है और वह रिसर्च करे कि किस तरह से मजबूत और ज्यादा दूध देने वाले जानवर यहां पैदा किए जायं। अगर आप इस सूबे में इतनी तरक्की कर सकें कि जो गाय आज सौ डेढ़ सौ रुपये में मिलती है वह यहां आसानी से ५०---६० में मिल जाया करे। तो हम समझ सकते हैं कि हकीकी मानों में नस्ल की तरक्की की कोशिश की जा रही है और यह चीज यकीनन मुल्क के लिए फायदे-मन्द साबित होगी।

आखिर में मैं एक बात और अर्ज करूंगा और फिर खत्म कर दूंगा क्योंकि उधर के बैठने वाले शक न करें कि मैंने लोगों के दिल को मोह लिया है बल्कि हकीकत में ऐसी जरूरत हैं, वाकयात हैं कि जिनकी बिना पर मैं जरूरी समझता हूं कि हम और आप मुत्तफिक हो जायं कि गाय के अलावा जो दूसरे और जानवर हैं भैंस, बकरियां वगैरा उनकी तरफ भी उसी अन्दाज से तवज्जह करें जिस तरह से गाय की तरफ की जा रही है ताकि हमें दूध ज्यादा मिले और मुल्क की तरक्की हो। मैं कोई किसी जमाअत को खुश करने के लिए नहीं कहता, आप यह कानून शौक से बनावें। अगर हमारे यहां जानवरों की तरक्की होती है तो कोई वजह नहीं है कि हम उसके खिलाफ हों लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि हजारों मील रेल गाड़ियों में गोश्त आये और बिके, इसमें बहुत सी बातें पैदा हो सकती हैं। उसके बेचने वालों को और जिबहा करने वालों को पकड़ना मुश्किल होगा और तरह-तरह की बातें पैदा हो सकती हैं। जो वाकई मुजरिम होंगे वह बच सकते हैं और जो उससे ताल्लुक न रखते होंगे वह गिरफ्त में आ सकते हैं। इस चीज पर भी गौर करना लाजमी है।

आपने इस बिल में गाय का जिबहा करने वाले के लिए २ साल की सजा रखी है और १,००० रु० जुर्माना रखा है। बहुतों की राय है कि यह सजा कम है, कुछ साहबान का ख्याल है कि यह सजा ज्यादा है। मुझे २० साल या एक साल की सजा के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह जो १,००० रुपया जुर्माने की सजा है वह मेरे नजदीक ज्यादा है, सजा चाहे कत्ल करने वाले को कत्ल की जो इन्सान के हैं वही रखें उससे कानून की मन्शा पर कोई असर मेरे ख्याल में नहीं है। अगर कोई गलत आदमी पकड़ा जाता है तो आप की अदालत जैसा कि मुमकिन हो सकता है उसका घर बार सब नीलाम करा सकती है, अगर कोई पैसा न होने की वजह से पैरवी नहीं कर सका और जैसा कि रुख अदालतों का चल रहा है अगर कोई सबूत न पहुंचा सका चाहे वाकयात कुछ भी हों, तो फैसला गलत भी हो सकता है और गुस्से से या किसी और वजह से गलत आदमी पकड़ा जाता है तो उसके साथ ज्यादती हो सकती है और असल मुजरिम बच सकता है। बहुत से मौकों पर गलत सजायें अदालत देती हैं जैसा कि बजट के मौकों पर और दूसरे मौकों पर बार-बार शिकायत के तौर पर यहां मेम्बरान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इस चीज पर गवर्नमेंट गौर करे और बकिया और चीजों में मैं यहां के मेजारिटी के साहबों को यकीन दिलाता हूं, अपने मुहतरिम हिन्दू भाइयों को यकीन दिलाता हूं कोई उनसे दब कर नहीं, उनकी खुशामद में नहीं है उनकी अकसरियत से मरऊब होकर नहीं बल्कि दिल से यकीन दिलाता हूं कि मैं उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करता हूं, उनके जो मजहबी एतकाद हैं उनका एहतराम करता हूं, आज ही नहीं एहतराम करता रहा हूं उस वक्त भी करता रहा जब उनको कहने की जुर्रत नहीं थी उस वक्त भी कहता रहा और आज भी कहता हूं, आगे भी एहतराम करूंगा और मरते वक्त तक एहतराम करूंगा और मेरे दिल में उनके लिए वही एहतराम रहेगा और इसमें मैं अपने दोस्त राजा साहब से बहुत ज्यादा आगे रहूंगा।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल को महत्वपूर्ण इसलिये कह रहा हूं कि इस हाउस के सामने वास्तविक रूप में ऐसे दो तीन बिल आये हैं जो इस प्रान्त की ९५ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित थे। उनमें जमींदारी उन्मूलन बिल पहला बिल था जो इस प्रदेश की ९९ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित था। जो बिल आज पेश है वह भी ९९ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित बिल है और इसीलिये यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस पर बोलने में मैं अपना गौरव समझता हूं। और इसीलिये मैं इस बिल के लिये सरकार को और

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस बिल का आना बहुत जरूरी था और जल्दी ही आना चाहिये था लेकिन इस जैसे महत्वपूर्ण बिल को बनाने में, उसके ऊपर सोच-विचार करने में भी बहुत वक्त लगता है और इसीलिये इस बिल के आने में देर हुई है। हमसे पहले जो मित्र बोले हैं मैंने उनका भाषण बड़े गौर से सुना है और हमारे दोस्त फाखरी साहब जो अभी बोले हैं उनका भी भाषण बड़े गौर से सुना। मैं यह दृढ़ता से कह सकता हूं कि यह बिल किसी धार्मिक भावना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है अगर धार्मिक भावना रखते हुये भी यह बिल लाया गया होता तो भी अनुचित नहीं होता, ऐसी मेरी जाती राय है। देश की सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है कि क्या आर्थिक दशा उस प्रदेश की है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार यह बिल लायी है। स्वतन्त्रता प्राप्त हुई लेकिन चाहे समाजवादी हों, चाहे साम्यवादी हों, चाहे जनसंघी हों, चाहे हिन्दू सभाई हों सभी पार्टी के सदस्य इस राय के हैं कि आर्थिक और सामाजिक और नैतिक आजादी इस देश को नहीं मिली। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसको देखते हुये यह बिल अत्यन्त आवश्यक है। देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिये, देश की आर्थिक उन्नति के लिये सब से बड़ी जरूरत इस बात की है। आज आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है इसके लिये जरूरी है कि पशुओं की नस्ल ठीक हो और यदि उनकी हालत ठीक हो तो हम खेती भी ठीक से कर सकते हैं।

हमारे पूर्ववक्ता ने यह कहा कि यह बिल धार्मिक भावना से लाया गया है, यह बिलकुल गलत है। मैं उन महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बतला सकते हैं कि कुछ मुस्लिम स्टेट्स तक में गौ वध निषेध किया गया है? वहां कौन से हिन्दू हैं? धार्मिक भावना से वहां गौ वध निषेध नहीं हुआ। एकनामिक दृष्टि से वहां गौवध निषेध किया गया है। लेकिन हमारे यहां सेकुलर स्टेट होने के कारण इस बात को मद्देनजर रक्खा गया है कि ऐसी कोई बात न हो जाय जिससे अल्प संख्यकों के दिल में चोट लगे। लेकिन उनकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूं जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बतलाया कि इससे पहले ही हम लोगों में ९० फीसदी लोगों ने गौवध बन्द कर दिया था। जब ऐसी हालत है तो फिर ५ परसेंट के लिये ही जब ऐसा बिल आता है तो उनको इस बात के लिये स्वागत करना चाहिये कि हम तो उस सीढ़ी को पार कर चुके जिसमें हमको जुर्माना होता या पुलिस तंग करती। जब वह चीज हम नहीं करते तो उसके आने में क्या हर्ज है। उसकी वह पुरजोर ताईद करते। मंत्री महोदय का समर्थन करते और धन्यवाद देते, लेकिन वह धन्यवाद देना भूल गये। भूल ही नहीं गये उन्होंने कहा कि यह ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वह मंत्री महोदय को या गवर्नमेंट को धन्यवाद देते। इससे यह जाहिर होता है कि मुंह पर कुछ है और दिल में कुछ है। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। जो भीतर हो उसे ही मुंह से साफ-साफ जाहिर करना चाहिये। सेकुलर स्टेट में तो चाहे कोई मजहब वाला हो, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई सब के धर्म की रक्षा की जाती है। मैं उन नेताओं पर फख्र करता हूं जो चोटी पर बैठे हैं। जवाहरलाल जी की विचारधारा की केवल भारत में नहीं विश्व में प्रशंसा की जाती है, भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है और उनकी छत्रछाया में हर धर्म वाला सुरक्षित रहेगा। अगर गांधी जी की जो नीति है उसको हम सपोर्ट करते चलेंगे तो कांग्रेस जिन्दा रहेगी और हर सम्प्रदाय के आदमी की रक्षा होगी और किसी भी मजहब के आदमी को दिक्कत नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में आज देश में घी और दूध का कितना अभाव है। भली-भांति हमारा समाज यह जानता है कि गाय से कितने फायदे होते हैं। अगर हिसाब लगाया जाय तो गाय १८, १८ बार ब्याती है। अगर बछिया हो तो उससे फिर औलाद बढ़े। इससे देश का कितना फायदा हो सकता है? अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो एक लम्बा चौड़ा खाता, लेखा बन जाता है। इसलिये मेरा यह विचार है और आपसे यह प्रार्थना है और आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि बिल में जो यह क्लाज रक्खा गया है कि जो अपाहिज गाय हों या रोगी हों उनको मार दिया जाय तो मैं इसके लिये यह मुनासिब समझूंगा कि गोशालायें बनाई जायं जहां पर अपाहिज और बीमार गायें रक्खी जायं और उनको वहां हिफाजत से रक्खा जावे और वे वहां कुदरती मौत से मरें। उनको मारना जुर्म समझा जाय, वर्ना अच्छी से अच्छी गउयें और अच्छे से अच्छे बछड़े इस बहाने से डाक्टरों को पैसा देकर झूठा सर्टिफिकेट लेकर मार दिया जाया करेगा क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जमाना है। क्योंकि अच्छे से अच्छी नस्ल के जो बछड़े होते हैं उनके चमड़े से ही क्रम लेदर बनता है और जिसके बने हुए जूतों की कीमत १६, १७ रुपये होती है। अगर यह चीज नहीं करियेगा तो फिर जैसा मैंने कहा वह होता रहेगा। इसलिये मैं आपके जरिये से सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि यह क्लाज हटा लिया जाय। गौ किसी हालत में हो, बैल हो या इस किस्म का कोई भी जानवर हो जिससे देश के किसानों, नागरिकों और जनता को फायदा पहुंचता हो उसका वध करना जुर्म करार दिया जाय और उसके लिये सख्त से सख्त सजा दी जाय। मैंने देखा कि इस बिल में जुर्माना काफी है लेकिन सजा बहुत कम है। कम सजा देने के मानी यह हैं कि दिल से भय हटेगा नहीं। 'बिन भय होय न भक्ति', बिना भय के भक्ति नहीं होती। यह समझते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा को पूजते हैं तो उसके भय के कारण पूजते हैं। बहुत से नास्तिक लोग दुनिया में मौजूद हैं वह नहीं मानते। लेकिन परमात्मा है परमात्मा न होता तो आज प्रलय हो जाता खैर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर सजा हो। संशोधन करके बिल में सख्त से सख्त सजा रखी जाय। अगर कोई अपाहिज गाय या किसी तरह की गाय हो उसका कोई वध करता है तो सख्त से सख्त उसको सजा दी जाय।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आज बाहर से बीफ टिनों में बन्द होकर आता है अगर वह न रुकेगा तो यह समस्या किसी न किसी रूप में देश में बनी रहेगी। आपको मालूम है और सरकार को मालूम है और मैं चार वर्ष पहले देख कर आया हूं। कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद जिले में जहां मैं बीस वर्ष पहले था वहां गया था। वहां पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सीमा है। पाकिस्तान की पुलिस जो २४ रुपया पाती थी और हिन्दुस्तान की पुलिस जो ५० रु० पाती थी उनका क्या रवैया था? पाकिस्तान से सुपारी पचासों मन रोज आती थी और दूसरी चीजें इधर से चली जाती थीं। एक एक पुलिस कांस्टेबिल चार-चार, पांच-पांच सौ रुपया आमदनी करता था। मैं इसको अपनी आंखों से देख कर हैरान हो गया। अगर इस किस्म से वाकया रहा तो चोरी छुपी अमृतसर या बंगाल की सीमा से आयेगा और यह चीज हल होना बहुत मुश्किल हो जायगी। इसलिए सब से बड़ी चीज यह है कि जो विदेश से गोमांस आता है इसको बन्द करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में जो दूसरे देशों के लोग आयेंगे, उनको हमारे यहां पवित्र भोजन मिलेगा, यहां का रहन-सहन ऊंचा है, यहां का बर्ताव ऊंचा है। तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां कोई दस दिन के लिए आये और अपने साथ अपने देश से बीफ लेता आये उस पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए। अगर इस पर प्रतिबन्ध नहीं किया जायगा तो आपको इस विधेयक में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे आपने जौनपुर में मद्यनिषेध कर दिया और बनारस में नहीं किया। बनारस में

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

हजारों बोतल शराब जौनपुर जाती है और बिकती है। क्या पुलिस पकड़ नहीं सकती, पकड़ सकती है लेकिन नहीं होता। मैंने इसके लिए कई बार अनुरोध किया। इसी किस्म का रवैया इस बिल की निस्बत होकर रहेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिबन्ध उस पर भी लगावें जो बाहर से टिन में बन्द हो कर आता है या स्टेशनों और हवाई जहाजों में भी यह चीज बिकने न पावे तभी आप का यह बिल सफलता प्राप्त करेगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

तीसरी चीज यह कही है कि वास्तविक चीज गऊ की हिफाजत है। आज कल की जो समस्या है वह हिन्दू समाज पर बहुत कलंक की चीज है। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं। बहुत सी ऐसी गायें हैं जो घर में जब तक दूध देती हैं उनको अच्छी तरह से भोजन दिया जाता है, लेकिन जहां दूध खत्म हो गया तो यह सोचते हैं कि तीस चालीस रुपये मिल जायं तो यह बला अपने सर से हटाएं। जो उसको ले जाता है वह उसको दस पांच रुपये में बेंच देता है और वह वहां जा कर मारी जाती है। यह चीज बन्द होनी चाहिये, यह प्रचार के जरिए से हो सकता है सरकार को चाहिये कि इसके लिये खास तरीके से प्रचार करे। कानून तो बन जाता है शारदा ऐक्ट बन गया लेकिन आज भी बाल विवाह होता है क्योंकि सरकार ने उसका विचार नहीं किया। रात दिन मैं देखता हूं कि आठ दस वर्ष का बच्चा हुआ बस शादी कर दी। पिछड़ी कौमों में अक्सर ऐसा होता है और सवर्णों में भी ऐसी शादी हो जाती है। इसलिये सब से जरूरी चीज यह है कि सरकार इसके लिये प्रचार करे। वह प्रचार नहीं होता। जब तक समाज उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता तब तक उस पर असर होना इस लोकतन्त्र युग में बहुत मुश्किल है।

इतने शब्द कहते हुए आप को फिर बधाई देता हूं कि जो आपने मौका दिया और आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे मौकों पर मुझको इजाजत देंगे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर जिस पर बहस हो रही है इस सरकार ने इस भवन के अन्दर यह विधेयक समय के अनुकूल पेश किया इसको देखते हुये मैं हृदय से अपनी सरकार को और विशेष रूप से मंत्री महोदय को बधाई देती हूं। आज जब मेरी सरकार और देश के रहने वाले निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, देश के उत्थान की तरफ जा रहे हैं तो इस देश का उत्थान और निर्माण उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि इस देश में गाय की रक्षा नहीं की जा सकती। हमारे पूर्वजों ने गाय को गऊ माता कह कर इसलिये पुकारा था कि देश में गाय की रक्षा और पालन किये बिना अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते थे। मेरे एक भाई ने कहा कि धार्मिक दृष्टि को सामने रखते हुये सरकार ने यह बिल पेश किया है। मुझे दुख होता है कि आज इसको धर्म का रूप दिया जा रहा है। इस गोवध का बन्द करना और रक्षा करना धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये हमारा देश जो कृषि प्रधान है कभी उन्नति नहीं कर सकता, अगर गाय की रक्षा हम नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर योग्य व्यक्तियों की समिति नियुक्त हुई उसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और सिख, सब सदस्य थे उन्होंने सर्व-सम्मति से पूरे आंकड़ों की जांच करते हुये रिपोर्ट दी। उन व्यक्तियों ने यह देखा कि देश का लाभ इसी में है कि गो कशी यहां बन्द हो। विधायक यहां विधेयक पास कर के बहुत थोड़ी सी गायों की रक्षा कर सकते हैं। आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि ९०० गायें लीगली आप के प्रदेश में कटती है। इस विधेयक के बनने के बाद आप ९०० गायों की रक्षा करते हैं। लेकिन जिस जिले से मैं आती हूं वहां आस पास के जिलों में इल्लीगली बहुत सी गायें कटती हैं। हम मौरली हिन्दू मुसलमान से अपील करके उन गायों की रक्षा करा सकते हैं। आज धार्मिक रूप देने से मैं पूछती हूं अपने भाइयों से क्या बूढ़ी गाय को हिन्दू कसाई के हाथ में नहीं बेचता? क्या जो गाय दूध देने से छूट जाती है उसको चारा न देना पड़े इसलिये कसाई के हाथ में नहीं देते? हमें उन

हिन्दुओं को भी समझाना है जो ऐसा करते हैं। हम उन मुसलमानों में प्रेम से सद्भावना पैदा करेंगे यह दिखा कर कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब गऊ को माता समझें। आखिर माता सिर्फ हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि हर कौम की है।

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप प्रदेश की आर्थिक अवस्था पर दृष्टि डालेंगे तो आर्थिक अवस्था तभी सुधर सकती है, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान तभी खेती-बारी में उन्नति कर सकते हैं जब कि उनके बैल मजबूत हों, हम अपनी गायों को तभी रक्षा कर सकेंगे। अपने प्रदेश में अच्छी गाय की नस्ल तभी पैदा कर सकते हैं जब अपने प्रदेश में गोवध को बन्द करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने बहुत से भाइयों से निवेदन करना चाहती हूं कि इन भावनाओं से बहुत से प्रभावित हो कर नहीं हमारी सरकार ने इस विधेयक को इस समय लाने में बहुत सहनशीलता से और बहुत सोच विचार से समय के अनुसार इस समय इस विधेयक को सदन के अन्दर उपस्थित किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को एक दफ़ा फिर बधाई देती हूं।

श्री मुहम्मद नसीर (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है, यह देखते हुये कि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है, यह देखते हुये कि हमारी आर्थिक दशा बहुत शोचनीय है, यह देखते हुये कि हमारे स्वास्थ्य का जहां तक संबंध है वह दिन प्रति दिन गिरता ही चला जाता है, ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिये कुछ सहायक हो सकता, इसकी आवश्यकता थी कि हमारे देश में हमारी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को कुछ सुधारने में सहायक होता, क्या ऐसा ही है? एक चीज इस विधेयक पर वाद विवाद करते समय हमें अपने समक्ष और रखनी चाहिये और यह कि हम यहां किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं हिन्दुओं का। हम यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं मुसलमानों का! इसलिये कोई ऐसी भावना आज इस विषय पर वाद विवाद करते समय मुसलमान या हिन्दू धर्म की उठायें तो वह इस सदन के सदस्यों के लिये कोई शोभा की बात नहीं होगी। ऐसी सूरत में मैं आपसे सानुरोध कहूंगा और आप के द्वारा तमाम सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वाद विवाद करते समय वह केवल इस दृष्टिकोण को सामने रखें कि विधेयक के द्वारा आया हमारी आर्थिक स्थिति को कुछ सहायता मिलती है या नहीं।

हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है, इसमें ८० प्रतिशत किसान रहते हैं तो उनकी उन्नति के लिये, कृषि की उन्नति के लिये हमको ऐसे विधेयक के लाने की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। देखना है कि यह विधेयक हमारी इस आशा की पूर्ति में कितनी दूर तक सहायक होता है। यदि हम यह देखें कि हमारे देश में गायों की स्थिति क्या है, बैल कैसे हैं, उनके डील-डौल कितने बड़े हैं, वह हमारे कृषि के काम के लिये कितने उपयुक्त हैं, तो हमारी गर्दन लज्जा से नीची हो जाती है और यही मानना पड़ता है कि हम अपने को इस देश का निवासी कहने के बावजूद भी अपने को ऐसा नहीं बना सके कि हम दुनिया के अन्य देशों का कुछ मुकाबला कर सकते। इस सम्बन्ध में हमें उसकी उन्नति के सिद्धांत पर अवश्य विचार करना ही पड़ेगा। मैंने जैसा कि अभी कहा और यह विधेयक इसीलिये लाया गया है तो मैं बहुत ही शोक के साथ यह स्वीकार करता हूं कि मैं इस बात पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता कि यह विधेयक हमारे आशय की पूर्ति में पूरी-पूरी सहायता दे सकेगा और यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री जी के लिये कोई बधाई देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं यह तो समझ सकता हूं कि ऐसे तमाम पशुओं पर जो हमारी खेती के लिये और हमारी कृषि के काम के लिये सहायक होते हैं उनके बध पर निःसन्देह रोक लगनी ही चाहिये और ऐसी गायों के बध पर भी जो हमारे लिये बच्चे पैदा करें, कृषि के काम में हमको सहायता देते हों उनके वध पर प्रतिबन्ध लगाना ही चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं जो

[श्री मुहम्मद नसीर]

अपनी अन्तरात्मा की गहराइयों में यह पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। जब तक हम अपने देश के बच्चों के लिये दूध का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे, हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम सुन्दर नागरिक इस देश के लिये पैदा नहीं कर सकेंगे। अन्य देशों को जब हम अपनी निगाह में रखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह विधेयक कहां तक उस आशय की पूर्ति करता है जिसके लिये इसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।

महोदय, मैं उन लोगों में से नहींहूं जो इस विधेयक के सम्बन्ध में यह एतराज करें और यह कहें कि इस विधेयक के कारण चूंकि बहुत से उन लोगों का जिकना मुख्य काम गौवों की हत्या के कारोबार से संबंधित कारोबार से है, उनको धक्का लगेगा, जैसा कि मेरे परम मित्र मौलाना शाहिद फाखरी ने कहा। अगर हजार दो हजार, लाख दो लाख कसाइयों के कारोबार को देश की उन्नति के लिये धक्का लगता है तो मुझे उनको धक्का लगने की कोई पर्वाह नहीं है। एक आगे बढ़ने वाले राष्ट्र को, एक आगे बढ़ने वाले देश को इसकी कौन सी पर्वाह हो सकती है कि कितने आदमियों के साधन को देश के आगे बढ़ने में धक्का लग रहा है। क्या हम ही ने जमींदारी विनाश के कानून को स्वीकार नहीं किया ? क्या उस के कारण हमारे प्रदेश के लाखों रहने वालों के जीवन पर जिनके प्रति हम अब भी सद्भावना रखते हैं, धक्का नहीं लगा ? क्या उनके बाल बच्चे एक बहुत बड़ी यातना को सहन नहीं कर रहे हैं ? लेकिन उस समय हमने यह नहीं देखा कि जमींदारी विनाश के कारण कितने आदमियों को धक्का लगेगा ? बल्कि हमने उस समय यह देखा कि उस से हमारे देश के किसानों की कितनी उन्नति हो सकती है। इसी तरह से हम बहुत सी चीजों का राष्ट्रीयकरण करते जा रहे हैं, उससे कितने ही आदमियों को धक्का लगता है। हम यह भी देखते हैं कि हमारे यहां का रोडवेज विभाग अपनी बसें बढ़ाता चला जाता है। उस से बहुत से आदमियों के कारोबार को धक्का लगता है तो अगर कुछ कसाइयों को धक्का लगेगा तो हमें इसकी पर्वाह नहीं करनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विधेयक उस आशय की पूर्ति करता है जिसका इसकी भूमिका में दावा किया गया है ? जब मैं यह देखता हूं तो मेरी गर्दन लज्जा से झुक जाती है। मैं अपने मंत्री महोदय से और उनकी इंटेलिजेन्शिया से यह आशा रखता था कि वे एक ऐसा विधेयक जो हमारे लिये उपयोगी हो इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें कहीं भी कोई ऐसा उपाय नहीं बताया गया है कि उन गायों के लिये क्या होगा जो आज हमारे देश के लिए एक बोझा हैं ? जब आप गऊ माता कहते हैं तो आप यह आशा न रखिये कि मैं गऊ को माता कहूंगा। क्या आप भैंस को भी माता कह सकते हैं ? मैं जानता हूं कि गाय मनुष्य के लिये है, मनुष्य गाय के लिये नहीं है। हां, अगर आप के अन्दर कोई छिपी हुई भावना है तो आप नाराज होंगे। लेकिन अगर इस विधेयक के अन्दर आपने ऐसे जानवरों के लिये जो हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं, जिनमें बच्चे देने की योग्यता नहीं है, जो अशक्त हो चुके हैं और जिनके लिये आज हमारी तमाम शक्तियां और जो कुछ भी हमारे पास साधन हैं उनके होते हुये भी आज हम उनको अपने देश के लिये उपयोगी नहीं बना सकते तो क्या कारण है कि आप उनकी रक्षा कर के हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं ? आपको इस पर विचार करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आपकी सनत व हिरफ़त को इस विधेयक से क्या हानि होगी। आपको उन लोगों की रायों को भी इकट्ठा करना होगा कि जो जानते हैं कि मरे हुये जानवरों के चमड़े और जिन्दा जानवरों के चमड़े में क्या अन्तर है ? तो क्या हमारे देश के लिये यह हितकर नहीं होगा कि उन निकम्मे जानवरों को जो हमारे देश के लिये बोझा हैं हम जल्द ही खत्म कर दें और उन गायों की जो हमें दूध दे सकती हैं उन्नति करें। यह एक विशेष महत्व का प्रश्न है, परन्तु मुझे खेद है कि इसका कोई प्रबन्ध इस विधेयक के द्वारा नहीं किया गया है, इसका एक ही परिणाम होगा।

श्री अध्यक्ष--अभी कितने मिनट भाषण आप करेंगे ?

श्री मुहम्मद नसीर—मैं दो मिनट में खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और भी निवेदन करनी है। जब कोई विधेयक हम इस सदन के समक्ष उपस्थित करें तो हमें एक चीज और विचार करनी पड़ेगी कि हमारा यह देश जिसमें हमने एक विधान स्वीकार किया है उसमें हमने यह चीज मान ली है कि हमारी सरकार कोई धार्मिक सरकार नहीं है। परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि इस देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनके धर्मों में हम कोई बाधा डालें। हमने इसका उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लिया है कि हर एक का धर्म, हर एक का कल्चर और हर एक की सभ्यता अगर कोई है तो उसकी पूरी-पूरी रक्षा हो। जब सरकार इस रक्षा का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेती है तो हमें यह देखना है कि कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक के लाने की वजह से किसी धर्म को धक्का तो नहीं लगता है। अगर हम समावेश कर सकते हैं उन चीजों का जिनके जरिये से हम कृषि में उन्नति करें, सब चीजों में उन्नति करें और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और आगे बढ़ें और हम आगे जाने वाले अग्रगामी और उन्नति करने वाले देश के नागरिक बनें और देश को आगे बढ़ा सकें और किसी धर्म में रुकावट डालने का संदेह न हो तो मैं समझता हूं कि यह चीज हमारे लिये बड़ी सुन्दर और उपयोगी होगी। अगर निकम्मे जानवरों को जिबह करने के लिये कोई चीज हो सके जो देश के लिये एक बोझा हैं और ऐसे जानवरों को जिबह करने के लिये जो बच्चा पैदा करने और दूध देने में असमर्थ हैं, इंतजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि दोनों का समावेश हो सकेगा और उस दशा में हम गौरव के साथ सर ऊंचा कर के कह सकते हैं कि हम ज्ञान से भरे हुए हैं और दूरदर्शी होने के साथ-साथ देश के लिये हम वह चीज उपस्थित करते हैं, जो हमारे नजदीक देश के लिये हितकर है और सब सन्तुष्ट हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं आप के द्वारा नम्र निवेदन करूंगा कि इसमें जो त्रुटियां हैं, इस दृष्टिकोण से देख कर अगर वह स्वीकार कर सकें तो यह हमारे देश के लिये, हमारे लिये और हमारी आने वाली नस्ल के लिये बड़ी गौरव की बात होगी। 'जय हिन्द'।

(इस समय १ बज कर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने आज आया है उसको उलट-पलट कर देखने से, जहां तक मेरा खयाल है, यह मालूम होता है कि यह केवल राज्य के गोरक्षा आन्दोलन को दबाने के लिये आया है वर्ना दूसरी इसकी कोई मंशा मालूम नहीं हो रही है, श्रीमन्, हमारी सरकार के मुंह में दो जीभ हैं। उसको कुछ परेशानी हुई तो उसी परेशानी का यह नतीजा निकला है वरना इस बिल के अन्दर कुछ है नहीं। दो जीभ वाला जो जानवर होता है वह बड़ा खतरनाक होता है। सरकार के मन में तो कुछ और रहता है और इस हाउस के अन्दर कुछ और कहती है, भावना उसकी कुछ और रहती है तथा जिन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन कर उधर के लोग आये हैं वह कुछ और सही बातें चाहते हैं। सरकार की यह चालबाजी मैं बिलकुल गलत समझता हूं, यह बात नहीं होनी चाहिये, सही बात होनी चाहिये। हमारे देश के अधिकांश जनता की यह भावना है कि गाय भैंस न मारी जायं। यह बात सत्य है और होनी चाहिये.....।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में?

श्री उमाशंकर—मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता था जो हमारे मित्र श्री जोरावर वर्मा जी की तरफ से आया था परन्तु वह वापस हो गया है तो भी मैं उस के विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। मैं यह कह रहा था कि अगर नेकनियती से सरकार इस बिल को ले आना चाहती है तो गोहत्या होना पाप है यह कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, हमारे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों। मगर जिस चुनाव क्षेत्र से चुन कर हम आये हैं, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावना है उसका

[श्री उमाशंकर]

ही हम यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वही बातें हमको यहां कहनी चाहिये बशर्ते कि हम समझते हों कि उस में मानव का कोई अकल्याण न हो। यही बात नहीं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उनकी भावनाओं की हमको कदर करना चाहिये। सरकार का यह कहना कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से हम यहां पर यह बिल ला रहे हैं, घुमाकर द्रविड़ प्राणायाम करना है, यह बात गलत है।

ऐसा होना चाहिये कि बिल को पढ़ते ही हर आदमी यह समझे कि सरकार उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की बहुसंख्यक जनता की भावना है और उनको ठीक समझती भी है, यह चीज इसमें साफ होनी चाहिये। मेरी समझ में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिये, जब तक अल्प संख्यकों का कोई नुकसान न हो, इस बिल के उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि--

"गाय और उसके वंश को, दूध और बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिये, रक्षा के काम करना आवश्यक है, अतः गो वध का पूर्णरूप से निषेध करना आवश्यक हो जाता है।"

इसके साथ ही साथ हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि हमारे देश में दूसरे ऐसे जानवर भी हैं जो गाय अगर १०० सेर दूध देती है तो वह जानवर २०० सेर दूध देता है। दुःख है कि उसका नाम इसमें नहीं रक्खा गया है। खाद अगर गाय १०० सेर देती है तो वह २०० सेर देता है, इसलिये उसका नाम भी इसमें होना चाहिये। उसके वंशजों की रक्षा की बात भी इसमें आना चाहिये। यह बात मैं आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, वह जानवर भैंस है। इसके साथ ही साथ इसी बिल में दूसरी तरफ यह आशय भी लिखा है कि रेलवे स्टेशनों और हवाई जहाज के स्टेशनों पर जो चाहे उसको बेच सकेगा, यह सब क्या है? यह समझ में नहीं आता आपको तो साफ-साफ इस बात को कहना चाहिये कि हमारे देश में गो और भैंस का मांस बिकना निषेध है, अपराध है। लेकिन इस बिल में उसकी ओर कोई संकेत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। इस बिल की थोड़ी-थोड़ी बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। जहां-जहां इस बिल में गाय और उसके वंशज शब्द आये हैं, वहां-वहां भैंस और उसके वंशज शब्द भी आने चाहिये तो यह बिल बहुत अधिक उपयोगी हो जायगा। हमारे यहां प्रथा है कि गाय को बांध दिया जाय और संयोगवश वह मर गयी तो उसको धर्मशास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है। उसको दंड भुगतना होता है। इसी प्रकार से अगर भैंस मर जाती है तो उसको भी उसी प्रकार से दंड का भागी होना पड़ता है। इसलिये गांवों में जो इज्जत गाय की है वही भैंस की है। भैंस किसी प्रकार भी गाय से कम नहीं है, गाय के बराबर ही है। इसलिये हम माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करेंगे कि वह इस बिल को वापस लेकर, यह नहीं कि वह २-३-४ महीने उसमें लगा दें बल्कि उसको उन्हें दो एक दिन में सुधार कर सदन में ले आना चाहिये ताकि गाय-भैंस आदि उपयोगी जानवर मारे न जायं। गाय का बच्चा अगर २०० सेर बोझा ढोता है तो भैंस का बच्चा २५० सेर बोझा ढोता है। क्या इसका आपके पास कोई जवाब है कि भैंस को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? मेरे खयाल में तो यह बिल इस लिये आया है कि कुछ लोग इसके लिये बड़ा शोर-गुल मचा रहे थे और आप चाहते थे कि इस शोर-गुल को किसी तरह से दबाया जाय। बाघ, वन दोनों बचाना चाहते हैं। सांप मर जाय और लाठी भी न टूटे। यह सरकार का काम है, हमारे एक दोस्त नसीर साहब हैं जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि जो बांझ, बीमार और दूध न देने वाली गायें हों.....।

कृषि मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--आपने क्या कहा कि सांप भी मर जाय और लाठी भी टूट जाय।

श्री उमाशंकर--मैंने यह नहीं कहा, मेरा जो मतलब है वह सब जानते हैं। तो इसी तरह से सरकार का काम चलता जाता है। चाहते हैं कि दोनों पहलू खुश रहें। इधर के भी लोग खुश रहें और उधर के लोग भी खुश रहें।

में कह रहा था कि मेरे लायक दोस्त ने एक राय दी है कि जो बांझ गाय हो, जो बीमार गाय हो और जो निकम्मी गाय हो उसको मारने की इजाजत दें तो बढ़िया चमड़ा मिलेगा और चारा बचेगा और न जाने क्या-क्या दलीलें दे रखी हैं। अगर सरकार ने इस बात को साफ कर दिया होता कि हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की भावना है कि गायें न मारी जायं तो शायद यह दलीलें सामने आती ही नहीं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी को यह सुबुद्धि आवे। वे इस बिल को लाकर जब कहते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह कानून बनाया गया है तो उनको आर्थिक दृष्टिकोण से ही सारी बातें सोचनी चाहिये। किन-किन जानवरों के मारने से हमारा आर्थिक नुकसान होगा जब वे इस बात पर गौर कर लेंगे तो भैंस तथा भैंस के बच्चे दोनों उनकी आंख के सामने जरूर आवेंगे। हम भरोसा करते हैं कि हमारी इस सिफारिश पर वे गौर करेंगे और फिर से इस पर विचार करेंगे।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार इस उपस्थित विधेयक के सम्बन्ध में व्यक्त कर सकूं। विधेयक के सम्बन्ध में कल से बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विधेयक इसलिये लाया गया है कि चन्द दिनों पहले कुछ शोरगुल मचा था कि गोमाता की रक्षा की जाय, गोबध न किया जाय। इसलिये सरकार ने डर करके यह विधेयक उपस्थित किया है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि उनका ऐसा विचार है कि केवल आर्थिक दृष्टि से ही यह विधेयक लाया गया है और किन्हीं सदस्यों की कुछ ऐसी भावना है कि आर्थिक दृष्टि की आड़ में यह विधेयक धार्मिक दृष्टि से लाया गया है। यदि तात्विक रूप से इस पर विचार किया जाय तो मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक की सार्थकता आज से नहीं है, किन्तु इस विधेयक की सार्थकता हम बहुत पहले से समझते हैं। अंग्रेजी राज्य के पहले मुस्लिम राज्य था और मुस्लिम राज्य के पहले यहां पर हिन्दू राज्य था। हिन्दू राज्य में गायों का वध नहीं होता था। मुस्लिम राज्य में मुमकिन है कहीं पर हुआ हो लेकिन राजाओं ने गोवध करना बन्द किया और जब अंग्रेजी राज्य आया तो उसको मौका मिला कि यहां की जनता के जहां कि हिन्दू मुसलमान दोनों बसते हैं, दिलों को ऐसी ठेस पहुंचायी जाय कि दोनों लड़ा करें और उसका राज्य अक्षुण बना रहे। अगर किसी मुसलमान ने एक गाय कभी काट दी तो हिन्दू मुसलमानों में झगड़े हो जाते थे, लेकिन जैसा कि किसी भाई ने कहा है कि "फौज के लिये तो लाखों गायें प्रति दिन काटी जाया करती थीं उसकी परवाह भी नहीं की जाती थी।" यह काम अंग्रेजों ने इसलिये किया जिससे देश लड़ता रहे, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती रहे और उनकी इच्छा पूर्ण होती रहे। आज से १३० वर्ष पूर्व गुजरात प्रदेश में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उस समय मूल शंकर रक्खा गया और जो बाद में स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस महापुरुष ने १३० वर्ष पहले इंगलैन्ड की महारानी विक्टोरिया के जमाने में एक आवेदन पत्र पेश किया कि हिन्दुस्तान से गोवध प्रथा हटा दी जाय क्योंकि गोवध से देश की कृषि उन्नति अवरुद्ध होती है, देश का आर्थिक नाश होता है, गोरक्षा से कृषि एवं दूध की वृद्धि होगी। गोबध निवारण कोई आज का सवाल नहीं है। सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस पर ध्यान दें कि १३० वर्ष पहले जो आवाज उठी थी उसी आवाज को, उसी गुजरात के एक दूसरे महापुरुष महात्मा गांधी ने जो हमारा राष्ट्रपिता कहलाता है, इन शब्दों में अपने देशवासियों के सामने रक्खा था—"जब लों भारत भूमि से गोवध प्रथा न टारिहों, तब लौं तव पद शपथ मां, ब्रह्म सूत्र नहिं धारिहौं"! और यह कह कर उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र को अपने से अलग किया और कहा कि स्वराज्य से बढ़कर भी हमारे सामने गौ रक्षा का प्रश्न है क्योंकि उन्होंने इसके महत्व को समझा था। अब यदि स्वराज्य मिलने के बाद भी हमारी जनता भूखों मरती रहे, बच्चे छटांक-छटांक दूध के लिये तरसते रहें तो इस स्वराज्य की हमारे लिये क्या सार्थकता रह जाती है? इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम देखें कि भारत की जनता, ललनायें और उनके बच्चों को प्रतिदिन उनकी वृद्धि के लिये दूध मिलता रहे, यदि हम इस में सफल होते हैं तभी हम अपने स्वराज्य को सार्थक समझ सकते हैं! यह बचन जो गांधी जी के थे उन्हीं को उनके अनुयायियों ने जिन्होंने स्वराज्य को सफल बनाने के लिये कदम बढ़ाया

[श्री गंगाधर शर्मा]

है, यह बिल लाकर पूरा किया है। यह बिल किसी के नारों के डर से हमारे सामने नहीं आया, यह तो हमारे ऊपर एक कर्जा था, एक ऋण था जिसे हम उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, हर चीज का एक खास समय होता है जब उसकी सफलता निश्चित होती है। हर बात का हर समय सफल होना सम्भव नहीं हो सकता है।

अब उपयुक्त समय आया है और इसलिये माननीय मंत्री जी ने यह बिल सदन के सामने लाना उचित समझा। अब जब कि यह विधेयक यहां आया है तो उस में कई त्रुटियां बतलायी जाती हैं। कुछ भाई कहते हैं कि आप उसको गऊ माता क्यों कहते हैं? आप इसे धर्म का विषय क्यों यहां बनाते हैं। मैं कोई शास्त्र की बात नहीं कहता लेकिन मैं बता दूं कि धर्म भाव सेवा वैसे ही गौ के अर्थ क्या हैं और क्यों हम इस को गो माता कहते हैं? गो शब्द के माने हैं "इंद्रियों" के "जिह्वा", "सरस्वती" के। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं। सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है और गौ भी स्त्रीलिंग है और भारतीय संस्कृति में स्त्री जाति को आदर की दृष्टि से, माता की दृष्टि से देखते हैं! इसलिये हम गौ को माता शब्द से पुकारते हैं। इसी से हम गौ को पशु होने पर भी माता कहते हैं, उसको हम अपनी जननी नहीं कहते, माता और जननी में अन्तर है। जो भाई कहते हैं कि गौ हमें नर्क से वैतरणी से, तारने वाली तथा स्वर्ग पहुंचाने वाली माता है उन से मैं कहूंगा कि यदि वह धर्म की बात करते हैं तो यह गौ रूपी वाणी ही हमारी माता है! पशु 'गौ' जिसको माता कहते हैं वह हमारी रक्षक नहीं हो सकती, रक्षक तो वाणी हो सकती है वही हमें दुःखों से तार सकती है! अगर हम किसी को कटु शब्द कहते हैं तो वह तुरन्त हमारे गाल पर चांटा लगायेगा लेकिन यदि हम मधुर वाणी से बात कहते हैं तो हमारा आदर सत्कार करेगा, अगर हम पर कोई तलवार भी उठाना चाहता हो और हम नम्रता से बोलें वह भी रक्षा करेगा इसलिये सरस्वती देवी या वाणी की रक्षा करना आवश्यक है और इसी से स्वर्ग मिल सकता है। सत्य बोलना ही धर्म है, वाणी की पवित्रता से हमें इस दुनिया में सुख मिलता है और मरने के बाद स्वर्ग में वहां भी सुख मिलता है। कौन ऐसा मनुष्य है जो संसार में रहते हुये सुख और मरने के बाद स्वर्ग न चाहता हो? वाणी ही वह चीज है जिससे चाहे सुख उत्पन्न कर लो चाहे स्वर्ग का साधन कर लो या नर्क कर लो। इसलिये गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं इसको धार्मिक भावना कहने से हिचकता नहीं, धार्मिक भावना इसमें है, इससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है।

अपनी पवित्र अन्तरात्मा के निर्मल आदर्श, शीशे में हम अपने को देखें कि हमारी आत्मा इन कामों से कहां तक पवित्र होती चली जाती है, यही धार्मिक भाव है। और अगर हमारी आत्मा पवित्र है तो संसार में सुख से रहेंगे, मरते समय सुखी रहेंगे और मरने के बाद भी स्वर्ग में जायेंगे यही तात्विक अर्थ धर्म का है! अगर हम किसी वस्तु का निरर्थक नाश करते हैं तो हम पाप करते हैं। गाय तो गाय रही अगर हम एक पत्ता भी व्यर्थ में तोड़ते हैं तो हम अन्याय करते हैं, पाप करते हैं। धर्म शब्द को छोड़ दीजिये, न्याय शब्द को लीजिये, हम सरकार को धार्मिक सरकार न कहें तो क्या न्यायी सरकार भी न कहें? यदि न्यायी सरकार न कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, अन्यायी सरकार कहेंगे। सरकार अन्याय नहीं करती है न्याय करती है और इसीलिये यदि किसी पशु को तकलीफ हो, किसी ऐसे पशु को जो चोटिहल हो, कमजोर हो, बहुत दुखी हो तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसको राहत पहुंचावें। फिर ऐसा पशु कि जिसका हम दूध पीते हों, जिसके बच्चे से हम खेती करते हों, तमाम दूसरे फायदे उठाते हों और यहां तक कि मरने के बाद भी उसके चमड़े से हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिये अनेक उपयोगी चीजें तैयार करते हों उसकी रक्षा यदि हम करते हैं तो हम न्याय करते हैं, धर्म करते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो हम अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं। इसलिये हर हालत में यह विधेयक बड़े महत्व का है।

अब इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उन पर मैंने भी सोचा है और मैंने उनको लिखकर दिया है। किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें भैंस शब्द का भी समावेश होना

चाहिये। किसी ने बकरी के लिये भी कहा, मैं तो उससे एक पग और आगे बढ़ जाता हूं। भैंस, बकरी और भेड़ को भी लिये लेता हूं। मैंने संशोधन भी दिया है। लेकिन केवल गो वंश की रक्षा करना---यह प्रारंभिक स्टेज है। यदि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पास करके व्यवहार में लाते हैं तो वह सारे पशु शनैः-शनैः स्वयं सुरक्षित हो जायेंगे। गाय माता है जब गो माता स्वयं मरती है तो वह रक्षा किस की करे यदि गोमाता सुरक्षित हो गयी तो निश्चय मानिये कि वह अन्य सारे पशुओं की भी सुरक्षा कर सकेंगे। राज्य का काम आसान नहीं है। बादशाह के लिये, डिमोक्रेसी में जनता की सरकार के लिये किसी काम को कह देना आसान है लेकिन उस काम को पूर्ण तया निभाना मुश्किल है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में चमड़े का बहुत अधिक प्रचार है। आज वह भाई जो सदन में बैठे हुये हैं या जो "गो हमारी माता है, देश धर्म का नाता है" का नारा लगाते हैं या जो गो माता कहकर पुकारते हैं, उसके चमड़े क्रोम लेदर से बने फीते, जूते और बक्से आदि चीजों को प्रयोग में लाते हैं। आज अनेक मशीनों के पुर्जे और अन्य तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें चमड़े का प्रयोग होता है।

सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और वैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक सवाल है उसको हम आर्थिक दृष्टि से देखें या चाहे धार्मिक दृष्टि से कोई भी सरकार पशुवध बन्द कर एकदम चमड़े का प्रयोग करना कैसे बन्द कर सकती है? चमड़े का इतना बढ़ा हुआ प्रयोग कम कैसे किया जाय यह सवाल सरकार के सामने आयेगा। लेकिन वह प्रश्न उठे या न उठे गवादि के प्रति यह अन्याय कैसे दूर होगा यह हमें हल करना है। हम क्रोम लेदर का जूता पहिनना छोड़ें, क्रोम लेदर के बक्से आदि सामान रखना छोड़ें और फिर यही नहीं हमको आश्रित होना पड़ेगा मुरदा गायों के चमड़े पर जो गायें अपने आप मरती हैं उनके ही चमड़े को हम काम में लावें इस बात के लिये हमें अपने आपको संयमित करना पड़ेगा और हमें उन्हीं चीजों को लेना पड़ेगा जो अपने आप मरी हुयी गायों के चमड़े से बनी हों। इसमें आपको त्याग करना पड़ेगा। जो भाई यह कहते हैं कि ऐसी गउयें और ऐसे पशु जो कि कमजोर हैं, लूले, लंगड़े और अलाभकारी हैं उनको अगर बध कर दिया जाय तो सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं वे भी कुछ दूर हो जायंगी। मुमकिन है उनका यह खयाल ठीक हो, लेकिन बहुत से भाइयों का यह कहना है कि ऐसा न किया जाय इसमें बहुत से लूपहोल्स रहेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी गौवें मारने का मौका मिलेगा। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो उसमें भी मुखालिफत होती है और कोई बुरी से बुरी बात हो उसके भी कुछ हामी भरने वाले साथी मिल जाते हैं। रात दिन का हमेशा झगड़ा रहता है। भले बुरे दोनों संसार में हैं ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि गाय कभी कटे नहीं तो यह आपके लिये बड़ा ही कठिन काम होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मांस, चमड़ा, आदि की आवश्यकता को देखते हुए संसार के दूसरे लोग चाहे गाय काटें लेकिन आप अपने देश के अन्दर गायें न काटें। ऐसा आपका धर्म बतलाता है, आपकी अर्थनीति बतलाती है, आपका कर्त्तव्य बतलाता है। गोमांसाहारी दूसरे देश वाले पसन्द करते हों, उनको गो मांस अच्छा लगता हो लेकिन हमें वैसा अपने देश में नहीं करना चाहिये। भले ही वह स्टेशन हो, रेल हो या अगर वे हमारे मेहमान हैं तो उनकी खुशी के लिये हम अपना कर्तव्य जो है उसको न करके उनके लिये गोमाँस का प्रबन्ध कर क्या कर्तव्य करने लग जायेंगे? इस विषय में हमारी सरकार और मंत्री महोदय को उचित शब्दों का प्रयोग करके विधेयक में यदि कहीं उलटफेर की आवश्यकता है तो उसे अवश्य करना चाहिये। यह अत्यन्त खुशी की बात होगी और मेरी उनसे प्रार्थना है कि विधेयक को ऐसा बना दिया जाय कि जो ये वास्तव में त्रुटियां दिखायी देती हैं वे न रहें। मैंने लिखा है कि दुधारू शब्द बढ़ा दिया जाय। गाय के पश्चात् मैंने कुछ अन्य दुधारू पशु ये शब्द बढ़ाये हैं। अगर हमारे माननीय मंत्री महोदय यह देखें कि कोई बात इसमें कटुता की नहीं है तो वे इसको रख लें और अगर कुछ कटुता देखें तो न रखें। दुधारू पशु की रक्षा में मैं समझता हूं कि दूध घी की कमी के बारे में सदन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं इस सम्बन्ध में जो एतराज हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। भैंस, बकरी और भेड़ का दूध काफी तादाद में पहाड़ से लेकर प्लेन्स तक काम में आता है और सबके लिये उपयोगी है, आवश्यक है। इनकी रक्षा से जहां तक कृषि उन्नति का सम्बन्ध है इनके गोबर और लेंड़ी से खाद का प्रश्न भी कुछ हल होता है।

[श्री गंगाधर शर्मा]

मैंने सदन का इतना समय लिया है और अपने विचार मैंने इस मानों में व्यक्त किये हैं कि गोवध निवारण सम्बन्धी जो विधेयक आया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी पास हो। इसके पास होने से हमारे उत्तर प्रदेश को ही नहीं सारे देश की जनता को जो लाभ और आनन्द मिलेगा वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें हमारे देश के सारे भाई चाहे किसी धर्म के हों, किसी मत के मानने वाले हों सब के सब प्रसन्न होंगे। अगर चन्द भाई किसी वजह से, अपनेस्वार्थ की वजह से इस समय अप्रसन्न भी होते हैं तो हम उन्हें धीरे-धीरे प्रसन्न कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को और अधिक व्यक्त करना समाप्त करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत विधेयक.....

श्री व्रजभूषण मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि कोई सूची है जिसके आधार पर नाम बुलाये जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जो खड़े हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं उनको मैं बुला लेता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—प्रस्तुत विधेयक पर कई दृष्टिकोण से कल से विचार हो रहा है। इन दो दिनों में कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कई प्रश्न भी हमारे सामने उपस्थित किये गये हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है जैसे माननीय उमाशंकर जी ने अपने भाषण में अभी अभी कहा है कि साफ तौर पर कह देना चाहिये कि धार्मिक दृष्टिकोण से ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने इस विधेयक पर बोलते हुए अन्य दृष्टिकोण भी उपस्थित किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उमाशंकर के खड़े होने पर) क्या कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री उमाशंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मैंने यह कहा कि अधिकतर जनता की यह भावना है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—जो भावना माननीय उमाशंकर जी ने व्यक्त की है वह धार्मिक भावना ही है। इसलिये मैंने उसका यही अर्थ समझा कि उनका यह कहना था कि बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक भावना गोवध के विरुद्ध है इसलिये चाहिये था कि बिल के उद्देश्य और कारणों में इसका साफ साफ उल्लेख किया गया होता, यही उसका अभिप्राय था, जितना मैं समझ सका था। मैं इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि धार्मिक प्रश्न को अलग रखते हुए जो इसमें आर्थिक प्रश्न निहित है, जिसके अधीन यह गोवध निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनादिकाल से हम मानते आये हैं, और सारा संसार मानता है कि गाय के मुकाबले में कोई भी जीव, जो खेती के काम में आता है, ऐसा नहीं है, जो इतना लाभदायक हो। माननीय कपूर जी ने अभी बताया कि १८ बियान गाय देती है। अगर हम १८ न मानें कम से कम मान लें तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक गाय कम से कम दस बच्चे देती है। उसका हिसाब लगा लिया जाय, उस के बाछा, बाछी सब को जोड़ लें तो मालूम हो जावेगा कि कितने प्राणियों की रक्षा एक गाय से होती है। यह तो मामूली अर्थमेटिक का हिसाब होगा जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आर्थिक दृष्टि से भी गाय का बध रोकना आवश्यक है और जैसा कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है, हमारे लिये यह एक महान् प्रश्न है। सैकड़ों वर्षों से हम इसको मानते आये हैं कि गाय हमारे लिये परमावश्यक जीव है। हमारा प्रदेश कृषि प्र[illegible] देश है जहां पर ९५ प्रतिशत लोग कृषि से ही अपनी

जीविका चलाते हैं। जो देश कृषि प्रधान होगा वहां गाय को अवश्य महानता मिलनी चाहिये। धार्मिक दृष्टि में भी आर्थिक दृष्टि का समावेश है, इसी हेतु इसमें भी प्रधानता आ गयी है। आर्थिक दृष्टि से ही गाय को पवित्र इस रूप में लिया गया है। बहुत से काम यदि धार्मिक दृष्टि से कहे जाते हैं तो लोग उसके अनुसार ज्यादा चलते हैं। कई सदस्यों की ओर से एतराज हुआ है, माननीय राजनारायण जी ने भी कल यही कहा था, उनका कहना यही था कि सरकार को साफ साफ कहना चाहिये था कि वह धार्मिक दृष्टियों से ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उसमें सब बातों को दृष्टि में रखते हुये प्रधानता आर्थिक प्रश्न को ही दी है। इस प्रश्न का हल परमावश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि इस विधेयक पर बोलने के लिये बहुत से सम्मानित सदस्य उत्सुक हैं। इस विधेयक पर बोलने के लिये जितने भी माननीय सदस्य खड़े हुये हैं चाहे इधर से हों या उधर से, चाहे वे जिस भावना से प्रेरित रहे हों, सब ने इसका समर्थन किया है। किसी ने विरोध नहीं किया। इससे मालूम होता है कि यह परम आवश्यक विधेयक है। और इसको तुरन्त पास होना चाहिये। परन्तु मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इस विधेयक में कुछ त्रुटियां रह गई हैं और सब से बड़ी त्रुटि जो है वह इसका खंड ४ है। उस के उपखंड १ के "क" में कहा गया है "(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो; अथवा"। कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित हो उस का मतलब यही है। उसमें लिखा है कि अगर कोई पशु कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित हो तो वह मारा जा सकता है और मारने वाले के लिये यह आवश्यक होगा कि वह सब से करीब के थाने में जा कर उसकी इत्तला कर दे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस धारा के दुरुपयोग होने की संभावना है। कोई भी आदमी गाय या गाय के वंशज को मार सकता है अथवा मरवा सकता है और बाद को जा कर थाने में इत्तला कर सकता है कि यह बछड़ा कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित था इसलिये मार दिया गया। यहां इतना ही कह दिया गया है कि—"वह व्यक्ति जो ऐसी गाय का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकों के समक्ष जो नियत किया जाय तत्संबंधी सूचना देगा।" अगर यह इसी स्वरूप में पास कर दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। एक ओर तो आप यह कानून बनाना चाहते हैं कि गाय का वध न किया जाय और दूसरा तरफ आप ऐसा "लूपहोल" इसमें रख रहे हैं इसका नतीजा यह होगा कि गाय का वध रुक नहीं सकेगा और वह होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और विचार कर के जब हम लोग पूरे विधेयक पर "क्लाज वाइज" डिस्कशन करें तो उस वक्त इसको इस तरह से संशोधित कर देवें ताकि इस प्रकार की संभावना न रहे।

दूसरी त्रुटि जो इस विधेयक में है वह खंड ५ का अपवाद है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अपवाद यहां से हटा दिया जावे उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन सम्मानित सदस्यों से जिन्होंने इसका विरोध किया है, सहमत हूं। वायुयान के बारे में तो हम कह सकते हैं कि यह बाहर से आता है और उस पर यदि कोई खानेवाला गोमांस रखे हुये हैं तो ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये वह उसे ले कर बाहर ही चला जाता है। अगर यहां तक आप कहते हैं और अपवाद रखते हैं तो ठीक है। आप उनके लिये थोड़ा सा एक्सेप्शन, ,अपवाद कर सकते हैं लेकिन रेल का क्या प्रश्न है? रेल तो हमारे प्रदेश में ही चलती है और हम समझते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है किसी स्टेशन पर गोमांस नहीं बिकता। फिर जो चीज नहीं हो रही है उसको आप करने जा रहे हैं इस विधेयक में अपवाद ला कर मैं समझता हूं कि इसको अपवाद में रख कर जहां एक तरफ आप विधेयक ला कर गोवध रोकना चाहते हैं

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

वहां दूसरी तरफ गोवध करने की इजाजत दे रहे है। जहां तक मेरी सम्मति है और जितना मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है उस के आधार पर मैं इस अपवाद को इस स्थान पर रखना अनुचित समझता हूं और मेरा यह विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें।

तीसरी बात यह है कि गोमांस जो टीन में रख कर बेचेगा उसको इजाजत देना भी मै समझता हूं कि उचित नहीं है। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन त्रुटियों को निकाल कर हम इस विधेयक को शीघ्र ही पास कर देंगे।

*श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस महत्व-पूर्ण विधेयक पर यह सदन बहस कर रहा है उस के लिये यह सदन ही नहीं सारा प्रान्त उत्सुक था। जब से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है सरकार को बधाई मिली और माननीय कृषि मंत्री जी को भी जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया मैं समझता हूं कि वे इसके अधिकारी हैं। हमारे सामने जो वार्तालाप हुये उससे हमने यह देखा कि आज इस विधेयक के उद्देश्य के विषय में दो सम्मति दिखाई नहीं पड़तीं और न उनका स्थान है। प्रश्न केवल इतना है कि यह विधेयक किस मात्रा में उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मेरी सम्मति में हमारे प्रदेश में और हमारे देश में दो तरह का गोवध होता है। एक एक तरह के गोवध का उत्तरदायित्व तो उस कसाई पर है जो अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में गाय का तत्काल वध करके उसकी मुक्ति कर देता है और दूसरे गोवध का दायित्व है जान में या अनजाने में उन व्यक्तियों के ऊपर उन गो सेवा का दावा रखने वालों पर जो एक ओर तो गो सेवा की लम्बी लम्बी बातें करते हैं गोमाता को राजनीति की दलदल में खींचते हैं, उसको अपने स्वार्थ सिद्धि का यन्त्र बनाते हैं, दूसरी ओर अपनी अकर्मण्यता से, अवहेलना से एवं कर्त्तव्य भीरुत से उसे भूखों मरने देता है और शनैः शनैः मरने देता है। मेरा मत है कि यह विधेयक प्रथम श्रेणी के वध से तो गाय का संरक्षण कर सकेगा लेकिन दूसरी श्रेणी से संरक्षण के लिये सरकार को और कुछ सोचना पड़ेगा। हमारा देश पशु प्रधान देश है, हमारे देश की अमूल्य निधि पशु हैं। संसार में जितने पशु हैं उसका एक बटे चार हमारे देश में हैं। फिर भी दुख का विषय है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर पाये हैं। इस पंच-वर्षीय योजना में १ हजार करोड़ रुपये के लगभग खाद्यान्न की उन्नति के आन्दोलन पर व्यय किया गया लेकिन हम पशुओं के संवर्द्धन में पर्याप्त प्रयत्नशील न हो सके। मेरी प्रार्थना है सरकार से इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय। भारतवर्ष में हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हुये भी अभी हम बहुत पीछे हैं। दूसरे मुल्कों में जब दूध का उत्पादन १४४ आउंस प्रति व्यक्ति तक है, हमारे प्रदेश में केवल ४·७ आऊंस प्रति व्यक्ति है यह बड़ी शोचनीय दशा है। हमारे देश में जो गो वंश है उस की संख्या १ करोड़ से अधिक है और केवल गाय के दूध से तथा उससे बने हुये पदार्थों का मूल्य ३०० करोड़ रुपये के लगभग होता है। इससे यह सिद्ध है कि यह विषय वास्तव में बड़े महत्व का है और गोवंश की समृद्धि से हमारे देश की समृद्धि सन्निद्ध है। अतः इस ओर जितना ध्यान दें उतना थोड़ा होगा। अभी इस सदन में चर्चा हुई कि यह धार्मिक प्रश्न है या आर्थिक। कुछ सदस्यों ने अपने भाषण में इस बात का प्रयत्न किया कि वे सिद्ध करें कि यह धार्मिक प्रश्न नहीं। उनके इस तरह उस जगह से हटने में कुछ लोगों को यह भी अवसर मिला कि उन लोगों ने इसी वजह से इस पर आपत्ति की। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह कहा जाता कि इतने महत्वपूर्ण विषय को हम भावुकता से नहीं सोचेंगे। अगर यह बात कही जाती कि इतने महत्वपूर्ण विषय में हम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं आने देंगे तब तो मैं समझता हूं। लेकिन यह कहना कि इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं तो मैं कहूंगा कि वास्तविकता से परे बात होगी। मेरे विचार से इस प्रश्न का सीधा संबंध धर्म से है और अवश्य है और उससे हमें हटना नहीं चाहिये। मेरा तो यह विचार है कि धर्म के बिना राजनीति उस मृतक शव की तरह है जो केवल

गाड़ने के योग्य है। आज हम जितना ही इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का केवल आर्थिक पहलू ही है, उतना ही हम देखते हैं एक पक्ष का साहस होता है इसको विरोध का यन्त्र बनाने का। तो मैं कहूंगा कि इस तरह माना असंगत होगा। मैं कहता हूं ठीक है कि वास्तव में इसका किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं। आज गोवध निषेध के प्रति सारा समाज एक मत से सहमत हो चुका है। यह गोसंवर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट जिसमें सभी वर्ग के सज्जन थे एक मत से हमारे सामने आई वही इसकी प्रतीक है। मैं और भी अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से सदन की सेवा में निवेदन करूंगा कि बरेली में जिस समय वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष के मैंने इस गोवध निषेध का नियम प्रस्तुत किया वहां पर आधे मुसलमान, आधे हिन्दू सदस्य थे। लेकिन आपको व इस सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि सारे सदस्यों ने एक मत से उसका स्वागत किया और समर्थन किया। आज वास्तविकता यह है कि कोई साम्प्रदायिकता का प्रश्न इसके पीछे रह नहीं गया है। सारे, सम्प्रदाय इसमें साथ देने को तैयार हैं।

यहां पर यह भी कहा गया कि इस कानून के बनाने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि ९९ फीसदी व्यक्ति गोवध करना स्वयं ही छोड़ चुके हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि एक जनतन्त्रात्मक सरकार का यही कर्तव्य है कि वह एक विधेयक के लाने से पहले उसके पक्ष में जनमत तैयार करे, ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे लोग स्वयं गोवध छोड़ दें, और यहां वास्तविकता यह है कि ९९ प्रतिशत लोग गोवध स्वयं छोड़ चुके हैं तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि फिर आपको कहां शंका का स्थान है, आपत्ति का स्थान है? जो चीज़ ९९ प्रतिशत छोड़ चुके, फिर आपत्ति क्या है क्यों आप इतनी आशंकाएं कर रहे हैं। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि आज उसके लिये ठीक वातावरण है। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि जो यह कहते हैं कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत देर की कि ऐसे गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को लाने के पहले इतना मनन आवश्यक था यदि वह समस्या कानून के द्वारा ही हल होनी थी तो उसके लिये उचित वातावरण प्रस्तुत करने के लिये समय की आवश्यकता थी। यह सरकार का कर्तव्य था और ऐसा ही किया गया। कहा जाता है कि यह विधेयक केवल इसी लिये लागू किया जा रहा है कि विरोधी दलों ने आन्दोलन किया और उससे प्रभावित हो कर सरकार बाध्य हो गई कि ऐसा कानून प्रस्तुत करे। मैं ऐसे सज्जनों से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह गोसंवर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट जो सारे सदस्यों की मेज़ पर है, यदि उस पर ही दृष्टिपात कर लें तो उसका जवाब तो उसी में मिल जायगा। यह सत्याग्रह की बात उस समय हुई थी जब कि कमेटी अपनी सिफारिश इस विषय में कर चुकी थी, जब मालूम हो चुका था कि एक मत से गोवध निषेध के पक्ष में निर्णय दिया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो आन्दोलन हुआ यह केवल आन्दोलन के लिये था। मेरा तो यह अनुमान है कि इसमें गो से प्रेम इतना निहित नहीं था जितना किसी और लक्ष्य को पूरा करना था। मेरा तो ताजा अनुभव है बरेली का कि एक ओर तो इस सदन में हमारे मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने घोषणा की थी उस भ्रान्ति को दूर करने के लिये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के भाषण से पैदा हो गई थी और उन्होंने यहां बड़ी निर्भीकता से यह एलान किया था कि हमारी सरकार की निश्चित नीति है कि हम गोवध को बन्द कर के रहेंगे कानून द्वारा। दूसरी ओर उस स्पष्ट घोषणा के बाद बरेली में कुछ लोग यह कह रहे थे, वास्तव में उनकी चुनाव घोषणा थी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार असेम्बली में जायंगे वह तो गोवध निषेध के पक्ष में समर्थन ही नहीं कर सकेंगे। कैसी अनहोनी बात है कि इतनी स्पष्ट घोषणा के बाद ऐसी बात कही जा सके? मुझे हर्ष है, मैं सरकार का आभारी हूं जिनकी कृपा से मेरे सदन में आने के २० दिन के बाद ही मुझे अवसर मिला कि मैं उस गोवध निषेध का समर्थन कर सकूं और इस प्रकार उन लोगों को उत्तर दे सकूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आपकी ही बदौलत यह हुआ है।

श्री जगदीशसरन---जी हां। अच्छी बात किसी की वजह से हो, अच्छी होती है। मेरी अन्त में केवल यही प्रार्थना है कि जब हम इतना सारगर्भित और महत्वपूर्ण कदम उठाने

[श्री जगदीश सरन]

जा रहे हैं तो, मैं बड़े आदरपूर्वक कहता हूं, ऐसी नौका मत बनाइये जिसमें आप को अभी इतना बड़ा छिद्र दिखाई देता हो। आप ने जो अपवाद इस विधेयक में रखा है उससे उसके उद्देश्य को बहुत हद तक घात पहुंचता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय किसी भ्रष्टाचार की बात होती है तब हम कहते हैं, क्या करें जनता का नैतिक स्तर ही अभी काफी ऊंचा नहीं है। लेकिन जिस समय सदन में हम नियम बनाते हैं, जिस समय सदन में हम कोई विधेयक पारित करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उसमें कोई ऐसा दरवाजा तो हम नहीं खुला छोड़ रहे हैं जिसके द्वारा भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज ऐसा बड़ा दरवाजा जानबूझ कर आप छोड़ रहे हैं जिससे स्थिति बड़ी चिन्ताजनक हो जायगी। आपने इसमें जो अपवाद द्वारा यह छूट दी है कि रेल और वायुयान के जो स्टेशन्स होंगे उन पर गो मांस बिक सकेगा, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह छूट है जिससे बड़ी परेशानियां बढ़ेंगी और समस्या और भी जटिल हो जायगी। अतः इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद इस अपवाद द्वारा उसके अच्छे प्रभाव को नष्ट न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने १२ दिसम्बर, १९५२ के प्रस्ताव पर जो आश्वासन इस भवन को दिया था उसको आज कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह विधेयक पेश किया है।

श्रीमन्, जैसे कि कल से इसके ऊपर माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं इसके समर्थन में सभी ओर से इस का स्वागत किया गया और सभी ने सरकार को बधाई दी। श्रीमन्, मुझे यहां आपकी आज्ञा से एक बात अर्ज करनी है कि हमारे माननीय सदस्य श्री फाखरी साहब जिनका मैं बहुत अदब करता हूं और अपने बड़े भाई के समान मानता हूं उनको यह शंका रही कि शायद इस विधेयक की आवश्कता नहीं थी और सरकार ने कुछ जल्दी में काम किया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा एहतियात बरती, जरूरत से ज्यादा इसमें देरी की और यह सब सिर्फ इसी वजह से कि उनको मुसलमान भाइयों से हमदर्दी है और उनको खुश रखने के लिये। उनको तो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिये। जो हमारे फाखरी साहब ने कहा है वह सही है कि यहां ९९ फीसदी जनता की भावना यह थी कि गो-वध न हो और जनता की भावना को कोई भी सरकार हो, चाहे वह धर्महीन हो, चाहे वह धर्म के विरुद्ध हो लेकिन जनता की आवाज को कोई ठुकरा नहीं सकता है। आज आप मानें या न मानें कि आंदोलन चला या नहीं चला लेकिन चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे सोशलिस्ट के हों या कम्युनिस्ट के हों, सभी की यह भावना थी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में गो माता के लिये सब लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति थी और जिसकी वजह से जो हमारा देश पहले सम्पन्न था उसे अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने और जो जो बादशाह बाहर से आये उन्होंने हमारी आर्थिक दशा को गिरा कर इस दशा पर पहुंचा दिया कि आज हम घी दूध के लिये मारे मारे फिरते हैं उस दशा को सुधारने के लिये अगर राज्य ने या कांग्रेस सरकार ने एक कदम उठाया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने सही कदम उठाया है जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिलकुल ठीक है।

अगर आप इतिहास को देखें तो पायेंगे कि जो राजा यहां राज्य करते थे, जैसे श्री कृष्ण जी महाराज, उन्होंने गऊ माता की रक्षा के लिये अपने प्राण तक दिये। उसका नमूना यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा हमारी जनता के फायदे की चीज हो उसके लिये राज्य को अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि कोई भी तबका हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह बर्बाद हो गया हो लेकिन गऊ माता के लिये और ऐसे काम के लिये जिसमें देश का हित हो तन, मन, धन से इसकी सेवा करने के लिये तैयार रहेगा और मैं सुझाव देता हूं और आइन्दा ऐसे बिल आ रहे हैं जैसे कि मंदिरों की सम्पदा आप लेना चाहते हैं,

उसकी रक्षा करना चाहते हैं, मंदिरों के इंतजाम को सुधारेंगे और हमारे पास इससे धन आयगा तो हम गायों की सेवा कर सकेंगे। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि जब मंदिर का बिल आये तो आप मांग कीजिये तो इसमें इतना धन है कि गायों के लिये कोई कमी नहीं होगी। जितनी कमियां हैं वह बहुत थोड़े समय में ही पूरी हो जायंगी और जो कमियां बतलायी हैं मैं समझता हूं कि मंत्री जी, जब इस पर क्लाजबाईज बहस होगी तो उसको दूर कर देंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हम इसको कानून का रूप दे रहे हैं तो मैं अपने सब भाइयों से नम्र निवेदन करूंगा कि वह इसका प्रचार करें और कोशिश करें। यह कह देना कि ६ साल से इलाहाबाद में गौ वध नहीं होता, ठीक नहीं है। इसी किताब में मौजूद है, सरकारी आंकड़े मौजूद हैं और हजारों गाय बैल काटे जाते थे। मैं यह नहीं कहता और लोगों का पेशा है और जब तक उनको दूसरा काम न बतलाया जाय वह करेंगे ही। लेकिन अब वह इसको छोड़ दें और इस तरीके से चलें तो अच्छा है। मैं उनसे रामायण की एक चौपाई कहना चाहता हूं, जिनका यह विचार है और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा वह इस प्रकार है कि:—

"खलउ करें भलि पाई सुसंगू, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगू।"

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में गाय का जो स्थान है और जो आदर है, उसको देखते हुये इस तरह के विषय पर तर्कपूर्ण विचार करना काफी कठिन हो जाता है। हिन्दुओं में जो मान्यता गाय की है वह शायद सब से ऊंची है। ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला हिन्दू हो सकता है। वेदों को मानने वाला न मानने वाला हिन्दू हो सकता है, शायद मुश्किल से कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिनके लिये यह कहा जा सके कि उनके जो न मानने वाला है वह हिन्दू नहीं होगा। लेकिन गाय एक ऐसी चीज है जिसका आदर सब हिन्दू करते हैं और हर हिन्दू यह कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिये। लेकिन आज या आज से पहले काफी संख्या में गो हत्या होती रही है। क्या कारण है इसका, कौन इसका जिम्मेदार है। मुसलमान गाय पालते नहीं हैं, बहुत कम पालते हैं। जितनी गायें पाली जाती हैं वह हिन्दू ही पालते हैं और हिन्दू इसको माता कहते हैं, पूजते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं और फिर भी गोवध होता है। किस के घर से बिकती हैं, हिन्दुओं के घरों से ही, असल में यह प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से विचार किये बिना यह मसला हल नहीं हो सकता।

यह कहना कि गाय जो पालते हैं और जो बेचते हैं और जानकर बेचते हैं कि कसाई लिये जा रहा है तो वह गाय की इज्जत नहीं करते। यह कहना गलत होगा, जो बेचते हैं वह भी इज्जत करते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता यह है, क्यों, यह प्रश्न है जिस पर विचार कर के और उसका हल निकालकर ही गाय की रक्षा हो सकती है, उसके बिना गाय की रक्षा नहीं हो सकती। जो यह विधेयक है मेरी राय में यह बहुत नाकाफी है। इससे यह मसला हल नहीं होता और इन बातों का इलाज नहीं होता जिनकी वजह से गोहत्या हो रही है। कानून से गोवध बन्द कर देना क्या काफी है? जरा इस पर भी आप विचार करें। क्या गाय के लिये हमने इतना चारा पैदा कर लिया है जिससे जितनी गायें हैं उनको वह चारा काफी हो सकता है। अगर नहीं तो तब गाय सूख जायंगी। जो गाय बछड़ा देने वाली नहीं है, जो दूध नहीं देती है उस समय उस गाय को किसान कसाई के हाथ बेच देता है लेकिन जब वह उसको नहीं बेचेगा तो क्या उस गाय को वह घर पर रखकर चारा खिला सकेगा। उसके पास इतना चारा नहीं है। १,२ गायें जो दूध देती हैं वह चारा उन दोनों के लिये ही है। तो फिर वह चारा उनको देगा जो दूध देती हैं या उनको देगा जो दूध नहीं देती हैं? मैं अपने तजुर्बे से जो मुझे गांव में रहने का है और जानवर रखने का कह सकता हूं कि कोई घर की स्त्री और कोई घर का आदमी पेट भर चारा उस गाय को नहीं देता है जो दूध नहीं देती है। जितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

चारा वह दूध देने वाली गाय को देता है वह उतना चारा दूध न देने वाली को नहीं देता है क्योंकि उसके पास इतना चारा नहीं है । तो फिर क्या होगा । ऐसी गायें सूख जायंगी और फिर वह बच्चा देने लायक नहीं रहेंगी । उस वक्त किसान क्या करेगा ? क्या उस समय किसान बराबर उसको घरमें रखकर चारा दे सकेगा ? उतना उसके पास चारा नहीं है । चरागाह हमारे पास नहीं हैं, जानवर के लिये चारा नहीं है तो फिर क्या करेंगे ? बेच वह सकेंगे नहीं क्योंकि खरीदार है नहीं तो क्या करेंगे । अगर वह उसको घर पर रखता है तो इंच-इंच भर सूख कर वह मरेगी और साल दो साल में मर जायेगी । वह इतनी मुसीबत में मरेगी कि जिसको सोचकर और जिसका अनुमान करके आदमी थर्रायेगा या उस गाय को वह २,४ कोस जाकर छोड़ आयेगा उस वक्त जिसके खेत में वह चरेगी वह डंडे मारकर उसको लंगड़ी कर देगा और तब वह खेत में जाने के लायक भी नहीं रहेगी तब वह सिसिक सिसिक कर मरेगी । जब तक इन बातों का इंतजाम नहीं होगा तब तक गोवध को रोकने के जो जजबात हैं उनको पूरा कर सकेंगे या जो इज्जत गाय की हमारे दिल में है उस इज्जत को कायम रख सकेंगे इसमें मुझे शक है । इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बिल को और गहराई से सोचें और इसको वापस लेले । इन बातों का इन्तजाम सोचें कि इस तरह से एक क्लाज या दो क्लाज के बिल से कोई उपाय नहीं हो सकता है । जो इज्जत हम करना चाहते हैं और जो गाय का स्थान है उसकी अगर हम इज्जत करना चाहते हैं तो वह काफी नहीं है जब तक कि हर पहलू पर विचार करके उसका हल न निकाला जाय तब तक यह १ या २ क्लाज का बिल उसके लिये काफी नहीं है । प्रियम्बिल में ऐम्स ऐण्ड आबजेक्ट में यह कहा गया है कि यह दफा ४८ संविधान को सामने रखकर यह किया गया है । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस दफा को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । उसमें यह है कि—

"The State shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

इसमें सिर्फ एक चीज को पूरा किया गया है । इस बिल को अगर इस दफा के मुताबिक करना था तो यह ज्यादा अच्छा होता कि जो इसके अन्दर और चीजें हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया जाता क्योंकि बिल बराबर नहीं बनता है । इसके साथ में उन चीजों के होने से वकीलों को भी समझने में आसानी होती । इसलिये इस बिल में इन दूसरी चीजों को भी शामिल किया जाय तो मेरे खयाल में बहुत अच्छा हो ।

अब यहां पर इसके सम्बन्ध में इकनामिक प्वाइंट आफ व्यू के बारे में कहा गया । मैं समझता हूं कि जो जजबात हैं उनमें इकनामिक कंसीडरेशन भी है। हमारे देश में जो कृषि प्रधान है गाय का बहुत ऊंचा स्थान है । अगर सरकार उसे इकानामिक बेसिस पर करना चाहती है तो क्यों नहीं इस प्रश्न को प्लानिंग कमीशन के पास उपस्थित किया जाय जो आल इंडिया बेसिस पर इसके बारे में प्लान करे । शाहिद फाखरी साहब चूंकि इस प्रदेश में रहते हैं इसलिये गाय का मांस नहीं खा सकते लेकिन अगर कोई उनका रिश्तेदार दिल्ली से चला आवे तो स्टेशन पर उसे गोमांस दिया जा सकता है । या शाहिद फाखरी साहब ही दिल्ली से कलकत्ते का टिकट ले लें तो वह लखनऊ स्टेशन पर आकर गोमांस खा सकते हैं, यह चीज कुछ जुड़ती नहीं है । जैसा ब्रजबिहारी जी ने कहा था, अब तक शायद ही स्टेशनों पर गोमांस बिकता हो क्योंकि अब तो वहां हिन्दू और मुसलमान के हिसाब से रेस्ट्रां खत्म हो चुके हैं और शाकाहारी और नानवैजीटेरियन के हिसाब से हैं, तो कोई हिन्दू इस बात को सहन नहीं करेगा नानवैजीटेरियन रेस्ट्रां में गोमांस बिके और वहां हिन्दू भी बहुत जाते हैं । इसलिये इस चीज का इस बिल में अपवाद करके रख देना ठीक नहीं है ।

दूसरे देश भी हैं जहां बहुत अच्छी नस्ल की गायें होती हैं । हमने तो उतनी बढ़िया नस्ल की गायें हिन्दुस्तान में नहीं देखीं । जितनी बढ़िया और अधिक दूध देनेवाली गायें हालैन्ड और डेनमार्क में होती हैं यहां मुश्किल से ही दिखायी देती हैं । उन्होंने अपनी गायों को अच्छी

तरह से पाला है, और उसकी नस्ल को अच्छा बनाया है और उनसे पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा दूध पिलाया है बनिस्बत हम लोगों के जो गाय को पूजते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसका रास्ता जनता को बतलावे। इसलिये जब तक आप काफी चारे का इन्तजाम नहीं करेंगे, जब तक दूध देनेवाली गायों का अच्छा प्रबंध नहीं करेंगे और इस बोझ को किसान के सिर से उठाकर सरकार अपने सिर पर नहीं लेगी तब तक इस तरह का कानून गाय को ज्यादा दुखी कर सकता है और उसे ज्यादा तकलीफ के साथ मारेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों को सोचकर उसके अनुसार काम करना चाहिये। अगर इकानामिक सवाल होता तो यह ज्यादा अच्छा बिल होता। यह बिल केवल जजबाती है। अगर यह इकनामीक होता तो गऊसदन, गोचर भूमि और किसानों की गायों को लेने का भी कुछ प्रबंध आप रखते। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बिल को वापस लेकर फिर से ड्राफ्ट करना चाहिये क्योंकि यह नाकाफी है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के प्रस्तुत करने पर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देने की बात सोच ही रहा था कि आज के विवाद में मैंने जो बातें सुनीं उनसे कुछ से मुझे दुख हुआ क्योंकि वह इस बिल से असंगत थीं। जो जजबात दिखाये गये उनसे मुझे तकलीफ हुई। गऊ का प्रश्न इकानामिक है या धार्मिक, मैं तो इसमें कोई अन्तर नहीं समझता क्योंकि मेरा खयाल है कि कोई भी धार्मिक सिद्धांत अवश्य ही आर्थिक सिद्धांत से भिन्न नहीं हुआ करता। हमारे यहां कहा है कि धार्यते इति धर्मः जो समाज की व्यवस्था करे वह धार्मिक है। मैं समझता हूं कि दुनियां के जितने भी मजहब हैं उनमें जहां बहुत सी बातें और कारणों से उत्पन्न हुई हों वहां एक कारण आर्थिक भी रहा होगा। हमारे धर्म में हमारे पूर्वजों ने अनेक वे बातें हमारे लिये रखीं जो कि समाज के लिये बहुत आवश्यक थीं। बहुत से लोगों ने कहा कि भैंस अधिक दूध देती है उसकी भी रक्षा होनी चाहिये। अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष का सारा आर्थिक संगठन कृषि पर निर्भर है और हमारी कृषि बैलों पर अवलम्बित है। आप जानते हैं कि अमरीका में बैलों को मारना शुभ समझा जाता है उत्सव के समय क्योंकि वहां खेती तो उससे होती नहीं, है, वह तो ट्रैक्टर से होती है या उसके पहले घोड़ों से होती थी। वहां के समाज में बैल का कोई उपयोग नहीं था। उन्होंने बैल को बलि के लिये उपयुक्त समझा परन्तु यहां की जनता का सारा कृषि का और आर्थिक तानाबाना केवल गोवन्श और बैलों पर ही अवलम्बित है। हमें उसकी रक्षा करनी होगी।

कुछ लोगों ने कहा कि कुछ आंदोलन या हल्लागुल्ला यहां हुआ और उसे शांत करने को सरकार ने यह बिल रखा है। जैसा कि गौतम जी ने आपको अभी अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया मैं उसी आर्टिकल ४८ को आपने सामने रखना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि उससे आंदोलन का तर्क समाप्त हो जायगा। उसमें यह बताया गया है और जहां एक ओर इस बात पर आग्रह किया गया है कि वैज्ञानिक तौर पर उसके सारे साधनों को संगठन करके हम देश में गोवंश की वृद्धि करें वहां दूसरे अंग में उसका निरोध करने का' गो हत्या को बंद करने का अंश रखा गया है। यह संविधान तो बहुत पहले ही बन गया था। उस समय ऐसा किसी पार्टी का आंदोलन न था इसलिये इस समय यह कहना कि सरकार ने केवल यह इसलिये प्रस्तुत किया कि उसके विरुद्ध कुछ उत्पातियों ने आवाज उठायी थी मेरे खयाल से यह बात बिलकुल गलत है।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उसमें दो तीन बातें कही गयी हैं एक तो गौ की हत्या करने और उसको मारने का निरोध किया गया है और उसके लिए सजा की व्यवस्था की है। दूसरी बात गो मांस बेचने के सम्बन्ध में है। गो मांस बेचने का भी निरोध किया गया है। तीसरी बात उसमें यह है कि ऐसी संस्थायें खोली जायं। जो अनइकोनोमिक कैटिल को वहां रक्खें। तो मेरे खयाल से इसमें तीन पूरे क्लासेज हैं। यह हो सकता है कि उसमें किन्हीं जगहों पर मतभेद हो। मेरा खयाल यह है कि लोगों का इसमें कहीं कहीं मतभेद हो सकता है लेकिन मैं उसका जिक्र इस समय नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका जिक्र आगे जब बिल के क्लासेज

[श्री देवकीनन्दन विभव]

आयेंगे उस समय मैं अपना मत व्यक्त करूंगा। यह जो बिल हमारे सामने है तो उसमें जिस समस्या पर विचार किया गया है उस पर हमें काफी अहमियत से विचार करना है। एक समस्या उसमें यह है कि आखिर जो अनुत्पादक कैटिल हैं उसके मारने पर जब रोक लग जायगी तो उनके चारे का प्रबंध कैसे होगा। उसके लिये बिल में कहा गया है कि गो सदन स्थापित किये जायेंगे जहां ऐसी कैटिल को रक्खा जायगा। मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं जैसा कि माननीय गौतम जी ने कहा और जिस ओर उन्होंने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उन अनुत्पादक कैटिल्स का चाहे वह शहरों में हों, गांवों में हों या किसी व्यक्ति के हों गवर्नमेंट को उनके प्रबंध करने का ध्यान है और उसके लिये वह उपाय सोच रही है और उसके बारे में शायद कोई ऐक्ट या व्यवस्था या विधि इस सदन के सामने रखी जायगी। अगर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जायगी तो परिस्थिति वही हो जायगी जो आज गांवों में है, मेरी कांस्टीट्युन्सी में भी है कि वहां बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि वह फसल को रहने नहीं देती, चट कर जाती है। इस समस्या पर हमें अवश्य विचार करना है। इसके उद्देश्य और कारणों में इकोनामिक होना चाहिये था या मजहबी कारण दिखाना चाहिये था, मेरे खयाल में इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है और न यह कहने की आवश्यकता थी कि हमारे भाई हैं, हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये और इसीलिये हम उस को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। आर्थिक सवाल जो कुछ लोगों के लिये है वही दूसरे लोगों के लिये भी है। गो रक्षा का प्रश्न सारे हिन्दुस्तान के लिये चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो, मजहब का हो, एक रूप से लागू होता है और एक ही रूप से सबको लाभ होने वाला है। तो मेरा खयाल तो यह है कि यह जो विधेयक मेरे सामने आया है, चाहे उतना सम्पूर्ण न हो जितना कि हम और आप चाहते हैं लेकिन जिस रूप में भी आया है, मेरे खयाल से एक बहुत बड़ा क़दम है जो हमारी सरकार ने उठाया और साथ ही उसमें यह भी आवश्यक समझता हूं कि चाहे वह इस विधेयक में आवे, चाहे इसके बाद कोई दूसरा विधेयक बने जिससे हम इस कर्त्तव्य की ओर आकर्षित हों और हमें प्रेरित किया जाय कि देश के पशुधन के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिये।

हम गाय रक्षा की बात बहुत कहते हैं, बहुत नारा लगाते हैं लेकिन उनके व्यवहार को अगर देखें तो मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि शहरों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गायें रखते हैं। वे सुबह गाय का दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद गाय को शहर में छोड़ देते हैं। वह जगह-जगह जा कर मुंह मारती है और लाठी खाती है। तो कहने के लिये तो कहते हैं कि गो माता है लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है। हमारा कर्त्तव्य ऐसा होना चाहिये कि जो हमारी भावना है, जो आधारभूत भावना है उसका वास्तविक आदर करें और उसका उपयोग करें। आज जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, डेनमार्क और हालैंड को देखते हैं और वहां की बात सोचते हैं कि किस तरह से वहां गायों का पालन होता है, वे चाहे गाय के रक्षक न हों, उनकी संस्कृति में चाहे गाय का उतना स्थान न हो लेकिन जिस तरह से वहां गायों की रक्षा की जाती है, जिस तरह से वहां गायों का पालन होता है, यदि मैं उनकी बातें आप को बतलाऊं तो मैं समझता हूं कि इस सदन का अधिक समय लेना होगा। आज हमारे देश में प्रति गाय जितना दूध का उत्पादन है उसके मुकाबले में वहां मन, डेढ़ मन और दो-दो मन दूध देने वाली गायें काफी तादाद में हुआ करती हैं। तो मैं समझता हूं कि गाय की रक्षा करना हमारे देश वासियों का कर्त्तव्य है और यदि वे गाय की रक्षा असली तात्विक समझते हैं तो गाय की रक्षा केवल विधान के जरिये ही नहीं होगी बल्कि गाय की रक्षा को व्यावहारिक रूप में लाकर उसको उसी स्तर पर लाया जाना चाहिये जिस स्तर पर एक दूसरे देशों की गायें होती हैं। गायों की संख्या हमारे देश में काफी है, और भी बढ़ जाय तो वह कोई ज्यादा नहीं होगी। परन्तु हमें, अपनी क्वालिटी को, उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहिये और एक तरफ जहां गाय के निरोध के लिये हम प्रस्ताव पास करें उसी समय हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है, देशवासियों के लिये और सरकार के लिये भी कि वह

एक उपाय सोचे और फिर व्यवहार काम में लावे जिससे गाय की नस्ल बढ़े। मुझे खुशी है हमारे प्रदेश की सरकार ने इस तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाया है और उसने कुछ काम किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने कुछ काम नहीं किया है। मथुरा में जो कालेज खुला है उस में हमारे दूसरे सारे काम हो रहे हैं और उससे काफी हमारे काम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस रूप में और जिस क्वान्टिटी में और जिस गति के साथ इस समस्या के हल करने के लिये आगे बढ़ना चाहिये, मुझे खेद है कि अभी उस रूप में नहीं बढ़ा जा रहा है। मैं इस सदन में और कोई विषय नहीं लाना चाहता, मुझे विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक का पूरी तरह से स्वागत करेगा और सरकार के आगे उन उपायों को सोचेगा जिससे इस विधेयक के सिद्धान्तों की रक्षा की जा सके।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज इस सदन के सामने उपस्थित है उसके लिये मैं युक्त प्रान्त की सरकार को बधाई देता हूं। यह कहना कि यह विधेयक किसी दबाव के कारण या किसी दल के सत्याग्रह के कारण उपस्थित किया गया है यह तो एक घटनाचक्र को भूल जाना है। मुझसे पूर्व के वक्ता, हमारे बरेली के नवनिर्वाचित सदस्य ने अपनी मेडेन स्पीच में साबित किया है कि यह बिल, जिस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, गौ रक्षा के प्रश्न पर विचार कर रही है, उसका एक आवश्यक और पूरक अंग था। गो संवर्धन कमेटी जो इस सूबे में कायम की गयी थी उसने जितनी पूरी और जितनी अच्छी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में उपस्थित की है वैसी शायद इस देश के किसी प्रदेश में अभी तक तैयार नहीं हुई है। उन्होंने गो रक्षा के लिये दोनों ही बातें बराबर जरूरी बताई हैं, एक तो गो वध का निषेध और दूसरे वह तमाम योजनायें कि जिन से गौ के पालन पोषण और संवर्धन में सुवधा हो सके। उसी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह योजना यहां रखी है और उसे बिल के रूप में उपस्थित किया है। इस से पहले भी सदन के माननीय सदस्य कुंवर रणंजय सिंह ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव इस विषय का रखा था और सरकार ने उसको अपना समर्थन दिया था जिसमें उन्होंने गोवध निषेध की बात कही थी, यह शायद सन् १९५२ की बात है। इसलिये हमारे प्रदेश की सरकार तो उसी रास्ते पर चल रही है, किसी दल या किसी दबाव से ऐसा नहीं किया जा रहा है।

अब प्रश्न यह है कि यह आर्थिक प्रश्न है या धार्मिक। मैं तो इस बात को मानता हूं कि ऐसा भेद करना ही गलत है। धार्मिक या आर्थिक यह कोई दो अलग अलग टुकड़े नहीं हैं और न वह एक दूसरे से विभाजित ही हो सकते हैं। हमारे यहां जो धर्म का अर्थ है वह अर्थ से अलग नहीं है, धर्म में अर्थ शामिल है, काम शामिल है। यह बात वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने धर्म का अर्थ समझा है। कहा भी है कि "यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि : सधर्म :" जिससे इस लोक में आनन्द हो और मनुष्य का आत्मिक कल्याण भी हो, जिससे दोनों बातें सधें वह धर्म है गो का मसला धार्मिक मसला मुख्यकर इस अर्थ में है कि इससे हमारे देश की आर्थिक नीति की पूर्ति होती है। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि हमारे देश की आर्थिक नीति क्या हो और हम सब सहमत हैं कि हमारी विकेन्द्रित आर्थिक नीति होनी चाहिये हम अपनी इतनी बड़ी ३० करोड़ की जन संख्या को यदि काम देना चाहते हैं तो वह हम केन्द्रित अर्थ नीति से नहीं दे सकते, डिसेन्ट्रेलाइज्ड एकोनामी से ही दे सकते हैं। गो संवर्धन का प्रश्न भी उसी डिसेन्ट्रेलाइज्ड एकोनामी, विकेन्द्रित अर्थ नीति का ही एक रूप है। हमारे यहां क्लेक्टिव फार्मिगं के विषय पर काफी बहस हो चुकी है और हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि व्यक्तिगत खेती से जो लाभ है वह कलेक्टिव फार्मिग से नहीं है। किसान की जमीन, उसी के साधन, उसी की खेती। इसी रूप में इस देश की अर्थ नीति चलाई जा सकती है और उसी में गौ और गौ के वंश बैल बछड़ों का मुख्य स्थान हो जाता है। इस कारण से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक दृष्टि से है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप दूसरे देशों के अंकों को ले तो जहां दूसरे देशों में प्रति मनुष्य पीछे अमेरिका में १७ छटांक दूध की उत्पत्ति होती है, हालैंड और बेलिजियम में जहां पशुपालन अधिक है

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

वहां २० छंटाक फी मनुष्य उत्पत्ति होती है, वहां अपने देश में केवल २ छटांक दूध की उत्पत्ति होती है। जहां इतनी गिरी हुई स्थिति है वहां इस प्रश्न का कितना आर्थिक महत्व है उस को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारी जो योजनायें बन रही हैं द्वितीय पंच-वर्षीय योजना बनने वाली है उसमें इन प्रश्नों को जितना स्थान मिलना चाहिये वह अभी हमारी कल्पना में नहीं है और वही हम गलती कर रहे हैं। हमारे देश के गावों में रहने वाले लाखों किसान तो तभी सुखी होंगे जब हम उनको अच्छी तरह से घी और दूध खाने के लिये दे सकें, जब उनकी खेती के लिये अच्छे बैल और बछड़े मिलने लगेंगे। आप की जो बिजली आदि की योजनायें हैं मैं नहीं कहता कि उनकी उपयोगिता नहीं है उनकी उपयोगिता है बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये और कुछ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये लेकिन गाय बैल की उपयोगिता और उनसे जो पदार्थ हमें मिलते हैं उन को सब से प्राथमिक आवश्यकता जीवन के लिये है। इसलिये आर्थिक दृष्टि से हमें इस को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये। एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें। हमें यह देखना चाहिये कि प्रजातंत्र में लोगों की इच्छा क्या है और लोगों का लाभ किसमें है। इन दोनों दृष्टियों से विचार करें तो गोसंवर्द्धन और गोवध निषेध दोनों आवश्यक हो जाता है। मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस बिल में कुछ बातें ऐसी आ गयी हैं जिनसे बिल के उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी ऐसी संभावना है। कोई कानून अच्छा है या बुरा इसकी पहली कसौटी यह है कि कानून ऐसा होना चाहिये जिसके उल्लंघन की गुंजायश न हो वही कानून अच्छा कानून कहा जा सकता है। इस कानून की दफा ४ और ५ में जो छूटें दी गई है उसमें इतने (loopholes) हैं जिनसे कानून का उद्देश्य बिलकुल खत्म हो जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि पिछला अनुभव भी यही बतलाता है। अंग्रेजी सरकार ने लड़ाई के जमाने में एक आर्डर पास किया था कि गाय को इतनी उम्र के नीचे और उसके बछड़े को नहीं मारा जायगा लेकिन उसका पालन कहीं नहीं हुआ। कोई इंस्पेक्टर इसकी तसदीक नहीं करता कि कसाई ने अबध्य गाय मार डाली। इसी तरह से आप ने जो अपवाद कर दिया है कि जो संक्रामक रोगों से पीड़ित होंगी उनको मारा जा सकता है तो इस सम्बन्ध में कितने अच्छे गाय और बैल भी मारे जायेंगे। अगर आप यह भी कर दें कि सरकारी चिकित्सक या कोई वेटरीनरी इंस्पेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित थी तो भी वह काफी नहीं होगा। इसमें रिश्वत भी बढ़ जायगी और आप के कानून की रक्षा नहीं होगी। तो आप को यह करना है कि किसी वेटेरीनरी डाक्टर से उसका सर्टीफिकेशन भी हो और साथ ही यह भी लाजिमी होगा कि उस को मारने के बाद कहीं उस को गाड़ दिया जाय। अगर इतना आप करेंगे तब भी शायद कोई बचत हो जाय और अच्छे पशु अच्छी गाय और बैल मरने से बच जायं। इसी तरह खंड ५ का भी उल्लंघन आसानी से हो सकेगा। उसको हटाने की जरूरत है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भाई सुल्तान आलम खां ने बहुत ठीक सुझाव दिया कि उस की कहां आवश्यकता होती है आप निषेध करते हैं तो पूरे तौर से करें। अगर अधूरा निषेध करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ सदस्यों ने संदेह प्रकट किया है और हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि गो वध निषेध के बाद अपाहिज गायों का होगा क्या? उनके लिये चारे का क्या प्रबन्ध होगा? उन्हें कहां रक्खा जायगा? मैं जानता हूं कि हमारे पास साधन हैं और हम अपने साधनों का ठीक उपयोग नहीं कर पाते।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आपने इस प्रान्त में केवल दो गोसदन स्थापित किये हैं जब कि प्रान्त में काफी जंगल हैं। उनका उपयोग करें और उन्हें चारे के लायक बनायें जिससे बहुत से गोसदन स्थापित हो सकते हैं और वे अपाहिज और बूढ़े पशु वहां भेजे जा सकते हैं। पंजाब में मैंने देखा है कि प्रत्येक किसान अपनी खेती के साथ बीघा आधा बीघा चारे की खेती करता है लेकिन हमारे प्रदेश में उसका चलन ही नहीं है। हमारे प्रदेश में हरे चारे की खेती बहुत कम होती है। हरे चारे की खेती बढ़ाने से आपको पशुओं के लिये चारा मिल जायगा। हमारे

इस देश में आज भी लगभग ९ करोड़ गायें हैं और २ करोड़ गायें हमारे प्रदेश में हैं। यह किसान की बुद्धिमानी है कि मिक्स्ड फार्मिंग की वजह से आज भी इतने पशु जीवित हैं। जो खेती होती है उस में अन्न भी उत्पन्न होता है और चारा भी उत्पन्न होता है। उस की बुद्धिमानी यह है कि आप चाहे जहां देख सकते हैं आज भी हमारे प्रदेश में गायों की संख्या अधिक है, भैंसों के बनिस्बत। जहां दो करोड़ संख्या गायों और बैलों की है वहां भैंसों की संख्या करीब ५०, ६० लाख के है। किसान अपनी अर्थनीति को जानता है, वह जानता है कि उसको अधिक लाभ गायों से है अगर अधिक लाभ होता तो भैंसों को अधिक पालने लगता। हमारी खेती बछड़े पर है। गाय कम दूध देती है लेकिन बछड़ा तो देती है और उसकी खेती का दारोमदार बछड़े पर है। यही वजह है कि गायों की संख्या किसान के पास भैंसों के मुकाबले में तीन गुनी, चार गुनी ज्यादा है। अगर कोशिश की जाय तो इस प्रदेश की गायों का दूध भी बढ़ सकता है और उस अवस्था में गाय का रखना एक एकानामिक प्रोपोजीशन हो जायगा और यह न होगा कि गाय के अपाहिज होने पर वह कसाई के हाथ बेच दी जाय या भूखी रख कर मारी जाय। हमारे भाई गौतम जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, तो यह बात इस विधेयक में सम्मिलित की जा सकती है या उसके लिये दूसरा विधेयक आ सकता है। यहां जो एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट है और कृषि विभाग दोनों मिल कर इसके लिये प्रयत्न करें, तो अपाहिज गायों की रक्षा के लिये अच्छे साधन मुहइया हो सकते हैं।

एक बात और है जो हमारी समस्या का अंग है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि गाय की रक्षा के ऊपर इतना जोर देते हैं तो भैंस और बकरी पर क्यों नहीं देते। भैंस बकरी भी इस विधेयक में शामिल कर लिये जायं। मैं मानता हूं कि पशु जितने हैं वे उपयोगी हैं और दूध देने वाले पशु खास तरीके से उपयोगी हैं। लेकिन यह प्रश्न आप किसान से पूछिये और उसका उचित उत्तर वह देगा। क्या वह बकरी या भैंस से उतना ही लाभ समझता है जितना गाय से? नहीं समझता वह उनसे तो केवल आपको दूध मिलता है लेकिन खेती नहीं चलती। बकरी से तो खेती चलती नहीं और भैंसों की खेती कोई खेती नहीं है। खेती बैलों पर मुनहसिर है। ट्रांसपोर्ट का काम जो आज किसान करता है वह बैलों पर है। इसलिये भैंस की रक्षा पर उतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है और मैं यहां पर यह कह दूं कि महात्मा गांधी ने जो इस विषय की विवेचना की, पूरा अध्ययन कर के उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर हम भैंस की ओर उतना ध्यान देने लगेंगे तो भैंस, गाय को खा जायगी। जिस तरीके से महात्मा जी ने खादी पर जोर दिया। इसलिये कि खादी से न केवल कपड़े की पूर्ति होती है बल्कि उससे लाखों और हजारों कतिनों को काम मिलता है। इसी तरीके से दूध तो उससे मिल जायगा लेकिन खेती का काम उससे नहीं चलेगा। इसलिये इस संबंध में हमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। गाय की रक्षा का प्रश्न बहुत महत्व का है और भैंस और बकरी की रक्षा का महत्व अधिक नहीं है। वैसे मैं मानता हूं कि पशुमात्र की जितनी हम रक्षा कर सकें, करें। लेकिन गाय की रक्षा महात्मा जी के शब्दों में प्रतीक है। मूक प्राणीमात्र की रक्षा की जब हमने धार्मिक विचारों की ऊंची कल्पना इस सम्बन्ध में उठायी थी तो उसका प्रतीक यही था कि गाय की रक्षा को हमने अपनाया। वैसे मनुष्य मनुष्य सब भाई हैं। सब धर्मों ने इसको माना है। लेकिन हिन्दू धर्म ने इस दायरे को और आगे बढ़ाया और वह दायरा पशु तक जाता है और उनमें सब से उपयोगी गाय है। इसलिये गाय की रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। हमारे बुद्धिमानों ने उसको संकुचित रूप नहीं दिया। यह नहीं कि किसी शास्त्र में लिखा है इसलिये ऐसा करना चाहिये। यह संकुचित रूप नहीं दिया। उसको मुख्यरूप से उपयोगिता और धर्म की विस्तृत कल्पना का रूप दिया। वैसे ही आज यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम चाहे हुमिनिटेरियनइज्मि दे दिया जाय, मारैलिटी दे दिया जाय, लेकिन उसके अन्दर वह ऊंचा तत्व मौजूद है, आध्यात्मिक तत्व मौजूद है और ऊंची आर्थिक नीति से इस प्रश्न का सम्बन्ध है। इन तमाम बातों की वजह से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश ने इससे अपना गौरव बढ़ाया है और देश को एक रास्ता दिखाया है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखता हूं और इसके भीतर के जो खंड हैं उनको देखता हूं तो दोनों में काफी अन्तर पाता हूं। उद्देश्य और कारण का यह हिस्सा, इस अनुभव को ध्यान में रख कर तथा इस विचार से कि गाय और उसके वंश की दूध, बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिये रक्षा करना आवश्यक है, गोवध पर पूर्णरूप से निषेध लगाना आवश्यक हो जाता है।

दो बातों पर यह विधेयक खास तौर से निर्भर करता है और वे ये हैं। दूध और बैलों की शक्ति, खेती की व्यवस्था करने के लिये इनकी रक्षा करना आवश्यक है। मैंने इन दस खंडों को बहुत गौर से देखा लेकिन इन दस खंडों में जो इस विधेयक में हैं कहां इसकी गुंजायश है कि दूध की उत्पत्ति बढ़े अथवा बैलों की शक्ति इन दोनों चीजों की गुंजायश मैं नहीं देखता। मैं यह भी कहूंगा कि बड़ा कठिन होता है किसी किसान के घर से किसी ऐसे पशु का बेचा जाना जो दूध देने वाला हो। और वह भी काटने के लिये, कोई उसकी हत्या करने के लिये ले जाय? अगर उससे थोड़ा भी दूध किसी किसान को मिलता है या किसी आदमी को मिलता है तो वह उस को बेच नहीं सकता है। श्रीमन्, मैं कृषि मंत्री जी के भाषण को तो सुन नहीं सका लेकिन इस विधेयक को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक का जो मंशा है वह ऐसा लिखा गया है कि जिससे बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जायगा और वह मंशा पूरा नहीं हो पायेगा। बड़ी कोशिश के बाद मैंने देखा कि उस में जो खंड ६ है उस में जरूर लिखा हुआ है कि--

> "राज्य सरकार अथवा जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश दे, कोई स्थानिक आधिकारिकी अलाभकर गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकता है।"

यह भी नहीं कि उसको करना ही होगा। वह कर सकता है यह लिखा हुआ है। तो जब हम कोई पाबन्दी किसी के ऊपर नहीं डालते और न सरकार उसकी पाबन्दी को अपने ऊपर लेने को तैयार है तो जो अलाभकर पशु हैं उनका क्या होगा? वह अलाभकर पशु किसान छोड़ दें और वह सारे देश की खेती बरबाद करें और वह दूसरे लोग जिनके कि वह पशु नहीं हैं वह उन्हें पकड़े और उन्हें पकड़ कर जिसके हाथ चाहें बेचें, अगर इन सारी बातों की कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के लिये इस बात की व्यवस्था नहीं है कि ऐसे अलाभकर जो पशु हैं वह उनको किस प्रकार रखे और उनको मेन्टेन कैसे कर सके तो कम से कम इस विधेयक को ऐसा नहीं करना चाहिये कि वह ऐसे पशुओं की रक्षा के लिये या बैलों की शक्ति बढ़ाने के लिये या दूध की पैदावार बढ़ाने के लिये इसे प्रस्तुत कर रही है। मैं तो शिकायत इस बात की नहीं करूंगा और न मुझे कोई शिकायत है कि अगर जनता की इच्छाओं की कद्र सरकार करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो वह शिकायत की पात्र हो ऐसी कोई बात नहीं है और खास तौर से उस वक्त जब कि इस तरह के सेंन्टीमेंट्स को, इस तरह की भावनाओं को कुछ दूसरे लोग पोषण कर के सरकार को एक दूसरे ढंग की बनाने की कोशिश कर रहे हों। तो ऐसे समय में अगर सरकार या दूसरे समझदार लोग इस बात को सोचें और समझें और ऐसे कानून बनायें तो मैं उसमें कोई शिकायत नहीं करता। मैं उन साहबान से भी यह दरख्वास्त करना चाहूंगा और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैं ही इस बात को जानता हूं, वह खुद भी इस बात को जानते हैं कि आखिर देश में गाय की रक्षा के नाम पर, या मजहब और धर्म के नाम पर जितने भी आंदोलन चलाये गये हैं, क्या उनका उद्देश्य जो बात कही गई वही था? उनका उद्देश्य शायद राजनीतिक था। सरकार पर काबू पाना उद्देश्य था, अपने हाथ में शासन लेकर अपने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार चलाना उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने कहा यह कि जो देश के बहुमत के हृदय को बात छूती हो और देश के बहुमत को अपने साथ ले जाने की समर्थ्य रखती हो, इस तरह

की बात, इस तरह का नारा उन्होंने लगाया। जनता की इच्छा के बारे में मुझे भ्रम नहीं है कि अगर आज सारे भारतवर्ष में इस बात को पूछा जाय कि गायों के ऊपर जो सख्ती होती है, जो उनका वध होता है उसको रोका जाय तो उसमें कोई बहुमत सरकार के साथ होगा और वह यह कहेगा कि गायों के वध को रोका जाना चाहिये। तो सरकार ने इस प्रकार तो जनता के बहुमत की इच्छाओं की कदर की है, लेकिन मैं गौतम जी की कुछ दलीलों से इत्तफाक करता हूं और समझता हूं कि यह विधेयक बहुत ही अधूरा है। क्या इस विधेयक से जो हमारे सामने समस्या है उसका कोई हल हो सकेगा? इस विधेयक के बारे में जिसको सरकार बहुत अच्छे इरादे से लाई उसके बारे में कोई ऐसी बात कह देना तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस मौके पर सत्य बात न कहने से भी बड़ा अनर्थ हो जाता है। मैं बहुत अदब के साथ कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका चाहे जितना पवित्र इरादा हो, न इससे बैलों की शक्ति बढ़ने वाली है, न खाद बढ़ने वाली है, न दूध बढ़ने वाला है। हां, मुकदमेबाजी कुछ बढ़ सकती है और उन्हीं की बैठायी हुयी कमेटी बतलाती है कि सिर्फ २७ सौ या २८ सौ के करीब पशु अब मारे जाते हैं ये सन् ५१-५२ के अंक हैं। जबकि सन् ३७-३८ में एक लाख, बयालीस या चौबीस हजार पशु मारे जाते थे, वह अब संख्या घट कर २७ सौ या २८ सौ सन् १९५१-५२ में रह गयी। सम्भव है कि सरकार उन पशुओं को बचाने में समर्थ हो जाय, लेकिन जो पशु घुल-घुल के रोज मरते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है और सरकार का जो कुछ भी कदम है वह एक रत्ती भी उनकी रक्षा नहीं करता और ऐसे पशु कोई थोड़े नहीं हैं, वह लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष मरते हैं। सरकार को पता है, गोसम्बर्धन इन्क्वायरी कमेटी ने तो स्पष्ट इस बात को कहा कि जो ३ करोड़ १२ लाख या तीन करोड़ से कुछ ज्यादा पशु हमारे देश में हैं उन में से अगर कम से कम जो संतुलित भोजन उन्हें दिया जा सकता है मिले तो केवल १ करोड़ ६० लाख को मिलेगा।

श्री हुकुमसिंह--तो आप देते क्यों नहीं अपने बैलों को?

श्री गेंदासिंह---यहां तो अपना पेट पालना मुश्किल है, बैलो का कैसे पाला जाय। कृषि मंत्री जी तो अपने मोटे होने और अपने बैलों को खिलाने की कोशिश में हैं, हमें कहां से आये? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बजाय इस तरह के विधेयक को लाने के विधेयक ऐसा लाया जाय जिसमें हम बहुत ही संजीदगी के साथ विचार करें कि इन ३ करोड़ १२ लाख पशुओं को जो हमारे सूबे में हैं, संतुलित भोजन कैसे मिले। अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा सीधा है, अगर इन को संतुलित भोजन दिया जाने लगे तो फिर मारने वाली बात तो एक दम समाप्त हो जाय, जहनियत से निकल जायगी। जिन लोगों को हम समझते हैं कुछ एतराज भी होता है उनके यहां भी गाय और बैल पाले जाते हैं और वह भी उनको उसी आर्थिक नुक्ते निगाह से देखते हैं उस वक्त उनको देवता की तरह से पूजते हैं---हम नहीं पूजते। आज जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया किसी जिले के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक इंच भूमि तो अब बाकी नहीं रह गयी चरागाह के लिये। आखिर इस चरागाह को मोहइया करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर माननीय कृषि मंत्री यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर, एक सदस्य के ऊपर डालें तो यह शोभा की बात नहीं है। १९०४ में जो संख्या गाय बैलों की हमारे देश में थी सन् १९५१ में उसमें चार लाख की कमी हुयी। १८७२ में आदमियों की संख्या इस प्रदेश में चार करोड़ कुछ लाख थी जो १९५१ में ६ करोड़ ३२ लाख हो गयी। लेकिन पशुओं की संख्या घटी क्यों और खास तौर से उस जमाने में घट रही है जब कि ऐसी सरकार है कि जिसका पशुओं और आदमी दोनों के भोजन की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिये और दोनों के भोजन की तरफ अगर उसका ध्यान जाय तो कभी-कभी जो सरकार को यह सुनना पड़ता है कि फलां की भूख से मृत्यु हो गयी वह सुनने को न मिले और फिर मैं समझता हूं कि इस तरह का पशुओं के वध को रोकने के लिये विधेयक लाने की जरूरत भी न पड़े। मैं श्री मोहन लाल जी की उन दलीलों से इत्तफाक करता हूं कि ऐसा कानून सारे देश के लिये बनना चाहिये न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बनावे। और जो उन्होंने बताया कि एक साहब

[श्री गेंदासिंह]

मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा सामान लेकर चल रहे हैं जो इलाहाबाद में आकर यू० पी० के कानून के मुताबिक आपत्तिजनक है तो क्यों न इस तरह का कानून बनाया जाय और क्यों न उत्तर प्रदेश की सरकार भारत की सरकार के ऊपर जोर डाले, भारत की सरकार को समझाये कि वह इस प्रकार का कानून लाये जो सारे भारतवर्ष में लागू हो सके। ऐसा कानून बन सकता है और मैं समझता हूं कि सरकार अगर इसके लिये प्रयत्नशील हो तो वह इसमें सफल हो सकती है और ऐसा ही कानून बनना चाहिये जिससे इस तरह के झंझट न खड़े हों जिसमें मुकदमेबाजी बढ़े और उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मैं भी जल्दी से इस विधेयक को पास कराना चाहता हूं लेकिन इसके सारे पहलुओं पर विचार तो कर लिया जाय।

श्री शिवनारायण—विचार किया जा रहा है।

श्री गेंदासिंह—माननीय शिवनारायण जी बार-बार कहते हैं कि विचार किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि अब वह गाय बैल रखते हैं या नहीं। अगर वह गाय बैल रखते तो शायद इस तरह की बात नहीं कहते। हम तो गाय बैल रखने वाले हैं और गाय बैल बेचने वालों को भी मैंने देखा है। गाय बैल जो रखने वाले हैं, जो रक्षा के नाम पर सब कुछ करने को तैयार हैं अगर वे यह तय कर लें कि हम अपने गाय बैल कटने के लिये नहीं देंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उनका कटना रुक जायगा। हम बेंचते हैं और हम देते हैं उनके हाथ में। और हम किस कारण से देते हैं उस पर काफी रोशनी पड़ चुकी है। हम मजबूर हैं। जो अलाभकर पशु हैं हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि उनको खिला सकें। बम्बई में हमने देखा है कि सारे दूध बेचने वाले जो हैं वे कोई दूसरे वर्ण के नहीं हैं, वे सब हम लोगों के ही भाई बन्धु हैं, लेकिन जितने बछड़े उनके हैं उनको वे नहीं चाहते कि वे जिन्दा रहें और उनको जिन्दा रखने की कोशिश नहीं की जाती है। मैंने देखा है सैकड़ों और हजारों भैंसें वहां पर पाली जाती हैं लेकिन बगैर बच्चे के वे दुही जाती हैं। तो हमारी आर्थिक अवस्था ऐसी है कि जो हम नहीं चाहते हैं वह भी करने के लिये हम मजबूर हो जाते हैं। मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा और माननीय शिवनारायण जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि बार-बार वह इशारा कर रहे हैं तो इस १० खंडों के विधेयक को पास करके और पशुओं को घुल-घुल कर मरने को हम रोक नहीं पायेंगे।

श्री शिवनारायण—क्या मैं समझ सकता हूं कि आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की समझदारी को चैलेंज कैसे करूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बार-बार इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ इसलिये गड़बड़ी हो रही है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, शिवनारायण जी की मूर्ति ही ऐसी है कि उनको देखने के बाद बड़ी उत्सुकता हो जाती है और कुछ इशारा भी करते हैं। वह मंत्री जी को कुछ सुनवाना चाहते हैं, मैं उतना सुना नहीं पाता हूं। जितना वह सुनाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पर विचार किया जाय और ऐसा उपाय सोचा जाय जिससे जो अपने देश में पशु वध होता है वह रुक सके। इसको रोकने के लिये एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस विधेयक में। हम लोग बिहार में रांची गये थे, वहां घूमघाम कर देखा और चर्चा हुयी तो हमने कहा था कि यदि नस्ल का सुधार हो जाय तो दूध देने वाली गाय भैंस बढ़ें और जो बंधया हो जाती हैं वह कम हों। सांडों की सारे देश में बहुत कमी है और जो सांड हैं वह इस तरह के हैं कि जो उनसे नस्ल पैदा होती है वह दूध देने वाली नहीं होती है और काम करने में भी इंफीरियर होती है। इसलिये इस चीज को हम हटाना चाहते हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि इस तरह से इक्का दुक्का सांड भेजने से काम नहीं चल सकता है हमारे प्रदेश में एक लाख गांव हैं और मैं चाहता हूं कि चार गांव के पीछे एक सांड होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—हर साल ४०० भेजते हैं ।

श्री गेंदासिंह—मैं कहता हूं कि २५ हजार सांडों की आवश्यकता है और ४०० प्रतिवर्ष भेजते हैं तो इस हिसाब से ५० साल से अधिक लगेंगे और शायद उस समय तक हम और वह दोनों इस संसार में नहीं रहेंगे ।

श्री हुकुमसिंह—४०० जायेंगे वह भी तो पैदा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनको भाषण करने दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह—मैं चाहता हूं कि एक पूरी व्यवस्था की जाय और चार गांव पर एक सांड छोड़ा जाय । हमारे फाखरी साहब की शिकायत भी दूर हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा कि गोश्त खानेवालों की शिकायत दूर होनी चाहिये, इसके लिये हमें बकरी ज्यादा पैदा करनी चाहिये क्योंकि हम दोनों बकरी पर ही अपनी जबान तेज करते हैं तो उनकी शिकायत भी दूर हो जायगी । सिर्फ यह इटावा में ही मिलते हैं । मैंने बार-बार कहा है कि यह सांड बहराइच में भी भेजे जायं । मंत्री जी को कोई शिकायत इटावा से हो सकती है । तो दूसरी जगह से भेजे जायं । अगर देवरिया में कोई ऐसा सांड हो जो बहराइच में काम कर सके तो मैं उसके लिये भी कहूंगा और मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गंभीर समस्या है और नस्ल सुधारने से हम सब कमियों को पूरी कर सकते हैं और इसके लिये सांडों की आवश्यकता है ।

चारे के लिये मैं कहता हूं कि सरकारी कानून बनाया जाय । जितनी कमी चारे की हो गयी है उसको पूरा किया जाय । खाने पीने वाली बात है तो जब चरागाह नहीं हैं तब किसान भूसा वगैरह खिलाकर पालना चाहता है । जब वह उनको नहीं पालते हैं तो वह उनको छोड़ देते हैं । ऐसे पशु हमारे जिले में हजारों छोड़ दिये गये । छोड़ देने के बाद उन पशुओं का पता नहीं लगा कि उनका क्या हुआ । वह उसका पता ही नहीं करते हैं कि आया वह मार दिये जाते हैं या कोई-कोई उनको पकड़ कर पालता है । वह खुद ही उनको छोड़ देते हैं । अगर चरागाह का प्रबन्ध हो तो यह व्यवस्था पैदा ही न हो । चरागाह का प्रबंध करने के लिये सरकार कुछ करना नहीं चाहती मैं फिर सरकार से इस बात को कहूंगा कि चरागाह के लिये जमीन की व्यवस्था करे । जमीन की व्यवस्था की जा सकती है अगर सरकार उसको करना चाहे तो वह हो सकता है । सरकार इस प्रश्न पर विचार करे । जब यह बात स्पष्ट है कि ३ करोड़ १२ लाख जानवरों में से केवल १ करोड़ ६० लाख जानवरों को ही हम खाने को दे सकते हैं और बाकी के लिये हम सन्तुलित भोजन नहीं दे सकते हैं तो उनको भी सन्तुलित भोजन देने की व्यवस्था की जाय । यदि यह नहीं होता तो पशुओं के लिये पशु सेवा केन्द्र बनाये जायं । पंजाब में १३,१४ फीसदी पशु सेवा केन्द्र हैं । हमारे सूबे में वह केवल ५ फीसदी हैं । हां, इतना मैं जरूर चाहता हूं कि अगर यह सेवा केन्द्र अस्पताल बढ़ा दिये जायं तो जो बीमार पड़कर पशु बरबाद हो जाते हैं वह बरबादी न हो । वह बीमार को छोड़ देते हैं क्योंकि वह उनको अच्छा नहीं कर सकता है । जब वह अलाभकर हो जाते हैं तो वह उनको छोड़ देते हैं जिनका कि जाकर वध होता है । इस लिये इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ।

यह जो गोसदन की बात कही जाती है वह कितने गोसदन सरकार की तरफ से खुले सरकार को भी यह सोचना चाहिये कि वह गोसदन भी खोले । यह जो विधेयक है इसमें सारा बोझ उन लोगों पर ही सरकार छोड़ देना चाहती है । कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है । सरकार सब जगह बचना चाहती है । मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने भी कुछ हिस्सा लिया है कि जिससे गोवध न होसकें और पशुवध रोका जा सके और सरकार अपने पास से भी कुछ खर्च करने का इरादा रखती है ? सरकार इसमें क्या करना चाहती है जरा माननीय मंत्री जी जब बोलें तब इस पर भी रोशनी डाल दें । मैं भी उस पर गौर करूंगा । तो मैं इन सब बातों के कहते हुये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जो है वह ऐसा है कि जो अपूर्ण है और इससे काम नहीं चल सकता ।

[श्री गेंदासिंह]

है। मैं यह भी कहूंगा कि इसको बहुत सोच समझ कर नहीं रखा गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पशुओं से जो बाहर से हमारी तिजारत होती है उस चमड़े की तरफ भी हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान उस तरफ भी है कि हम इस बात से दूसरे देश के व्यापार से न पिछड़ें लेकिन इसके साथ-साथ हम अपने देश की जनता की इच्छा का भी खयाल रखें। और जीवित पशुओं के चमड़े का व्यापार हमारा मन्तव्य नहीं अगर उसकी इच्छा को एकदम छोड़ दिया जायगा तो हमारा काम चल नहीं सकेगा। उन आंदोलन करने वाले लोगों की तरफ ध्यान जाना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खतरे में पड़ जायेंगे। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम खतरा उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं अपने मुल्क में उनका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं हूं जो वह देश में अधिक बुराई का वक्त लाने का इरादा रखते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ को थोड़ा दर्द हुआ तो उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कभी-कभी आदमी को ऐसी बात भी बरदाश्त करनी पड़ती है जिसके लिये कोई रीजन नहीं होता है उसके लिये भावना होती है। तो उनको इस उत्तर प्रदेश की जनता की भावना की कदर करनी चाहिये और उस भावना के साथ-साथ दूसरा नकशा भी हमारे सामने है उस नकशे को भी देखते रहें। अगर उस नकशे को नहीं देखा जायगा तो यह एक खतरे की बात हो सकती है।

मैं समझता हूं कि हमारे जो दूसरे साथी हैं जिनके लिये ऐसा कहा जा सकता है कि उनके ऊपर धर्म सवार है, वह इन भावनाओं से प्रेरित हैं। जो सेंट्रल कमेटी गो सम्बर्धन की कायम हुयी थी, मैं भूलता नहीं हूं तो रफी साहब उसके प्रधान थे और हमें उन पर विश्वास है कि वे इसको देश की तरक्की का अंग समझते थे। इसलिये सबसे बड़ी चीज यही है और हमें इसको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि यह किसी के अधिकारों को छीनने के लिये किया जा रहा है। यह बात भी समझ में आ जानी चाहिये कि यह विधेयक अगर किसी भी माइनोरिटी के अधिकारों को छीनने वाला होता तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का किसी भी प्रकार से सर्थन नहीं कर सकता था। अतः हमें आशा है कि सब लोगों का समर्थन इसको प्राप्त है क्योंकि उसका विरोध किसी ने नहीं किया। मैं सरकार को फिर उन बातों की तरफ ध्यान दिलाने को कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार पसंद करे तो इस विधेयक की कमी को पूरा करने के लिये वह इसको वापस ले ले और जल्द से जल्द दूसरा विधेयक जिसमें चरागाह, अलाभकर पशुओं के लिये गौसदनों और पशु सेवा केन्द्रों का प्रबंध हो, उसके लिये विधेयक लाया जाय और उसका स्वागत यह सदन बहुत ज्यादा करेगा।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से निरन्तर उत्तर प्रदेश गो वध निवारण विधेयक पर इस सदन के सामने वादविवाद चला और बहुत से माननीय सदस्यों को अपने मत प्रकट करने का अवसर मिला। और मुझे भी इन विविध मतों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु मैं भाग्यहीन हूं कि कुछ माननीय भाइयों की बातों को मैं नहीं सुन पाया किन्तु जिन माननीय सदस्यों की बात इस सदन के समक्ष आयी और जिन्हें मैं सुन पाया, उनमें से विरोधीदल के भूतपूर्व नेता—माननीय राजनारायण जी, आज के नेता—माननीय गेंदा सिंह जी, सुल्तान आलम खां साहब, शाहिद फाखरी साहब तथा और कुछ दूसरे भाइयों की बातें थीं।

माननीय राजनारायण जी के सम्बन्ध में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा खयाल है कि उनकी बातों में खुद ही बहुत कुछ विरोध है। लेकिन मैं इस माननीय सदन के सदस्यों के सामने यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना होगा तो वे भी इस बात को समझ पाये होंगे कि वे स्वयं विरोधाभास में थे। अतः मैं केवल दो शब्दों में इतना सा कह देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने ईमानदारी से उन बातों को कहा तो मुझे उनसे सहानुभूति है लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने उन बातों को कहा तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन्हें क्षमा कर दें। उनका यह दृष्टिकोण ऐसा है जिसको यह सदन जानता है और स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष की भावनाओं को उभारने के लिये

और शायद एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरी ओर वे यह भी कहने लगे कि यह विधेयक अधूरा है। इसमें खंड २ (क) जिसमें गो मांस की परिभाषा की है, उस परिभाषा में उस मांस को नहीं रक्खा गया जो बाहर से इस प्रदेश में आयेगा। इसलिये उन्होंने कहा कि यह विधेयक अधूरा है। आपने उसमें यह भी कह दिया कि जिन गउओं अथवा जिन पशुओं को परीक्षार्थ या किसी रोग विशेष में आ जाने के कारण आपने मारे जाने की अनुमति दे दी है वह निश्चित रूप से इस प्रदेश के सारे पशुधन और गो धन को नाश कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेल में या हवाई जहाज में लोग गोमांस का क्रय या विक्रय कर सकेंगे इसलिये भी यह विधेयक अधूरा है। यह बात कैसी विचित्र है। इसके लिये मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि सम्भवतः वह यह नहीं जानते कि इस विधेयक को नियम के अन्तर्गत ही इस सदन के सामने रखा जा सकता था। शायद वह विधान की उन धाराओं से परिचित हैं जिन्हें फ्री ट्रेड के बारे में कहा गया है। उनके अनुसार बहुत सी चीजों पर बाहर से लाने पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। यदि यह नहीं रोका जा सकता है तो रेल और हवाई जहाज में उसका प्रयोग कैसे रोका जा सकता है? विधान के अन्तर्गत कैसे यह सरकार गोमांस को रेल या हवाई जहाज में ले जाया जाना रोक सकेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। जैसा गेंदासिंह जी ने कहा और उन्होंने माननीय गौतम जी का भी नाम लिया कि अगर यह सार्वदेशिक विधेयक होता तो वह इसे पसन्द करते। उसमें कुछ विधि और विधान की बातें हैं जिनको गेंदा सिंह जी जानते हैं। तो इन सीमाओं में घिरे होकर हम यह एक ऐसा कदम उठायें जिससे हम अधिक से अधिक गोवंश के वध को रोक सकें, तो इस प्रयत्न के लिये आनेवाली संतति हमको राजनारायण जी के शब्दों में क्या वह सरकार कहेगी जो दिनदहाड़े गाय की हत्या को नहीं रोक सकती है? इस विधेयक में टिन्ड बीफ का प्रयोग रेल और हवाई जहाज के यात्रियों के लिये हम किसी भी प्रकार अवैधानिक नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि केवल उसी बीफ का प्रयोग हो सकेगा जो बाहर से आवेगा क्योंकि इस प्रदेश में तो गौवध होगा नहीं। आपने कहा कि रोगी गऊओं के बारे में सरकार जो विज्ञापन निकालेगी उसके जरिये गोहत्या होती रहेगी। मैं कैसे इस सम्बन्ध में कुछ कहूं। बहुत से कानून होते हैं जैसे नरहत्या का ही है जो मानव ने आदिकाल से बनाया है लेकिन वह सारे विश्व में रोका नहीं जा सका है। यदि कुछ हत्यायें होती भी रहें तो उसके लिये हम विधेयक को फाड़ कर तो नहीं फेंक सकते हैं और न ही विधेयक को दोष दे सकेंगे। फाखरी साहब मेरे अनन्य मित्रों में से हैं और उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और श्रद्धा है और जो बातें उन्होंने आज यहां स्पष्ट कहीं उनको सुनकर मेरे दिल में वह श्रद्धा और बढ़ी है। मैं उनको गलत नहीं समझा क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट बात कही और सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि मैं इसको पसन्द नहीं करता कि आप इसको आर्थिक रूप में इस सदन के सामने लावें। आप इसको धार्मिक रूप दीजिये और यह कहिये कि इस देश के बहुत से लोगों की यह इच्छा है, उनकी यह धार्मिक भावना है कि इस देश में गो हत्या न हो और इसलिये आप इस विधेयक को लाये हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो यह चाहता हूं कि यह विधेयक लाया जाय, मैं तो यह कहता हूं कि यहां के बहुत बड़े मानव समाज की इच्छा और उसकी भावना की कद्र की जाय और इस देश में गोहत्या न की जाय। मेरी खयाल है कि शायद उन्होंने अपने दिल की सही बात कही और उन्होंने इसको एक दूसरे रूप में रखा। शायद उन्होंने यह कहा कि चूंकि इस समय हिन्दू समाज की यह भावना है कि गोहत्या न हो, गोवन्श की हत्या न हो, मैं उसकी कद्र करता हूं कि इस देश में गोहत्या न हो। मैं तहेदिल से उनकी इस भावना के लिये उनका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सम्मान यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि धर्म के नाम पर इस देश में गोहत्या रोकी जाय। मैं अपनी ओर से यह कहूंगा कि कृपा करके आप धर्म का नाम न लीजिये गो हत्या के सम्बन्ध में कृपा करके धर्म को छेड़ने की चेष्टा न कीजिये, कृपा करके हमारी नीयत पर हमला न कीजिये। मैं और आगे बढ़ कर उनसे कहुंगा कि इसमें आप संस्कृति को जोड़ दें तो मैं उसे पसन्द करूंगा। यह वह संस्कृति है जिसने अकबर के दीन-ए-इलाही का आविर्भाव किया, वह संस्कृति, जिसने भगवान बुद्ध की वाणी को प्रेरणा प्रदान की, वह संस्कृति जिससे मूल पशुलोक का दिल दयार्द्र हुआ,

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

वह संस्कृति जिसमें मानव प्रकृति के मूक अंग के प्रति दया के दो आंसू ढुलकाये, आज यदि उस संस्कृति की आवाज सुन कर यह सदन कोई विधेयक बनावे तो युग युग तक इस सदन का नाम इस देश में अमर रहेगा। मैं आगे बढ़ कर यह भी कहूंगा कि कृपा करके आप भावना में जाने की चेष्टा न कीजिये और कृपा करके दूसरे अंगों पर भी विचार कीजिये। एक कृषि प्रधान देश जिसमें गायें और उसकी संतति की इतनी उपादेयता है और इतनी उपयोगिता है उसको आप निश्चित रूप से स्वीकार करें। जिस देश में आदि काल से और माननीय शिवनारायण जी ने उसका जिक्र भी कर दिया कि जहां गोपालन संस्कृति के रूप में है, उस गोपालन को अपनी भावना का अंग बना कर उस संस्कृति के दूसरे पहलू को भी भूलने की चेष्टा न कीजिये। यह निश्चत है और मैं इसको स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि संस्कृति हमारी आर्थिक व्यवस्था और कृषि प्रधान व्यवस्था है और कृषि में गाय का ज्यादा उपयोग है। मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, मेरे वे मित्र जो कहते हैं कि भैंस का भी वही उपयोग है, मैं उनसे और भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि नहीं, भैंस का उतना उपयोग नहीं है जितना कि गाय का है। यूरोप के देशों में भी केवल गाय के दूध का ही प्रयोग होता है, भैंस के दूध का नहीं प्रयोग होता। शायद वे यह भी जानते होंगे कि गो दूध की उपयोगिता के सामने भैंस का दूध निकृष्ट माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी उस दूध को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे एक मित्र ने कहा कि आखिर गायें ही नहीं बल्कि भैंसें भी दूध देती हैं। मैं इस सदन के समने दूसरे अंग को भी रखना चाहता हूं। यदि गाय को इस देश से निकाल दिया जाय और भैंस ही पालने दिया जाय तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भैंस भी तो मां हो सकती है क्योंकि वह भी दूध देती है लेकिन मेरे मित्र ने बकरी को मा कहने की चेष्टा नहीं की। मैं उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि भैंस तो मां हो या न हो, भैंस दूध देती है इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन गाय को इस देश की आर्थिक व्यवस्था से निकाल दिया जाय और सारी गायों को समाप्त प्राय कर दिया जाय तो क्या यह देश कृषि प्रधान देश रह सकता है और क्या इस देश की आर्थिक व्यवस्था समाप्त प्राय नहीं होगी? क्या इस देश की आर्थिक परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मेरे मित्र इस पर भी कृपा करके विचार कर लें।

बहुत सी दूसरी बातों का भी जिक्र हुआ। एक बात मैं और सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम गो को मां नहीं मानेंगे, मैं कहता हूं कि न मानिए और क्या कहूं इसके अलावा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गौ को मां मानिये या न मानिये लेकिन वह आपका एक उपयोगी पशु है इतना तो आप मानिये ही और अगर आप उपयोगी पशु उसको मानते हैं तो उसकी रक्षा इसी नाते कीजिये। आपने यह भी कहा कि वह जो अनुपयोगी गौ होंगी जो अपाहिज होंगी या दूध न देने वाली होंगी उनका वध या उनको समाप्त क्यों न किया जाय और उन का प्रयोग क्यों न किया जाय। उन्होंने कहा कि जूतों को चमड़ा मिलेगा, हड्डी का भी जिक्र उन्होंने किया और कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि हम ऐसे पशुओं के रखने में विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों ने सदन में इसी बात को दबे तौर पर कहा लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर ऐसी बात किसी के हृदय में है तो वह स्पष्ट रूप से आये। हमने इस विषय पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया कि उस अनुपयुक्त पशु का क्या होगा माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिक्र किया और कहा कि जब तक इन उपयोगी पशुओं के लिये बिल में कोई स्थान नहीं निकाला जाता जब तक हम नहीं विचारते कि उनका क्या होगा, जब तक गोसदन आदि की व्यवस्था नहीं होती, जब तक म्युनिसिपैलिटी की सड़कों पर नजर आती हैं तब तक सफलता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भूखों मरने वाली पशुओं की संतति के लिये सरकार क्या करना चाहती है? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को तर्क की कसौटी पर उतारना चाहिये, अगर हम स्वीकार करें कि अनुपयुक्त गौओं को समाप्त कर दिया जाय तो यह सही है कि उस से हमें भौतिक लाभ होगा। और अनुपयुक्त पशु पाये जायेंगे और हमें उन को चारा न देना पड़ेगा और चमड़ा और दूसरी सामग्री भी मिलेगी। मैं कोई भावना का जिक्र नहीं करता मैं एक दूसरी बात का जिक्र करता हूं। यदि भावना हो तो हो सकता है कि इतने अनुपयोगी पशुओं को क्यों मां कह कर पुकारें। मैं

जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कितने ही मित्रों के मस्तिष्क में उस समय यह भाव जागा है कि जब क्षीणकाय, दुर्बल पुराने पशुओं के दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, मैंने वह दृश्य देखा है और मेरे मन में यह भाव जागा है कि अगर हमारे जो अनुपयोगी व्यक्ति हैं उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी तरह से ले जाया जाय तो हमारा हृदय उसको कहां तक सराहेगा। अगर हमारी विचारधारा ऐसी रहती है तो विज्ञान के युग में कल हम यह न कहें कि हमारे जो अनुपयोगी वृद्ध व्यक्ति हैं और जो दरवाजे पर पड़े-पड़े खांसते हैं, जो दुर्बल हैं और भार हैं वह भी न रखे जायं लेकिन मैं समझता हूं कि इस तदात्म्य को बहुत से व्यक्ति समझना पसन्द न करें और शायद हम विज्ञान के युग में इन चीजों की ज्यादा चर्चा न कर सकें। क्या यह सही नहीं है कि हमने केवल अपने कर्मों के द्वारा, अपने दुर्दशा ग्रस्त जीवन के द्वारा और वह काम न कर के जो हम को करना चाहिये था उसके द्वारा हमने अपने पशुधन को स्वयं अनुपयोगी बना दिया है ? क्या यह सही नहीं है कि जिन पशुओं को हम अनुपयोगी बनाकर वध स्थान पर ले जाना चाहते हैं, यदि कल हम उनको उस वध स्थल पर ले जाने से रोकें तो उन्हीं का बहुत बड़ा हिस्सा उपयोगी बनाया जा सकता है ? क्या यह सही नहीं है कि जिसका हम दूध पीते हैं और जिस दिन ही वह दूध देना बन्द कर देती है उसी दिन हम उसको अनुपयोगी कह कर उनके न जाने कितने बड़े हिस्से को वधस्थल पर भेजते हैं ? मैं चाहूंगा कि केवल आप इतने तथ्य को समझ लें। इसलिये यह स्पष्ट है कि जो पशु वधस्थल को जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा हिस्सा उपयोगी पशुओं का भी जाता है। क्या इसी सदन के माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि बहुत से व्यावसायिक नगरों में, कलकत्ता, बम्बई में जहां पशु बाहर के प्रदेशों से लाये जाते हैं। हरियाना या देश के पश्चिमी भाग से जो पशु लाये जाते हैं उनसे कुछ बार दूध लेने के बाद उनको लाजमी तौर से वध स्थल पर भेजा जाता है, क्योंकि उसका जिन दिनों कि वह दूध नहीं देती और अनुपयोगी कहलाती है उन दिनों उसका मूल्य वध स्थल में अधिक मिलता है। क्या इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं जानते, कलकत्ते के सम्बन्ध में तो मैं जानता हूं कि वहां पर नियम है कि कोई भी पशु है जो पंगु नहीं है उसका वध नहीं किया जाता, क्या यह सही नहीं है कि केवल उसको पंगु बनाने के लिये उसकी टांग तोड़ी जाती है, उसको वध स्थल में बेचने के लिये। यदि हम सारे पशुओं को अनुपयोगी कहकर वधस्थल की सामग्री बनावें। तो निश्चय रूप से न जाने कितने निरीह उपयोगी पशु वधस्थल पर जाते रहेंगे और हम बैठे बैठे वादविवाद करते रहेंगे।

और भी आगे बढ़ूं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप अनुपयोगी पशुओं को जिनके सम्बन्ध में हमारे हृदय की भावना है, हम उस भावना की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। यद्यपि हम कह सकते हैं कि वह भावना भी धार्मिक भावना नहीं है। दूसरे सम्मानित सदस्य धार्मिक भावना को इस वादविवाद में लाने की चेष्टा करें लेकिन कम से कम मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सब से पहले कहूंगा कि कृपा करके मुझ से न कहिये कि गाय कोई धार्मिक वस्तु है। मैं कहता हूं यह गलत है। मैं उसको धार्मिक वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार करता यह गंगा का पानी, जिस गंगा के पानी में कवि कल्पना ने धर्म का प्लावन देखा, इन्सान के लिये उसकी उपादेयता में कवियों ने भगवान का स्वरूप देखा हो लेकिन ऐसी बात नहीं है उसकी उपादेयता है इसलिये हम उसको माता कहते हैं, इसी प्रकार से गाय एक उपयोगी वस्तु है और इसीलिये इस देश ने उसको माता कहा और मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। इस देश ने उसको माता कहा तो ठीक कहा। मैं गाय को माता कहता हूं और और आगे भी जाऊंगा तो मैं श्रीमन्, शाहिद फाखरी साहब से कहना चाहूंगा कि कृपा कर हमारी ईमानदारी पर विश्वास करें। हम निश्चय रूप से इसमें धर्म को नहीं घसीटना चाहते और कोई भी धर्म जो छिछली बातों में जाता होगा उस धर्म को मैं धर्म के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा, वह बिडम्बना है, कोरा ढोंग है और मैं उन साहबों से कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे अनुपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है आज हम अपने अनुपयोगी पशुओं को निश्चय रूप से उपयोगी बना सकते हैं यदि हम उसका उपयोग कर सकें तो न जाने कितनी गायें जिनको हम अनुपयोगी कहते हैं उनको हम अपने खेतों में भेज सकेंगे। उससे हल जुतवा सकेंगे, जिस दिन दूध नहीं पैदा होगा, जिनको हमने तृण न दे कर जान बूझ कर दुर्बल किया है वे भी इतनी जल्दी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

अनुपयोगी नहीं बनाये जा सकते, वे भी इस देश के लिये उपयोगी रहेंगे। यदि आज हम इस परिपाटी को स्वीकार करें तो निश्चय रूप से पशुधन समुन्नत होगा और इस देश का मस्तक ऊंचा होगा।

माननीय गेंदा सिंह जी ने और कुछ और भाइयों ने कुछ और बातों का जिक्र किया और माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह विधेयक अपूर्ण है। कृपा कर गायों के चारे के लिये कुछ लाइये, कृपा करके गो-सदनों के लिये कुछ लाइये, कृपा करके गो और गोवंश की नस्ल को सुधारने के लिये कुछ लाइये। मैं समझता हूं कि वह सच्चे अर्थों में हमारे सच्चे साथी हैं और जो कुछ वह सोचते हैं सही सोचते हैं, यदि वह यह कहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनकी बातों का और इस विधेयक का कोई तारतम्य नहीं है, यह दोनों विषय अलहदा-अलहदा हैं। १६ अगस्त, १९४७ ई० को हमारे स्वराज्य के दूसरे दिन लिखा हुआ बापू का लेख हम आज स्मरण करते हैं इस सदन के सामने जिसमें उन्होंने लिखा था कि गाय की समस्या स्वराज्य पाने से ज्यादा जटिल है। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि स्वराज्य और गाय की रक्षा इन दोनों को दो पलड़ों में रख कर मुझसे कहा जाता है कि एक को चुन लो तो मैं गाय की रक्षा के पलड़े को चुन लेता और स्वराज्य को ठुकरा देता। आज हम उसका स्मरण करते हैं श्रीमन्, जब कि हम यहां इस सदन के सामने इस विवाद में पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--८ साल बाद याद आयी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने ठीक कहा। उनको ८ साल बाद ही इस सम्बन्ध में याद आयी, इस सरकार को तो उसी दिन से याद है। मैं जैसा इस सदन के सामने रख रहा था गेंदा सिंह जी की बात बिलकुल दूसरी है। गाय की समस्या को सुलझाने के लिये यह विधेयक एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उस महान् समस्या का। कौन नहीं जानता कि इस देश में क्रमिक रूप से गाय का ह्रास हुआ, कौन नहीं जानता कि इस देश में गाय का २ छटांक दूध रह गया और कौन नहीं जानता कि इस देश के बहुत से हिस्से की गायों को दाना नहीं मिलता? इस देश में गाय को चारा देने की प्रथा नहीं, चारा दिया नहीं जाता। यह भी सही है कि इस देश में गाय की नस्ल को सैकड़ों वर्षों से ज्यादा ह्रास की ओर ले जाया गया। आज तो दुर्दशा यह है कि जीवित गाय का मूल्य ४० रुपया और मरी हुयी, मरी हुयी नहीं मारी हुयी गाय का मूल्य ८० या १०० रुपया। यह भी कौन नहीं जानता जैसा कि अभी भाई मदनमोहन जी के बीच में बोलने का उत्तर मैंने दिया सरकार इसके लिये चिंतित है निरन्तर? यदि मदन मोहन उपाध्याय उसे निष्पक्ष रूप से देखना चाहें तो वे देखेंगे कि इस सरकार ने कुछ गौसदन खोलने की चेष्टा की, इस सरकार ने यह प्रयत्न किया कि चारे की उन्नति हो और इसको खेती की उन्नति के साथ-साथ कुछ बढ़ावा देने की चर्चा की और उसके विकास के लिये चारे के सम्बन्ध में अनुसंधान किया और बहुत से स्थानों पर गायों को चारा देने की आदत डालने की चेष्टा की और इस सरकार ने गायों की नस्ल सुधारने का भी प्रयास किया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि केवल इस विधेयक से शायद गाय की समस्या का अन्त होगा नहीं, गाय की उन्नति होगी यह मैं स्वीकार करता नहीं क्योंकि मेरा खयाल है कि यह केवल थोड़ा सा मार्ग है, थोड़ा सा साधन है जिसके द्वारा एक महान् समस्या को हल करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। हमको अच्छा और वैज्ञानिक चारा गाय को देना है, हमको निश्चित रूप से गाय को आगे बढ़ाने के लिये उसकी नस्ल को सुधारना है और जब कभी इस देश के किसान पर हमला किया जाता है तो यह कहा जाता है कि उसने गाय की नस्ल को बिगाड़ लिया या उसने यहां के चारे को बिगाड़ दिया तो मुझ को बार बार दुख होता है। शायद हम समझते नहीं कि चारा और गाय की नस्ल ये दोनों दुरावस्था में बिगड़ गये। इस देश में इस देश के दुख, दारिद्रय, दुर्दशा, इस देश की मायूसी और विवशता ने मनुष्य की नस्ल को बिगाड़ दिया, गाय की नस्ल तो दूर रही।

श्री अध्यक्ष—अभी आप जारी रखेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५ ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य भूमि तथा सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि एकड़ों में निम्नांकित है :

तहसील		कृषि योग्य भूमि	सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि
खैर	..	२३१,३८७	६७,०२३
इग्लास	..	१२७,९९४	२९,२८२
हाथरस	..	१६९,३९९	४९,१५०
अतरौली	..	१९८,६५८	१०३,५१९
कोयल	..	१८४,५५४	८६,२३८
सःराव	..	१६२,९९०	८८,६७९
	योग ..	१,०७५,१२२	४२३,८९१

अपर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९३ पर)

आकस्मिक व अल्प कालीन कार्य :

चित्र (अ) कार्य जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है:—

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
				रु०	रु०	रु०	एकड़	
१	छोटी सरजू	गाजीपुर	गोशालपुर बन्ध का निर्माण	२,२९,०००	५०,०००	१,७९,०००	४,४८०	तीन मील लम्बाई का कार्य प्रगति पर है। ७४ लाख घन फीट अनुमानित कार्य में से २५ लाख घन फीट मिट्टी का कार्य समाप्त हो गया है।
२	गंगा	बलिया	बलिया बारिया बंध का निर्माण	१४, ८०,०००	१,००,०००	१०,००,०००	६०,८००	कुल ३·६६ करोड़ घनफीट करीब मिट्टी के कार्य में से करीब ६० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है। यमको रेगुलेटर्स का निर्माण प्रगति में है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३	छोटी सरजू	गाजीपुर	असावर बन्ध का निर्माण	१,८२,०००	५०,०००	१,३२,०००	५,७६१	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित ६० लाख घन फीट मिट्टी के कार्य में से १·५ लाख घन फीट कार्य हो चुका है।
४	घाघरा	आजमगढ़	हाहानाला बन्ध का निर्माण	४,५०,०००	१,००,०००	३,००,०००	२२,४००	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित १.२ करोड़ घनफीट मिट्टी के कार्य में से १५ लाख घन फीट कार्य हो चुका है।
५	गंडक	देवरिया	चितौनी बन्द का निर्माण	२७,००,०००	८,००,०००	१४,००,०००	१,२१,६००	मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है व कटाव से बचाव के लिये सामान कार्य के स्थान पर लाया जा रहा है प्रीएम्बिल स्पर्स के लिये सामान एकत्रित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६	स्थानीय डुबाव	गोरखपुर	गोरखपुर जिले में ४ नालियां तथा रेगुलेटर्स का निर्माण करके बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का बचाव ।	१५,८२०	१०,०००	५,८२०	८४०	९० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है पानी से परिपूर्ण ८०४ एकड़ क्षेत्र के बचाव के लिये नालियां बन चुकी हैं ।
७	स्थानीय डुबाव	बलिया, बस्ती बहराइच, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, गोंडा, इलाहाबाद व फर्रुखाबाद ।	११ जिलों में पी० डब्लू० डी० की सड़कों की पुलियों पर जल मार्गों का विकास ।	७,६२,८००	६०,०००	७,०८,८००	..	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है ।
८	..	गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, सीतापुर, तथा खीरी ।	५ जिलों में पी० डब्लू० डी० सड़कों की पुलियों पर जल मार्गों का विकास ।	६,९९,४५०	१०,०००	६,८९,४५०	..	
९	रोहिन	गोरखपुर	माधोपुर बन्ध का निर्माण	७७,०००	५०,०००	२७,०००	३००	कार्य पूर्णरूप से चालू है । कुल ३० लाख घनफीट मिट्टी के कार्य में से १२ लाख घन फीट कार्य हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
				रु०	रु०	रु०	एकड़	
१०	राप्ती बेसिन	बस्ती, गोरखपुर और देवरिया।	बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिले में जल मग्न ग्रामों की रक्षा	६०,००,०००	९,२०,०००	१८,००,०००	३०० ग्राम	३९१ ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर १००, बस्ती २८३। देवरिया ८, मूल तखमीने में कुल ३०० ग्रामों का आयोजन था। परन्तु प्रति ग्राम व्यय कम हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण सहायता दे रहें हैं। इसी लिये ३०० से अधिक ग्रामों पर काम चालू है।
११	छोटी सरजू	गाजीपुर	गोविन्दपुर बन्ध का निर्माण	१,९९,६०५	५०,०००	१,४९,६००	६,२१०	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित ६७ लाख घनफीट मिट्टी के कार्य में से १५ लाख घनफीट कार्य हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१२	टोन्स	बलिया	मुस्तफाबाद खूंटी पृथ्वीपुर बन्ध का निर्माण।	२,८२,०९६	५०,०००	२,३२,१००	१०,०००	कार्य चालू हो गया है। बाहरी रेखाओं प्रोफाइल्स का निर्माण हो रहा है।
१३	सरजू	बहराइच	बिलहा बेहरा बन्ध का निर्माण	५,८०,०००	४०,०००	४,४०,०००	५०,०००	.. ..
१४	..	बनारस-आजमगढ़ तथा मिर्जापुर	नालियों के छोटे छोटे तखमीने	६,२२,८११	३,६३,५००	२,५९,३००	१०,८००	२६ कार्य में से ३ पूर्ण हो चुके हैं १५ समाप्ति पर हैं। बाक़ी ८ कार्य शुरू किये जा रहे हैं।
१५	गंगा	बनारस	बनारस घाटों की रक्षा	४५,००,०००	५,००,०००	४०,००,०००	बनारस शहर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य करा रहे हैं।	

टिप्पणी—खर्च जो हो चुका है खाने के अन्तर्गत जो रक़में लिखी गयी हैं वे वास्तव में एलाटमेन्ट की रक़में हैं क्योंकि जो रकमें इस समय तक खर्च की गयी हैं उसका पूर्ण विवरण इस कार्यालय में अभी नहीं आ पाया है।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
दिनांक २६ मार्च, १९५५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (ब) कार्य जिनकी जांच पड़ताल हो चुकी है तथा तखमीने बन चुके हैं या बनाये जा रहे हैं और निर्माण सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आरम्भ होगा।

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०	एकड़	
१	घाघरा	बहराइच . .	बोंदी बहरौसी बन्ध का निर्माण।	१६,५०,०००	१०,००,०००	१,५०,०००	तखमीना स्वीकृत हो चुका है। यदि केंद्रीय सरकार से रुपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायगा।
२	गंगा	बलिया . .	बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे के जल-मग्न ग्रामों की रक्षा।	१४,३४,०००	३,५०,०००	१२० ग्राम	. .
३	घाघरा	बहराइच	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	१६,२०,०००	४,००,०००	१५० ग्राम	. .

अनंत प्रकाशित विधान सभा

४ राप्ती	गोरखपुर	मंलाव बन्ध का निर्माण।	२,१६,७८३	२,१६,८००	१,३००	
५ कुवानो	गोरखपुर	धानपारा से वनकट तक कुवानो नदी पर बन्ध का निर्माण।	२,३२,६००	२,००,०००	२,००८	
६ क्वानो	बस्ती ..	मुसलिसपुर से बहेड़ा तक क्वानो नदी के किनारे बन्ध का निर्माण।	४,६२,०००	३,००,०००	६,०१५	तखमीना स्वीकृत हो चुका है यदि केन्द्रीय सरकार से रूपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायगा।
७ ..	..	लैबहिया कलां से छतिया तक क्वानो नदी के किनारे बांध का निर्माण।	४,८९,०००	२,८९,०००	८,०४०	
८ घोगी और कुमरा	..	घोगी नदी के दाहिने तरफ तथा कुमरा नदी के बांये तरफ बन्ध का निर्माण।	७,६३,०००	५,००,०००	२०,०००	
९ घाघरा	बलिया तथा आजमगढ़	बलिया और आजमगढ़ जिले के घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	९,९१,०५०	२,५०,०००	५४ ग्राम बलिया जिले में तथा ५१ आजमगढ़ में।	

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

अनुभाग विधान सभा

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (स) कार्य जो जांच पड़ताल के अन्तर्गत हैं और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि (यदि है तो)	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०		
१	घाघरा	बलिया	तुरतीपुर श्रीनगर बंध का निर्माण।	३०,५०,०००	१५,००,०००	८९,०००	
२	..	आजमगढ़	महौला गरवल बन्ध का निर्माण।	३०,००,०००	१५,००,०००	८८,१६४	
३	राप्ती	गोरखपुर और देवरिया	गौरा स्पिल का बन्ध करना।	८२,००,०००	३०,००,०००	६०,०००	
४	घाघरा	बहराइच	बेहरा बौन्दी बान्ध का निर्माण।	१५,००,०००	८,००,०००		
५	..	गोंडा ..	परसपुर धौरा बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००		

अनुपूरक विधान सभा

६ गंगा ..	बलिया ..	बैरिया भकुला बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००		टिप्पणी
७ घाघरा	बस्ती ..	मंझा बन्ध का निर्माण।	१४,००,०००	७,००,०००		
८ रोहिन	गोरखपुर	मखना बन्ध का निर्माण।	४,००,०००	३,००,०००		
९ ..	..	वौरहा बन्ध का निर्माण।	७,००,०००	४,००,०००	अनुसन्धान हो रहा है।	
१० गन्डक	देवरिया ..	नरायनी गन्थेवा बन्ध का निर्माण।	८,००,०००	४,००,०००		
११ ..	नैपाल पट्टी	नैपाल पट्टी में गन्डक नदी के किनारे बन्ध का निर्माण।	१५,९०,०००	७,००,०००		
१२ यमुना	सहारनपुर	ताजेवाला के करीब यमुना नदी के किनारे मारजीनल बन्ध का निर्माण।	१८,००,०००	९,००,०००		

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक, (बाढ़)
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीर्घ कालीन कार्य

चित्र (द) दीर्घ कालीन कार्य
(१) जिन पर जांच पड़ताल हो चुकी है और निर्माण में हैं।
(२) जिन पर जांच पड़ताल हो रही है।
(३) जिन पर जांच पड़ताल आरम्भ होनी है।

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभांवित क्षेत्र (एकड़ों में)	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
			(२) वे कार्य जिन पर जांच पड़ताल हो रही है। राप्ती की सहायक नदियों पर रिटैन्श रिजर्वायर्स					
१	राप्ती	बहराइच	रनियापुर जलाशय	१७,६७,०००	६,००,०००	ये जलाशय	११,६७,०००	
	...	गोंडा	भगवानपुर जलाशय	२०,००,०००	९,००,०००	राप्ती नदी के	११,००,०००	
	...	गोंडा	नवानगर	४४,२७,०००	२०,००,०००	कैचमेंट्स को	२४,२७,०००	हर अग्रिम
	...	गोंडा	नावलाढ़ बन्ध	१३,८०,०००	५,००,०००	काटेंगे और	८,८०,०००	साल में २
						अति अधिक बाढ़	२३,३०,०००	करोड़ रु०।
	...	बस्ती	मैगलपुर सरोवर	३८,३०,०००	१५,००,०००	की तेजी को		
	...	गोरखपुर	प्यारा	८४,३०,०००	२५,००,०००	कम करेंगे।	४०,००,०००	

	...	बहराइच गोंडा बस्ती गोरखपुर	राप्ती की सहायक नदियों पर अन्य छोटे छोटे जलाशय संख्या २०	३,००,००,०००	२०,००,०००	यह जलाशय राप्ती नदी के कैचमेंट्स को काटेंगे और अति अधिक बाढ़ की तेजी को बहराइच गोंडा बस्ती गोरखपुर जिलों में कम करेंगे	१,००,००,०००	हर अग्रिम साल में २ करोड़ रु० ।
२	...	नैपाल पट्टी	नैपाल में राप्ती नदी पर बाढ़ नियंत्रण जलाशय	४,००,००,०००			५०,००,०००	
३	...	बस्ती तथा गोरखपुर	बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में वर्तमान झीलों पर बाढ़ निरोधक जलाशय	१,००,००,०००	१०,००,०००	अनुसंधान हो रहा है ।	५०,००,०००	
४	देहा	पीलीभीत	पीलीभीत जिले में देहा नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशय नानक भाता जलाशय	२,००,००,०००	५०,००,०००	अनुसंधान हो रहा है ।	५०,००,०००	हर अग्रिम साल में २ करोड़ रु० ।
५	धौरा	. .	धौरा नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशय	२०,००,०००	१०,००,०००		१०,००,०००	
६	गंगा	मिरजापुर बलिया	मिरजापुर तथा बलिया शहरों की रक्षा	१,००,००,०००	२०,००,०००		२०,००,०००	हर अग्रिम साल में २० लाख रु० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
७	...	बनारस	कटाव से बनारस की रक्षा।	६०,००,०००	२०,००,०००	बनारस शहर	२०,००,०००	२०,००,०००
८	घाघरा	फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा,	अयोध्या से बिहार सीमा तक घाघरा नदी के किनारे की खेतीहर जमीन की कटाव से रक्षा।	१,००,००,०००,००				व्यय का बटवारा नहीं किया गया है धनराशि की प्राप्ति पर आगामी प्रगति निर्भर है।
९	राम गंगा	गढ़वाल	रामगंगा बंध योजना।	२७,००,००,०००	५०,००,०००	४०,००,००० मुरादाबाद, बरेली, बदायूं शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और, कानपुर जिले में।	६,००,००,०००	

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

चित्र (अ)

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

कार्य, जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	..	खीरी	पी० डब्लू० डी० की सड़कों की पुलियों पर जलमार्गों का विकास।	३९,४५०	..	..	..	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है।
२	..	सीतापुर	..	१,०९,०००	..	..	..	..
३	..	गोंडा	..	८७,०००	..	..	..	..
४	..	बहराइच	..	१,५९,५००	..	..	..	..
५	सरजू	..	बिलहा बेहरा बन्ध का निर्माण।	५,८०,०००	४०,०००	४,४०,०००	५०,०००	कार्य चालू हो गया है। बाहरी रेखाओं (प्रोफाइल्स) का निर्माण हो रहा है।

रान्जेद्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आकस्मिक व अल्प कालीन कार्य

चित्र (ब) कार्य, जिनकी जांच पड़ताल हो चुकी है तथा तखमीने बन चुके हैं या बनाये जा रहे हैं और निर्माण सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आरम्भ होगा।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	..	खीरी	..	..	..	...	..
२	..	सीतापुर	..	..	..	..	..
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..	..
४	घाघरा	बहराइच	बौंदी बहरोली बन्ध का निर्माण।	१६,५०,०००	१०,००,०००	१,५०,०००	तखमीना स्वीकृत हो चुका है यदि केन्द्रीय सरकार से रुपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायेगा।
५	..	..	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	१६,२०,०००	४,००,०००	१५० ग्राम	..
६	..	गोंडा	..	..	..	..	..

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़)
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (स) कार्य जो जांच पड़ताल के अन्तर्गत है और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५–५६ के लिये धनराशि (यदि है तो)	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	..	खीरी	..	..	..	..	..
२	..	सीतापुर	..	..	..	..	..
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..	..
४	घाघरा	बहराइच	बेहरा बौंदी बन्ध का निर्माण।	१५,००,०००	८,००,०००	अनुसन्धान हो रहा है।	..
५	..	गोंडा	परसपुर धौरा बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००	..	..

दीर्घ कालीन कार्य

चित्र (द)

(१) जिन पर जांच पड़ताल हो चुकी है और निर्माण में है।
(२) जिन पर जांच पड़ताल हो रही है।
(३) जिन पर जांच पड़ताल आरम्भ होनी है।

राजेन्द्रकुमार जैन व्यक्तिगत सहायक (बाढ़) कृते मुख्य अभियन्ता सिंचन विभाग।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम

(२) वे कार्य जिन पर जांच पड़ताल हो रही है।

५६–५७, ५७–५८, ५८–५९ और ५९–६०

राप्ती की सहायक नदियों पर रिटैन्शन जलाशय

१	..	खीरी						
२	..	सीतापुर						

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..	..	..
४	राप्ती	बहराइच	रनियापुर जलाशय	१७,६७,०००	..	६,००,०००	ये जलाशय राप्ती नदी के कैचमेंटस को काटेंगे और अति अधिक बाढ़ की तेजी को बहराइच व गोंडा जिले में कम करेंगे।	११,६७,०००
५	..	..	राप्ती की सहायक नदियों पर अन्य छोटे-छोटे जलाशय	अभी नहीं निकली है	..	अभी नहीं निकली		
६	..	गोंडा	..	..	..	..		
७	..	..	भगवानपुर जलाशय	२०,००,०००	..	९,००,०००		११,००,०००
८	..	..	नवालगढ़	४४,२७,०००	..	२०,००,०००		२४,२७,०००
९	..	..	नावलगढ़ बन्ध	१३,८०,०००	..	५,००,०००		८,८०,०००
१०	घाघरा	..	अयोध्या से बिहार सीमा तक घाघरा नदी के किनारे की खेतिहर जमीन की कटाव से रक्षा	अभी नहीं निकली है	..	..	..	व्यय का बटवारा नहीं किया गया है।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।
२६–३–५५
बृजबन्स सहाय
२६–३–५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

सिंचाई संबंधी सुविधायें

प्रश्न के अन्तर्गत

जिलों में सिंचाई संबंधी सुविधायें प्रथम वर्षीय योजना में दी गई हैं या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी जायेंगी निम्नलिखित हैं :--

खीरी

१--४४० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत १४८ नलकूप बनाये गये जो कि चालू हैं। इन नलकूपों से ६२,९०० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

२--१०६२ मील शारदा नहर विस्तार योजना के अन्तर्गत जल वितरण करने वाली नालियों सम्भवतः ८०० एकड़ खीरी जिले में सिंचाई करेंगी।

३--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० नलकूप योजना के अन्तर्गत ७० नलकूप बनेंगे।

सीतापुर

१--४४० नलकूप योजना के अन्तर्गत ४७ नलकूप बन चुके हैं और चालू हैं। इन नलकूपों से २०,००० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

२--नालियां जो निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत हैं :--

(अ) ८०३ मील शारदा नहर का विस्तार

(ब) ट्रांसकल्यानी योजना (दरियाबाद शाखा) यह भी करीब १४,८६० एकड़ भूमि सींचने की सुविधा प्रदान करेगी (१०,२४०-४,६२०)

३--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बनायें जायेंगे।

बाराबंकी

१--इस जिले को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत नालियों से सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी :--

(अ) ८०३ मील शारदा नहर का विस्तार	२८,८४२ एकड़
(ब) १,०६२	.. १४० ,,
(स) ट्रांस कल्यानी योजना ..	.. ५५,३८० ,,

२--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहराइच

१--इस जिले के लिये ९५ नलकूप निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं :--

(१) पूर्वी जिलों के २०० नलकूप--३०

(२) जी० एम० एफ० प्रोग्राम १९५४ के अन्तर्गत--१५, ३७० नलकूप

(३) छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत--५० नानापारा तहसील के ५० नलकूप।

२--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५०० नलकूप योजना के अन्तर्गत १०० नलकूप बनेंगे।

३--संलग्न स्टेटमेन्ट जो क्रम सं० २ (फ्लैग) (प) पर है। व० घोगवा और मपुर सरोवर आइटम ३ और ५ के अन्तर्गत ५,००० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

गोंडा

१--४४० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बने हैं यह सब नलकूप चालू हैं। ३७० नलकूपों की योजना में ५० और नलकूप इस जिले के लिये निर्धारित हैं। इस योजना पर कार्य इसी वर्ष आरम्भ हुआ है।

२--मझगवां और बघेल खंड बांधों से भी इस जिले में प्रतिवर्ष ५,२६४ एकड़ की सिंचाई होगी। इन बांधों पर कार्य पूरा हो चुका है।

३--गिरगिटी और खैरामन सरोवर से भी जिन पर काम चालू है बाढ़ से रक्षा करने के अतिरिक्त लगभग १३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

४--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५०० नलकूपों में से ७० नलकूप इस जिले में बनाने का प्रस्ताव है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें अभी नहीं बनी हैं और यह सम्भव है कि इससे उपर्युक्त जिलों को भी लाभ पहुंचे।

१--उत्तर प्रदेश के मैदान में छोटी सिंचाई की योजनाएं।

२--सिंचाई की नहरों नलियों व गूलों की लाइनिंग।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न २८–२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या २८, २९ से सम्बन्धित सूचना की सूची

जिला		सन् १९५१–५२			सन् १९५३–५४		
		नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल
		१	२	३	४	५	६
		एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
सहारनपुर	..	२,३२,४१५	४,९७६	२,३७,३९१	२,३६,७७४	६,०८०	२४२,८५४
मुजफ्फर नगर	..	४,०४,९९१	८२,३३१	४,८७,३२२	४,१२,७८०	९१,४४४	५,०४,२२४
मेरठ	..	६,००,६४२	१,८३,५१०	७,८४,१५२	६,०७,१००	२,०८,४६३	८,१५,५६३
बुलन्द शहर	..	३,६१,३९२	१,७३,८५१	५,३५,२४३	३,७७,७२६	१,७७,९४३	५,५५,६६९
अलीगढ़	..	३,२५,३८५	१,१०,०५६	४,३५,४४१	३,३८,६०९	१,५४,१३०	४,९२,७३९
मथुरा	..	३,४३,७४१	—	३,४३,७४१	३,४९,३६७	—	३,४९,३६७
आगरा	..	१,९३,३५३	—	१,९३,३५३	२,०१,३०६	—	२,०१,३०६
एटा	..	२,३०,४१४	१९,७३३	२,५०,१४७	३,१४,५१६	२२,०५४	३,३६,५७०
मैनपुरी	..	२,५१,४३२	—	२,५१,४३२	३,१८,८४३	—	३,१८,८४३
फर्रुखाबाद	..	१,१९,६२४	—	१,१९,६२४	१,९८,०३९	—	१,९८,०३९
इटावा	..	३,०७,४००	—	३,०७,४००	४,०८,९६५	—	४,०८,९६५
कानपुर	..	४,१८,६००	—	४,१८,६००	४,७५,९८३	—	४,७५,९८३
फतेहपुर	..	१,९५,४५१	—	१,९५,४५१	२,६३,९००	—	२,६३,९००
इलाहाबाद	..	८९,५०५	—	८९,५०५	९०,१०२	—	९०,१०२
दिल्ली	..	१,५८६	—	१,५८६	१,८७७	—	१,८७७
गुरगांव	..	१,०३,४५५	—	१,०३,४५५	१,०३,४५५	—	१,०३,४५५
देहरादून	..	२४,५४२	—	२४,५४२	२४,५४२	—	२४,५४२

तारांकित प्रश्न संख्या २८, २९ से सम्बन्धित सूचना की सूची

जिला	सन् १९५१–५२			सन १९५३–५४		
	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल
	१	२	३	४	५	६
बिजनौर	३६,७२१	७६,४४०	१,१३,१६१	३६,७२१	१,०७,५१९	१,४४,२४०
मुरादाबाद	२५,६०५	२,३३,०३६	२,५८,६४१	२५,६०५	२,४३,७७३	२,६९,३७८
बदायूं	—	१,५६,२२५	१,५६,२२५	—	१,७४,८१८	१,७४,८१८
नैनीताल	११,५८८	—	११,५८८	११,५८८	—	११,५८८
पीलीभीत	१,०५,१६३	—	१,०५,१६३	१,२१,०३२	—	१,२१,०३२
बरेली	२,४६,४०३	१७,९९०	२,६४,३९३	२,६३,७६७	१७,९९०	२,८१,७५७
रामपुर	४३,७७४	१२,७२२	५६,४९६	४४,६६०	१४,२२१	५८,८८१
शाहजहांपुर	१,५९,३१४	—	१,५९,३१४	१,५९,३१४	५९,५६५	२,१८,८७९
हरदोई	१,९०,५०४	—	१,९०,५०४	२,७१,५२२	—	२,७१,५२२
खीरी	७६,०२०	—	७६,०२०	७६,०२०	१,५६,४००	२,३२,४२०
सीतापुर	१,७७,९८१	—	१,७७,९८१	१,७७,९८१	४२,९००	२,२०,८८१
उन्नाव	२,१६,५८६	—	२,१६,५८६	२,१६,५८६	—	२,१६,५८६
रायबरेली	१,८९,८१४	—	१,८९,८१४	१,९१,७२५	—	१,९१,७२५
बाराबंकी	१,७६,७८७	—	१,७६,७८७	२,२२,६६९	८३३	२,२३,५०२
सुल्तानपुर	३३,६९२	—	३३,६९२	३३,६९२	—	३३,६९२
प्रतापगढ़	५४,११५	—	५४,११५	५४,११५	—	५४,११५
लखनऊ	१,२७,०६९	—	१,२७,०६९	१,२७,०६९	—	१,२७,०६९
फैजाबाद	४३,०७२	—	४३,०७२	४३,०७२	३०,२६१	७३,३३३
झांसी	४६,९६४	—	४६,९६४	४८,०४४	—	४८,०४४
जालौन	१,७८,७२८	—	१,७८,७२८	१,७८,७२८	—	१,७८,७२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोंडा	—	—	—	२०,२२१	—	२०,२२१
हमीरपुर	८९,३०३	—	८९,३०३	१,२२,७८९	—	१,२२,७८९
बांदा	१,६६,३७८	—	१,६६,३७८	१,६६,३७८	—	१,६६,३७८
मिर्जापुर	५९,०००	—	५९,०००	१,१२,१७८	—	१,१२,१७८
बनारस	—	—	—	५५,२८३	—	५५,२८३
गोरखपुर	९,२७२	११,२१०	२०,४८२	९,२७२	१७,०१९	२६,२९१
देवरिया	—	१४,०६६	१४,०६६	—	२३,६४१	२३,६४१
बस्ती	—	२५,८७८	२५,८८७	—	३०,९६९	३०,९६९
राज्य (स्टेट्स)	१२,४५३	—	१२,४५३	३,८७३	—	३,८७३
	६६,८०,२३४	११,२२,०२४	७८,०३,२५८	७५,१७,७८८	१५,८०,०२३	९०,९७,८११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

वर्तमान सत्र के आठवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४४ में मांगी गई सूचना की विवरण पत्रिका।

जिला	नाम टाउन एरिया कमेटी	नाम नोटीफाइड एरिया कमेटी	जनसंख्या	आय १९५३-५४
				रु०
गढ़वाल	श्रीनगर		२,३८७	६,३३३
		पौड़ी	५,२४३	३५,४३१
		डुगड्डा	१,२४१	३२,१४४
		कोटद्वार	४,६५३	६५,७१३
टेहरी-गढ़वाल	उत्तर काशी		१,२०७	७,८४१
	मुनी की रेती		५२३	३,२३४
	कीर्तिनगर		२३१	१,८८३
		देवप्रयाग	१,०४०	४३,७६९
		टेहरी	२,७६९	३७,०६०
		नरेंद्रनगर	१,२८२	३३,५५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

प्राथमिकता के अनुसार मांगी गई रेलवे लाइनों की सूची

कहां से	कहां तक
	पुनर्निर्माण
१—अकबरपुर	टांडा
२—माधोगंज	औहादपुर
३—डलमऊ	दरयापुर
	नूतन
१—(१) कासगंज	एटा
(२) एटा	जलेसर होकर जलेसर रोड
२—रामपुर	लालकुआं होकर काठगोदाम
३—रुद्रपुर	देवरिया पडरौना और खड्डा होकर नौतनवां
४—काशीपुर	ठाकुरद्वारा, जसपुर और अफजलगढ़ होकर कालागढ़
५—भिंगा	बहराइच और कैसरगंज होकर जरवल रोड
६—शाहगंज	खुथान, पीलकिचा और मछलीशहर होकर इलाहाबाद
७—लखीमपुर खीरी	शाहजहांपुर
८—गोरखपुर	महराजगंज होकर थुथीबारी और निचलौल से सिसवां बाजार तक लूप लाइन के साथ महराजगंज से निचलौल और सिसवां बाजार तक उसका विस्तार
९—शाहजहांपुर	पोवायां होकर मैलानी
१०—सुमेरपुर	पनवारी, राथ, मुसकारा, घुटई और नोगांग होकर छतरपुर
११—बलरामपुर	उतरौला, सेहरी, दोमरियागंज पथरा बाजार, बेसी और मेंहदावल होकर खलीलाबाद या सहजनवां
१२—बरहानी	खांड़सारी पथरा बाजार और रुधौली होकर बस्ती
१३—अतरी	बबेरू होकर किसनपुर
१४—रानी की सराय	मोहम्मदपुर, गूमडहि, लालगंज और चांदबक होकर बनारस
१५—आजमगढ़	मुबारकपुर और अजमतगढ़ होकर दोहरीघाट
१६—आजमगढ़	कैप्टेनगंज, अतरौलिया और मखदूमपुर होकर टांडा
१७—घोसी	मधुवन होकर बिलथरा रोड
१८—सहजनवां	बरहालगंज
१९—गोला गोकरननाथ	माहोली होकर नीमसार (नैमिषारण्य)
२०—रोजागंज	नौगवां और मोहम्मदी होकर रोजा
२१—इटावा	शिकोहाबाद होकर शाहजहांपुर
२२—फर्रुखाबाद	शाहजहांपुर
२३—ललितपुर	ननरीम और टिकमगढ़ होकर मऊरानीपुर
२४—मऊरानीपुर	मरौल खास होकर ऐत

लोक सभा सचिवालय

मत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ२०५पर)

सूची 'क'

सदर तथा फुलपुर तहसीलों में जो नलकूप बन चुके हैं उनका ब्योरा ।

सदर तहसील	फूलपुर तहसील
१—सरफुद्दीनपुर	१—बढ़नपुर
२—गिलवारा	२—अतरौलिया
३—नीबी	३—चक दाऊदमाह
४—चक खैरुल्लनह	४—निलवई
५—बेलना डीह	५—छज्जपटी
६—बयासी	६—माहे राजा
७—बाजुरा	७—अमहारी
८—मलनापुर	
९—फरिया	
१०—शेखपुर	
११—रानीपुर रजमा	
१२—चक इनामी	
१३—हैदराबाद	
१४—बलरामपुर	

सदर तथा फूलपुर तहसीलों में जो नलकूप बनाये जायेंगे उनका ब्योरा ।

सदर तहसील	फूलपुर तहसील	
१—बादोपुर गांव में	१—नलकूप	उपयुक्त स्थान मिलने पर विचार किया जायगा ।
२—करीमुद्दीनपुर गांव में	१—नलकूप	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

सूची 'ख'

सदर (आजमगढ़) तहसील	फूलपुर तहसील
१—देवखान	१—चक घोघारी
२—नामदारपुर	२—सुनमाडीह
३—चंडी	३—सत्तरपुर
४—परनपुर	४—गौसपुर
५—सिथवाल	५—टयुंगा
६—चकसिथवला	६—इटकोहिया
७—हसनपुर	७—रामोपुर
८—कोटिला	८—गवोपुर
९—रावन	
१०—नन्दपुर	
११—संजरपुर	
१२—सुरिया	
१३—गंभीरपुर	
१४—पवहदपुर	
१५—जगदीशपुर	
१६—सिखान	
१७—बस्ती	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

सूची 'न'

	संख्या
(१) डिवीजनल आफिस बिना आउट हाउस के	१
(२) इक्जीक्युटिव इंजीनियर का निवास स्थान (बिना आउट हाउस के)	१
(३) असिस्टेंट इंजीनियर का निवास स्थान तथा दफ्तर	३
(४) ओवरसियर क्वार्टर	१
(५) सुपरवाइजर क्वार्टर	१
(६) जिलेदारी दफ्तर तथा अमीन क्वार्टर	१
(७) वर्कशाप व क्वार्टर	१
(८) गोदाम	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० ए स० यू० पी०—ए० पी० ६९ एल० ए०—१९५५—७९६ ।